

गतिविधियाँ

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2025 को केन्द्रीय कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए शीर्ष कार्यपालक गण तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी।



नई दिल्ली में आयोजित शिष्टाचार भेंट के दौरान माननीया वित्त मंत्री भारत सरकार, श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

संदेश

सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का संदेश	3
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	4
कार्यपालक निदेशक का संदेश	5
कार्यपालक निदेशक का संदेश	6
महा प्रबन्धक का संदेश	7

संपादकीय

स्वयं सहायता समूह और नारी शक्ति	8
---------------------------------	---

विशेष आलेख

आर्थिक सुधारों को गति देने वाला बजट	9
महिला सशक्तिकरण: विकसित भारत 2047 की आधारशिला	14
हौसलों की उड़ान : सुनीता विलियम्स	18
बदलता वैश्विक भूगोल और मानव जीवन की चुनौतियाँ	23
भाषा और पहचान: बांग्ला भाषा आंदोलन की विरासत	24
भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी	36
सोशल मीडिया व युवा	38
पी. टी. उषा की उड़ान : संघर्ष से सफलता तक	40
ब्रेस्ट कैंसर: कारण, लक्षण और बचाव के उपाय	42
भारत में महिला सशक्तिकरण	45
रोज़गार में समान अवसर: एक महिला बैंककर्मि की नज़र से	48
भारत की शिक्षा प्रणाली और भविष्य	49
भारत की महिला समाज सुधारक: समाज और महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव	54

बैंकिंग व अन्य लेख

प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग	11
आपकी डिजिटल पहचान मायने रखती है: इसे ऑनलाइन सुरक्षित रखें	13

बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण और ज्ञान अद्यतन का महत्व और आवश्यकता	16
ऋण स्वीकृति और निगरानी में स्टाफ की जवाबदेही: एनपीए कम करने के उपाय	17
बैंकों में अलार्म सिस्टम: सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू	28
बैंकिंग में साइबर सुरक्षा का महत्व	33
सोशल मीडिया के ज़रिए डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक सहभागिता को बढ़ावा	35
डिजिटल फ़ॉड पर अंकुश	44
डिजिटल बैंकिंग	51
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईएसजी का महत्व	53

कविता

तमन्नाएँ बाकी रह गईं	15
श्रद्धांजलि	34
एक कामकाजी नारी की पुकार	47

साहित्य का सफ़रनामा

हिन्दी मेरे लिए मेरी त्वचा है	20
-------------------------------	----

फोटो फ़ीचर

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ	29 व 32
केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ	30 - 31

विविधा

ज्ञान के मोती	37
हंसी की फुलझड़ियाँ	39
शब्द-शब्दांतर	41
राजभाषा प्रश्नोत्तरी	57
प्रतिस्पर्धन	58
डिजिटल लाइब्रेरी	60





इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 38 अंक 144 मार्च 2025



तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?



मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक



संरक्षक
धनराज टी
कार्यपालक निदेशक



परामर्शदाता
नितेश कुमार सिन्हा
महा प्रबन्धक



संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक



संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



संपादन सहयोग
पदमा चांदवानी
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय



मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटेर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं
में व्यक्त विचार लेखकों के
निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना
ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary



भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

सं 11014/02/2024-रा.भा. (प)

दिनांक : 18 मार्च, 2025

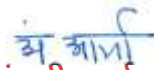


इण्डियन ओवरसीज बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'वाणी' के 144 वें अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित करना महिलाओं के सम्मान की दिशा में एक अनन्यत सराहनीय कदम है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 8 मार्च का दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी इस वर्ष की थीम व उद्देश्य "Accelerate Action" यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। वाणी के इस अंक को महिलाओं को समर्पित करना संपादक मंडल द्वारा महिलाओं को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से संबंधित सकारात्मक सोच को दर्शाता है जिसके माध्यम से बैंक में कार्यरत महिलाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु साहित्यिक मंच प्राप्त होगा।

राजभाषा के प्रचार प्रसार में हिंदी पत्र पत्रिकाओं की अहम भूमिका होती है। मुझे आशा है वाणी का यह अंक भी पूर्व में प्रकाशित अंकों की भांति ही सभी कार्मिकों को लाभान्वित करेगा व हिंदी के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।

मैं, वाणी पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को बधाई देती हूँ तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।


(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in



प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

हमारी गृह पत्रिका 'वाणी' हमेशा नवीन और सार्थक विषयों से सजी हुई होती है। मुझे जानकर खुशी हुई कि राजभाषा विभाग इस बार भी मार्च अंक 'महिला विशेषांक' के रूप में प्रकाशित कर रहा है। आज हमारा देश विकास के हर सोपान को हासिल करने में सक्षम है, इसका एक महती कारण यह भी है कि हमारी आधी आबादी मुख्य धारा से जुड़ रही है। अब हर सेक्टर में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति देखी जा सकती है। उनकी कर्मठता, जुझारूपन, दृढ़ता एवं सौम्यता जगजाहिर है। उनके सम्मान में, इस वर्ष 08 मार्च को हमारे सभी कार्यालयों में उत्साह व उमंग के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। मैं, बैंक की ओर से 'महिला विशेषांक' हेतु संदेश देने के लिए सुश्री अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा विभाग का आभार प्रकट करता हूँ। उनका संदेश रचनाकारों एवं पाठकों के लिए प्रेरणास्पद है।



साथियों, वित्तीय वर्ष 2024-25 का वित्तीय परिणाम आ चुका है। बैंक के वित्तीय परिणाम के कुछ मुख्य बिंदुओं को आप सभी से साझा करते हुए असीम हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी के सहयोग एवं साझा प्रयास से बैंक ने सभी नियामक मानदंडों के अनुरूप कार्य करते हुए इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 1,051 करोड़ का ऐतिहासिक निवल लाभ दर्ज किया है और निवल लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 30.07% की वृद्धि देखी गयी है। यह पहली बार हुआ है कि किसी एक तिमाही में बैंक ने चार डिजिट में मुनाफा दर्ज किया है। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन! बैंक का बिजनेस मिक्स अब ₹ 5,61,908 करोड़ का हो चुका है। उत्साह एवं ऊर्जा को बरकरार रखते हुए बिजनेस मिक्स को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें। इस तिमाही में, हमें नई स्लीपेज को रोकने में भी काफी सफलता मिली है और साथ ही हमने अनर्जक आस्तियों की वसूली भी जमकर की है। मार्च तिमाही में ₹ 992 करोड़ की वसूली के साथ हमारा निवल एनपीए 0.37% रहा है। अपेक्षा है कि आप सभी इसी तरह के जोश एवं उमंग को चालू वित्तीय वर्ष में भी बरकरार रखेंगे और खातों को नए स्लीपेज में जाने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

दोस्तो, नव संकल्प के साथ नए वित्तीय वर्ष का आगाज़ करें। आप सभी को हर पैरामीटर के लिए टारगेट आबंटित कर दिये गये हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालय / शाखाएँ सटीक रणनीति के साथ लक्ष्य साधने की ओर गतिशील रहें। प्रयासरत रहें कि हमारी कोई भी शाखा किसी भी पैरामीटर में निगेटिव न हो। फोकस करें कि हमारा कासा बढ़ने के साथ-साथ गुणवत्तापरक अग्रिम भी बढ़े। कासा बढ़ाने के लिए कासा इनेबलर का सहयोग लें। हमारे पास पर्याप्त संख्या में एटीएम, टच प्वाइंट्स, बीसी प्वाइंट्स उपलब्ध हैं। बैंक की ग्रोथ में इनका उपयोग करें। आप अवगत हैं कि आपका प्रदर्शन 'लक्ष्य पोर्टल' पर रिकॉर्ड हो रहा है। जिस पर, आगे आपका कैरिअर प्रोग्रेशन निर्भर है। नोट करें बैंक ने चालू सभी प्रोत्साहन योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष के लिए भी जारी रखा है। आप प्रोत्साहन योजनाओं से जुड़ें और बैंक की सफलता के साक्षी बनें।

आप सभी को नए वित्तीय वर्ष का शुभारंभ करने हेतु शुभकामनाएं देते हुए मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जो हमें सतत परिश्रम के साथ बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं:

**वसुधा का नेता कौन हुआ ? भू-खंड विजेता कौन हुआ ?
जिसने न कभी आराम किया, विघ्नो में रहकर नाम किया ।**

शुभकामनाओं सहित,

अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी



एमडी व सीईओ महोदय को सुनने के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें



कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

जिस स्त्री की कोख से
सभ्यताओं का जन्म होता है,
सभ्यताओं ने
उसी को हमेशा मर्यादा और
संस्कृति की बोतल में बंद करके रखा।



हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल की ये पंक्तियाँ नारी की अद्भूत क्षमताओं को बयाँ करती हैं। नारी की कोख से न सिर्फ सभ्यता बल्कि विकास का हर आयाम जन्मा है। सभ्यता मानव समाज का एक गतिशील चरण है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास शामिल है। कई महिलाएँ अपने चुने हुए क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, वहीं कई ऐसी भी हैं - चाहे वह गृहिणी हो या कामकाजी, जो अपने घर की देखभाल करते हुए दुनिया की कद्दावर महिला की सूची में शामिल हैं। कह सकते हैं कि हर महिला एक अचीवर है; हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। सत्य है कि विकास के दोनों पहिए यानी स्त्री और पुरुष साथ मिलकर यदि किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका साक्षी स्पेस X क्रू-9 एवं स्पेस X क्रू-10 मिशन के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एवं बुच विल्मोर हैं, जो लगभग 10 महीने बाद अंतरिक्ष की सफलतापूर्वक यात्रा कर 18 मार्च 2025 को धरती पर सकुशल पहुंचे। दुनिया ने भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की सूझबूझ, समर्पण और धैर्य को देखा। हमें उन पर गर्व है!

एक महिला न सिर्फ अपने परिवार के लिए अन्नपूर्णा का कार्य करती है बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार उसका ख्याल भी रखती है। बेशक, एक महिला अपने रोजमर्रा के कामों को संभालने से लेकर परिवार को सुरक्षित रखने तक के सभी कामों को करते हुए, किसी 'सुपरहीरो' से कम नहीं है। हमारे देश की कई महिलाओं ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करके खुद को देश की सबसे सफल महिलाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है।

नारी सफल एवं सक्षम होगी, तो देश सक्षम होगा। इसी सोच एवं उद्देश्य के साथ हमारा बैंक भी कार्य कर रहा है। हम स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा ऋण योजना से जुड़कर अपनी उद्यमशीलता का परिचय दे रही हैं। आज बहुत सारी स्टार्ट-अप कंपनियों के सीईओ पद पर महिलाएं काबिज हैं और हर सेक्टर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। हमारे बैंक ने विशेषरूप से महिलाओं के लिए 'महिला सक्षम' और 'स्त्री शक्ति योजना' जैसे विशेष उत्पाद तैयार किये हैं। आप सभी इस योजना एवं उत्पाद से पात्र महिलाओं को जोड़ने का प्रयत्न करें।

जानकर खुशी हुई कि गृह-पत्रिका वाणी का मार्च अंक 'महिला विशेषांक' के रूप में प्रकाशित हो रहा है। हम बैंक में कार्यरत सभी महिला कर्मियों की अहमियत को पहचानते हैं और उन पर गर्व एवं विश्वास करते हैं। बैंक की हमेशा कोशिश रही है कि कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का माहौल मिले, ताकि वे बैंक के विकास में बराबर की भागीदार बन सकें।

शुभकामनाओं सहित,

जयदीप दत्ता राय

जयदीप दत्ता राय
कार्यपालक निदेशक



कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय साथियो,

बैंक की 'वाणी' के महिला विशेषांक के माध्यम से आप सभी से एक बार फिर से रूबरू हूँ। वाणी के इस अंक के माध्यम से किया संवाद इस मायने से और भी विशेष हो जाता है कि बैंक ने पत्रिका के मार्च अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। यह अंक उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। जिस राष्ट्र में बुद्धि, शक्ति व लक्ष्मी तीनों ही स्त्रियाँ हों वहाँ नारी के अधिकार तथा उनके सम्मान की भावना का सर्वोपरि हो जाना स्वाभाविक ही है।



इस विशेषांक में, हमने ऐसे व्यक्तियों और योजनाओं को संकलित किया है जो न केवल महिलाओं की उपलब्धियों और सफलताओं का बखान करती हैं, बल्कि उनके संघर्षों, चुनौतियों और उनसे निपटने के उनके अदम्य जज्बे को भी उजागर करती हैं। हमने उन विषयों पर भी गहराई से चर्चा की है जो आज की नारी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे करियर में उन्नति, कार्य-जीवन संतुलन, स्वास्थ्य और कल्याण, परिवार की देखभाल, सामाजिक बदलाव में सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता का विकास, नेतृत्व क्षमता का निर्माण, तकनीकी कौशल का विकास, वित्तीय स्वतंत्रता और भी बहुत कुछ।

इस अंक में हमने महिला सशक्तिकरण में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बैंक केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक महिलाओं को विभिन्न ऋण योजनाएं, बचत खाते, निवेश विकल्प, बीमा योजनाएं, और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने, अपने खुद के व्यवसाय स्थापित करने, और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये योजनाएं महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे वे अपने परिवार और समाज में एक मजबूत स्थान बना सकती हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी आवाज उठा सकती हैं। हमने इस अंक में हमारे बैंक द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी भी दी है, ताकि आप अपने लिए सबसे उपयुक्त योजना का चयन कर सकें।

हमारा यह प्रयास है कि यह विशेषांक आपको न केवल प्रेरित करे, बल्कि महिला पाठकों को सशक्त भी बनाए। हम चाहते हैं कि वे अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानें, अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में और अधिक योगदान दें। बैंक इस यात्रा में महिलाओं के एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह महिला विशेषांक आपको पसंद आएगा, आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा।

सादर,

धनराज टी

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक



महा प्रबंधक का संदेश

साथियो,

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली तिमाही पत्रिका "वाणी" के माध्यम से आप सभी से संवाद का यह मेरा पहला अवसर है। हम पत्रिका के मार्च अंक नारी शक्ति को समर्पित करते हुए अत्यंत गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। यह विशेषांक उन सभी महिलाओं की अदम्य भावना, अटूट संकल्प, अविश्वसनीय साहस और उल्लेखनीय उपलब्धियों का एक भव्य उत्सव है, जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वह घर की चहारदीवारी हो या फिर विश्व का कोई भी कोना, अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। यह अंक उन महिलाओं को समर्पित है जो अपनी प्रतिभा, मेहनत, और लगन से न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं।



चाहे वह घर की देखभाल की जिम्मेदारी हो, जहाँ वे परिवार की नींव को मजबूत करती हैं, बच्चों का पालन-पोषण करती हैं और घर को एक सुखद आशियाना बनाती हैं, या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, जहाँ वे ज्ञान की ज्योति जलाकर अज्ञानता के अंधकार को दूर करती हैं और युवा पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करती हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, जहाँ वे नित नए आविष्कारों और खोजों से मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बना रही हैं, कला और साहित्य का क्षेत्र हो, जहाँ वे अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता से समाज को एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर रही हैं, व्यवसाय और उद्यमिता का क्षेत्र हो, जहाँ वे अपनी कुशलता और नेतृत्व क्षमता से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, या फिर सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व का क्षेत्र हो, जहाँ वे नीति निर्माण और समाज सुधार में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं – महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, समर्पण, और दृढ़ इच्छाशक्ति से हर बाधा को पार किया है और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि इस अंक में प्रकाशित लेख, कहानियाँ, कविताएँ, और विचार आपको प्रेरित करेंगे, आपको नई दिशा देंगे, आपको नई सोच प्रदान करेंगे, और यह महसूस कराएंगे कि नारी शक्ति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है जो हमारे समाज को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जा रही है। यह अंक आपको उन महिलाओं से रूबरू कराएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण काम किया है और समाज के लिए एक मिसाल कायम की है।

आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, उन्हें समान अवसर मिलें, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो, उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा मिले, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बराबरी का हक मिले, और वे बिना किसी भय के अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हर महिला अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके और अपने सपनों को साकार कर सके।

सादर,

एन. के. सिन्हा

नितेश कुमार सिन्हा
महा प्रबंधक



स्वयं सहायता समूह और नारी शक्ति

प्रिय पाठको,

वाणी पत्रिका का 144वाँ अंक 'महिला विशेषांक' के रूप में आप सभी को सौंपते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है या यूँ कहिए कि मानव सभ्यता की शुरूआत से ही महिलाओं की भूमिका अहम रही है। वह न केवल परिवार की धुरी होती है बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी महती भूमिका निभाती है। समाज एवं राष्ट्र के विकास में उनके अथक योगदान को ध्यान में रखते हुए हम वाणी का यह अंक अपनी महिला कर्मियों को समर्पित कर रहे हैं। इस अंक में आपको अधिकतर महिला रचनाकार दिखेंगी, जिन्होंने नारी विषयक विभिन्न विषयों पर कलम चलाया है।



विदित है कि महिलाओं ने शुरू से ही चुनौतियों का सामना किया है और उससे बखूबी पार भी हुई हैं। चाहे वे घर की जिम्मेदारियाँ हो या कार्यस्थल की चुनौतियाँ, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता व कार्यकुशलता का उम्दा प्रदर्शन किया है। चूल्हे-चौके से निकलकर, हाल ही में हमने उन्होंने अंतरिक्ष की सफलतापूर्वक यात्रा करते हुए भी देखा। मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ उचित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जब भी उन्हें मौका मिला, वह बेहतर साबित हुई हैं। आज वे आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनने की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत हैं। स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) ने भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के स्वर्णिम अवसर प्रदान किये हैं। बैकग्राउंड होने के नाते कह सकता हूँ कि एसएसजी के जरिए ग्रामीण महिलाओं के जीवन में असाधारण परिवर्तन आया है, वे बहुत हद तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं।

वाणी के इस अंक में हमेशा की तरह सभी स्थायी स्तंभों को बरकरार रखते हुए, मुख्यतः महिलाओं को सशक्त करने वाले आलेखों को स्थान दिया गया है। एक ओर 'महिला सशक्तिकरण: विकसित भारत 2047 की आधारशिला' विषयक आलेख में महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिये गए विभिन्न उपाय शामिल हैं, 'भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी' विषयक आलेख उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में कम लोकप्रियता मिली है, 'हौसलों की उड़ान' में सुनीता विलियम्स की सफल अंतरिक्ष यात्रा की दास्तान मौजूद है तथा 'ब्रेस्ट कैंसर' विषयक आलेख महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और उसके निदान से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग आलेख में 'प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग', 'आपकी डिजिटल पहचान मायने रखती है', 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईएसजी का प्रभाव' तथा 'ऋण स्वीकृति और निगरानी में स्टाफ की जवाबदेही' जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई है। 'साहित्य का सफ़रनामा' स्तंभ में 'हिंदी मेरे लिए मेरी त्वचा है' विषय आलेख में भारतीय अमेरिकी मूल की ख्यातिप्राप्त साहित्यकार उषा प्रियम्वदा के साहित्यिक योगदान को समेटने का प्रयास किया गया है। साथ ही, आपके लिए एमडी व सीईओ महोदय के संदेश का ऑडियो वर्जन भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे पृष्ठ सं 4 पर दिये गए क्यूआर कोड स्कैन कर सुन सकते हैं। इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों को हृदय से धन्यवाद!

प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में...

आपका,

कृष्ण कुमार गुप्ता

मुख्य प्रबंधक सह संपादक



आर्थिक सुधारों को गति देने वाला बजट

सुरेश कुमार रूंगटा, अंशकालिक निदेशक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का संसद में पेश आम बजट विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाने वाला साबित होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट देश के इतिहास में पहली बार 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक यानी 5065345 करोड़ रुपये का है। इसका मतलब है कि केन्द्र सरकार ने इस साल अप्रैल से शुरू होने वाले अगले 12 महीनों में अलग-अलग विकास और कल्याणकारी योजनाओं, वेतन, पेंशन, मजदूरी और ब्याज के भुगतान पर कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव संसद के सामने रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र की सरकार को एक वित्तीय वर्ष के लिए अपने कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अनुमान संसद में पेश करना होता है। केंद्र सरकार की आय के मुख्य तीन स्त्रोत हैं-पहला स्त्रोत कर एवं शुल्क है। जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, निगम कर, जीएसटी, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क शामिल है। दूसरा स्त्रोत है - गैर-कर राजस्व जैसे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ तथा ऋणों की वसूली। तीसरा स्त्रोत - सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण हैं। यदि सरकार को उपरोक्त दोनों स्त्रोतों से पर्याप्त मात्रा में खर्चों के लिए आमदनी नहीं हो पाती है तो शेष रकम के लिए आंतरिक या विदेश से ऋण लेकर उसे पूरा करती है।

आगामी वित्त वर्ष का कुल अनुमानित खर्च 50.65 लाख करोड़ रुपये का है। इसमें आवश्यकता का 28.37 लाख करोड़ रुपये पहले स्त्रोत से तथा 6.59 लाख करोड़ रुपये दूसरे स्त्रोत यानी कुल सरकार की आय 34.96 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। शेष 15.69 लाख करोड़ यानी बजट का लगभग 31 प्रतिशत भाग मार्केट और अन्य स्त्रोत से धन उधार लेकर किया जाएगा। दूसरे शब्दों में प्रस्तावित बजटीय व्यय का लगभग एक तिहाई हिस्से को सरकार कर्ज लेकर पूरा करेगी। एक वित्तीय वर्ष में कुल उधारी आवश्यकता यानी कुल बजटीय खर्च एवं कुल प्राप्तियों (ऋण-वापसी छोड़कर) का अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसे बजट दस्तावेजों में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। यह बजट का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटा सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

जताया है। वर्तमान बजट में जहां सरकार ने कर को कम किया और दूसरी ओर जनकल्याण की योजनाओं पर व्यय बढ़ाया है, इसके बावजूद राजकोषीय घाटे को बढ़ने नहीं दिया, बल्कि इसे कम किया है, यह केंद्र सरकार की बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता को दर्शाता है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटा 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान था जो अब तक 4.8 प्रतिशत ही तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने भारत सरकार के अगले 6 वर्षों के राजकोषीय संतुलन का रोडमैप बताते हुए कहा है कि वर्ष 2030-31 तक इसे 3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कोरोना से पूर्व था। कोरोना के बाद बढ़े राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।

भारत आज विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है तथा अगले वर्ष यानी 2026 में चौथी तथा इससे अगले वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। दुनिया में सबसे तेजी से भारत की ही अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि जहां तक ऋण का सवाल है तो भारत अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ही कम ऋणी देश है। भारत के मुकाबले अमेरिका पर 10 गुना ज्यादा कर्ज है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका पर है, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर चीन और जापान है। भारत की बात करें तो दुनिया के कुल कर्ज का मात्र 3.2 प्रतिशत भारत के पास है, जबकि अमेरिका पर 34.6 प्रतिशत और चीन पर 16.1 प्रतिशत, जापान पर 10 प्रतिशत, ब्रिटेन पर 3.6 प्रतिशत और फ्रांस पर 3.5 प्रतिशत है। राष्ट्रीय ऋण एक व्यवसायी ऋण की तरह काम करता है, जो बुनियादे ढाँचे के निर्माण के लिए निधि प्रदान करता है। जिससे दीर्घकालिन आर्थिक लाभ लेकर देश के आर्थिक विकास को आवश्यक गति देना संभव हो पाता है।

वैश्विक अनिश्चितता के गहराते बादल और सुस्त होती विकास दर की आकांक्षाओं के बीच वित्त मंत्री ने आम बजट के जरिए मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स दायरे से बाहर कर एक ऐसी घोषणा की है जो न केवल अर्थव्यवस्था का नया पार लगा सकती है बल्कि आम आदमी के बड़े वर्ग को राहत भी देगी। कर-दाताओं को राहत देने से सरकार को इससे लगभग एक लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। लेकिन इस उदारवादी सुधार से लोगों की



क्रय-शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, जो मध्यवर्ग के हाथों में खर्च करने के लिए ज्यादा धन मुहैया कराएगा। इससे उपभोग(मांग) बढ़ने यानी कुल खपत में बड़ी वृद्धि से उत्पादन में भी इजाफा होगा। इससे अर्थव्यवस्था को निर्णायक गति मिल सकेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर का पुराना अधिनियम जो 1962 से लागू है उसकी जगह एक नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में लाया जाएगा जो मौजूदा आयकर अधिनियम के मुकाबले कहीं अधिक सरल और स्पष्ट होगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि उनका बजट गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो 10 व्यापक क्षेत्रों में समाहित है। वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें पहला बिन्दु ही गरीबी से मुक्ति को रखा गया है। सरकार जहाँ गरीबी से निपटने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवा रही है, वहीं अपनी विभिन्न योजनाओं के केंद्र में गरीबी को ही रखा है। स्वनिधि जैसी योजनाओं के विस्तार से शहरी गरीबों के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है।

सरकार ने बजट में शिक्षा, स्टार्टअप और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते हुए 5 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आइआईटी) में 6500 अतिरिक्त छात्रों की शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने की बात कही गई है। आइआईटी पटना में छात्रावास एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा अगले साल मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएँगी। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने एक लाख से ज्यादा मेडिकल शिक्षा में सीटों को बढ़ाने का काम किया है। कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बड़े कदम उठा रही है।

वित्त मंत्री ने इस बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इस बजट में बिहार के लिए अभिशाप बनी कोशी नदी पर नहर बनाने की घोषणा की गई है। इससे हर साल यहां आने वाली बाढ़ से निजात के साथ-साथ 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वित्त मंत्री ने दूसरी सौगात राज्य में मखाना बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी और उनका उत्पादन बढ़ेगा तथा उचित मार्केटिंग प्रबंधन से उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इससे बिहार में कृषि उत्पादकों को नये

बाजार उपलब्ध होने के अलावा उनके अनाज एवं अन्य उत्पादों को प्रोसेस कर कई अन्य तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। जिससे किसानों की आय तो बढ़ेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

आम बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए बजट में महिलाओं की सेहत के साथ ही उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की पहल की है। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए पोषण 2.0 योजना से सेहत सुधारने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उनके सपने को साकार करने के लिए एक नई योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज देने की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस माध्यम से महिलाएं न सिर्फ उद्यमी बनेंगी बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे सकेंगी। महिलाओं को कर्ज देने के साथ उन्हें उद्यम बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी।

केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8 के बीच बढ़ने का अनुमान है। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत को अगर 2047 तक एक विकसित देश बनाना है तो इसे अगले कम से कम एक दशक तक सालाना औसतन 8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ हासिल करनी होगी। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल जरूर कुछ विपरित हो गए हैं। हाँ, यह बजट सुधारों की श्रृंखला में बदलाव की कई कड़ियों को जोड़ने का काम करेगा, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होगी।





प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग

विजया एन, महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई

किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत इसका जीता-जागता उदाहरण है। कृषि, उद्योग, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति बैंकों के सीधे योगदान के कारण ही सम्भव हो सकी है। सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन आदि से संबंधित आकड़ों पर नजर डालें तो भारत स्वतः ही विकासशील स्थिति में है। देश के विकास के लिये किये जा रहे आर्थिक सुधारों के बीच भारतीय बैंकों ने स्वयं भी प्रगति की है। विशेष रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात तो भारतीय बैंकों की प्रगति की मिसाल विश्व में कहीं भी मिलना मुश्किल है।

वर्तमान में सभी बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से उनके खातों के सन्दर्भ में अनेक जानकारीयों उपलब्ध करायी जा रही हैं। इस तकनीक के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को न केवल अनेक सुविधाएं दे रहे हैं, बल्कि अपनी रणनीतियों को भी प्रसारित कर रहे हैं और अपनी परिचालन क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन ने बैंकिंग तंत्र के कार्य को आसान बना दिया है। साथ ही नए कारोबारी के लिए सकारात्मक माहौल पैदा किया है। वर्तमान में भारतीय बैंकों के समक्ष अपने बैलेंस शीट से जुड़े तथ्यों को बनाये रखने और उससे जुड़ी जानकारीयों को अद्यतन करने के लिए अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसके अलावा बैंक वर्तमान में व्यापक तौर पर मौजूद अनर्जक परिसंपत्तियों के बोझ का सामना कर रहे हैं। यदि इन अनर्जक परिसंपत्तियों की वसूली समय से न हो पायी तो बैंकों के समक्ष एक बड़ी समस्या उभरेगी।

भारत में बैंकों के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। चूँकि बड़े स्तर के दबाव और अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए बैंकों के समक्ष बड़े खतरे भी उभरे हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-बैंकिंग से जुड़े कारोबार बैंकिंग तंत्र की अनुमति से ही सम्पादित हो रहे हैं और अपने ग्राहकों को सुविधाएं देने के मामले में आभासी बैंकिंग (वर्चुअल बैंकिंग) बनते जा रहे हैं। वर्तमान में बाजार में उपलब्ध प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, बैंकों के लिए यह अपरिहार्य हो गया है कि सेवाओं को उन्नत किया जाये और अपने ग्राहकों को अनेक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और बैंकिंग से जुड़ी अनेक लाभकारी नीतियों के बारे में समय-समय पर उन्हें अवगत कराते रहें। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग उद्योग को विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिभागियों के लिए खुला छोड़ रखा है। विदेशी बैंकों को भी भारत में अपनी दुकान स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग और संगठन जैसे विदेशी बैंक, प्राइवेट बैंक और कई अन्य गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं प्रवेश कर चुकी हैं और अपनी बैंकिंग गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा ने बैंकों के समक्ष अनेक चुनौतियों को प्रस्तुत किया है और इसी का परिणाम है कि बैंक अपने ग्राहकों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

इसके अलावा बैंकें अनेक ऐसी ग्राहक सुविधा से जुड़ी नीतियों का प्रतिपादन कर रही हैं।

बैंकिंग प्रणाली में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी क्षमता भरने के लिए शुरू किये गए नीतिगत सुधारों के कारण बैंकिंग एक प्रतिस्पर्धी चरण में प्रवेश कर गई है। न केवल बैंकिंग प्रणाली के अंदर से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है अपितु, बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रवेश संबंधी अवरोधों में कमी करने, ब्याज, देश के अधिनियमन और ग्राहकों की सेवा संबंधी बढ़ती माँग ने कमोवेश बैंकिंग को आज ग्राहक सेवा में सुधार करने हेतु मजबूर कर दिया है। साथ ही, पूंजी पर्याप्तता एवं अन्य विवेकपूर्ण मानदंडों को प्रारंभ किये जाने, नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता और बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बीच के कार्यकलापों के अंतर की कमी ने बैंकों को अपने सीमित दायरे से बाहर निकलने और भावी बैंकिंग पर विचार करने हेतु बाध्य किया है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली वर्तमान में क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का प्रभावशाली ढंग से अनुपालन जारी है तथा नरसिंहम समिति (प्रथम) की सिफारिशों के लागू होने के परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता व दक्षता जाहिर हो रही है। नरसिंहम समिति (द्वितीय) की वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधी सिफारिशों को भी लागू किया जा रहा है। इससे यह प्रक्रिया और तेज होगी। एक तरफ बैंकों और विकासोन्मुखी वित्तीय संस्थाओं तथा दूसरी ओर बैंकों व निवेशक बैंकों के बीच अंतर अस्पष्ट होता जा रहा है। इन सबका परिणाम यह हो रहा है कि बैंकों के समक्ष कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

बैंकिंग उद्योग में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा प्रदान करते हुए अधिक ग्राहकों तक पहुँच बनाई जा रही है। कई विदेशी बैंक 'नेट बैंकिंग', 'पी.सी. बैंकिंग', 'कभी भी कहीं भी बैंकिंग', 'निरंतर बैंकिंग', 'टेली बैंकिंग' एवं 'ए टी एम बैंकिंग' के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। नई तकनीकी के विकास से 'ब्रांच बैंकिंग' का युग शायद समाप्त होने के कगार पर पहुँच रहा है क्योंकि अब ग्राहक के लिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने खाते का संचालन करना संभव हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न बैंकों के बीच विलयन एवं अधिग्रहण करके वित्तीय सेवा उद्योग का समेकन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु बैंकों का इस प्रकार विकास किया जा रहा है ताकि वे संचार एवं सूचना क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपने व्यापार को बढ़ा सकें।

इन बैंकों को वित्तीय सुपर बाजार के रूप में उभारा जा रहा है जो एक ही स्थान पर विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे- बैंकिंग, प्रतिभूति व्यापार, बीमा एवं निवेश बैंकिंग आदि उपलब्ध करा सकें। सही अर्थों में इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े बैंक ही वैश्विक बैंकों की भूमिका



निभा रहे हैं। भारतीय बैंकों ने अभी इस दिशा में कार्य प्रारंभ नहीं किया है। कई विदेशी बैंक नए-नए उत्पादों का विकास करके एवं ग्राहक सेवा स्तर में सुधार करके बड़े ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। साथ ही, भूमंडलीकरण के बाद से ग्राहक की संतुष्टि इन विदेशी बैंकों में मूलमंत्र की तरह उभरी है। प्रौद्योगिकी विकास ने भी विदेशी बैंकों का इस क्षेत्र में काम आसान कर दिया है। कई बैंकों ने अपनी कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करके बड़ी-बड़ी परियोजनाओं हेतु लंबी अवधि के सावधि ऋण प्रदान करने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है जिससे सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अविनियमित परिवेश बैंकिंग प्रणाली के समक्ष नये जोखिम उत्पन्न किये हैं जिनमें से कुछ हैं- ब्याजदर जोखिम, विनिमय दर जोखिम, आस्ति देयता में मेल न होना, ऐसे जोखिमों के पूरे वर्ग की अभिव्यक्ति बाजार जोखिम के रूप में की है। बैंकों की समझ में 'ऋण जोखिम' की अवधारणा में भी बुनियादी परिवर्तन आ रहा है।

इस संदर्भ में बैंकों को दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है - एक तो सुदृढ़ पूँजी आधार की आवश्यकता और दूसरे वित्तीय जोखिम का प्रबंध करने हेतु उच्च क्षमता के कौशल विकसित करने की आवश्यकता। वित्तीय बाजार के बढ़ते भूमंडलीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में वाणिज्यिक, उपभोक्ता एवं आधारिक संरचना वाले ऋणों का प्रतिभूतिकरण तथा कारोबार प्रारंभ हो गया है। जबकि भारतीय बैंकों को इस प्रकार के व्यवसाय में अनुभव की कमी के कारण विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय बाजार में नई-नई संस्थाओं के पदार्पण के कारण बड़ी-बड़ी कम्पनियों में बाजार से सीधे उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बड़ी- कम्पनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजार से सीधे ही जीडीआर/एडीआर/ईसीबी आदि नये-नये उत्पादों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में ऋण उगाहे जा रहे हैं। इससे बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जमाराशि पर बढ़ती ब्याज लागत एवं ऋण पर घटती ब्याज आय के कारण ब्याज के फैलाव पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे बैंकों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और भारतीय बैंकों में लाभप्रदता कम होती जा रही है।

आज बैंकों को न केवल जमाराशि प्राप्त करने हेतु बल्कि ऋण प्रदान करने हेतु भी अच्छी कंपनियों के पीछे भागना पड़ रहा है। क्योंकि देशी बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के साथ बैंकिंग सेवा प्रदान की जा रही है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति वित्तीय बाजारों के एकीकरण के फलस्वरूप भी विदेशी बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में तीव्र सुधार किया जा रहा है। जबकि भारतीय बैंक इस दिशा में प्रगति की ओर अब अग्रसर हो रहे हैं। अतः विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धी होने में भारतीय बैंकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बैंकों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान की जानी आवश्यक हो गयी है। आज बैंकों के कार्य की देखरेख भारतीय रिजर्व बैंक तथा

सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग आदि द्वारा की जाती है जबकि यह कार्य किसी एक एजेंसी को सौंपने से कई संस्थाओं के अंतर्भूतीकरण को रोका जा सकता है। बैंकों के प्रबंधन-तंत्र को पेशेवर बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रबंधन-तंत्र, सूचना-तंत्र एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही निदेशक बोर्ड में विषय विशेषज्ञों, उद्योग एवं कृषि आदि क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना आवश्यक हो गया है। इससे बैंकों के प्रबंधन को नया स्वरूप प्राप्त होगा।

उच्च मूल्य ग्राहकों के साथ बैंकिंग में परिवर्तित होना आवश्य भी है और आधार को विस्तारित करने और इसे बनाये रखने हेतु बैंकिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च मूल्य ग्राहक को बैंकिंग सुविधाएँ देने हेतु विशेषीकृत शाखाओं की स्थापना भी आवश्यक होता जा रहा है। नई बैंकों ने तो विशेषीकृत वैयक्तिक शाखाएँ, विशेषीकृत कारपोरेट शाखाएँ, हाई-टेक कृषि विकास शाखाएँ, लघु उद्योग वित्त शाखाएँ, आदि की स्थापना शुरू कर दी है। ये शाखाएँ पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत होती हैं। इनका रखरखाव भी काफी उच्च स्तर का होता है तथा इन शाखाओं में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ को पदस्थ किया जाता है।

बैंकों के लिए ग्राहक की माँग के अनुसार नये-नये उत्पादों का विकास करना भी आवश्यक होता जा रहा है। इस संबंध में, कुछ बैंकों ने काफी अच्छी पहल की है। यथा- क्रेडिट कार्ड व्यवसाय की शुरुआत, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, आवास वित्तपोषण, स्वर्ण बैंकिंग, आधारित संरचना का वित्तपोषण आदि नवोन्मेषी उत्पादों को विकसित किया गया है। बैंकिंग उद्योग अब बीमा व्यवसाय में उतरने की तैयारियाँ भी कर रहा है क्योंकि हमारे देश में बीमा व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का अभाव है तथा ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। भारतीय बैंकों को विश्व बाजारों सहित पूँजी बाजारों को पूँजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बार-बार दोहन करना होगा। अतः भारतीय बैंकिंग उद्योग को मुख्य रूप से यू. एस. जी. ए. पी. मानकों के अनुसार अधिक पारदर्शिता दर्शाने वाले मानकों को अपनाना होगा इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वव्यापी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

बैंक कर्मचारियों को बदलते हुए बैंकिंग स्वरूप में ढालने हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से उपयुक्त बनाना आवश्यक हो गया है। मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करना, उनके कौशल का विकास करना और उनकी अभिवृद्धि करना भी आवश्यक हो गया है। देश में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी विकास एवं विश्वव्यापीकरण की स्थिति प्राप्त करने के कारण भारतीय बैंकिंग उद्योग में भी विभिन्न बदलावों को अपने आप में बड़ी तेजी से आत्मसात करना होगा अन्यथा बैंकिंग उद्योग को नित नयी चुनौतियों से जूझना होगा। भविष्य में भारतीय बैंकिंग आज की बैंकिंग से काफी भिन्न होगी। अतः हमें इस बदलाव हेतु न केवल तैयार रहना होगा बल्कि इस बदलाव को आसान बनाने हेतु अभी से प्रयास करना होगा।



आपकी डिजिटल पहचान मायने रखती है: इसे ऑनलाइन सुरक्षित रखें

एस राधाकृष्णन, उप महा प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय



हमारी ज़िंदगी तकनीक और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों से जुड़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल बैंकिंग और सोशल मीडिया तक, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हैं।

यह सुविधा साइबर अपराधियों से आपकी डिजिटल पहचान के लिए संभावित जोखिम के साथ आती है। आप लगातार ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं, जिससे आप अपने आप को दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों के सामने उजागर करते हैं।

लेकिन डिजिटल पहचान क्या है? डिजिटल पहचान में वह सारी व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है जो हम ऑनलाइन साझा करते हैं, ईमेल पते और सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर बैंकिंग जानकारी और क्रेडिट कार्ड नंबर तक। डिजिटल पहचान के साथ छेड़छाड़ के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इससे वित्तीय नुकसान हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है, आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है और यहाँ तक कि कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं।

हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में, ऑनलाइन खतरों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यह विशेष संस्करण सभी को सशक्त बनाने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं को ऑनलाइन में स्वयं को सुरक्षित रखने का ज्ञान प्रदान करने के लिए समर्पित है।

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1 बिलियन ईमेल फिशिंग के प्रयास किए गए हैं, जिससे हर 5 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से एक की जानकारी उजागर हुई है। डेटा उल्लंघनों और साइबर हमलों की बढ़ती संख्या के साथ, आपकी डिजिटल पहचान की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। इस लेख में, हम चर्चा करेंगे कि अपनी डिजिटल पहचान की सुरक्षा कैसे करें। हम आपको पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपनी डिजिटल पहचान की सुरक्षा करने में भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए 5 आवश्यक सुझाव:-

- 1. अपने ऑनलाइन फुटप्रिंट को प्रबंधित करें:** नियमित रूप से अपने नाम को ऑनलाइन खोजें ताकि पता चल सके कि कौन सी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए पुराने खातों और वेबसाइटों से पुरानी या संवेदनशील जानकारी हटाएँ।
- 2. अपने सोशल मीडिया खातों को सुरक्षित रखें:** सोशल मीडिया पर आप जो कुछ भी शेयर करते हैं, उसे सीमित रखें, जैसे कि आपका स्थान, यात्रा की योजनाएँ और व्यक्तिगत विवरण। गोपनीयता सेटिंग्स समायोजित करें ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि आपकी पोस्ट और प्रोफ़ाइल जानकारी कौन देख सकता है।
- 3. पासवर्ड का ध्यान रखें:** हर अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें—नाम, जन्मदिन या आम शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। जटिल पासवर्ड को सुरक्षित तरीके से बनाने और स्टोर करने के लिए पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (2एफए) सक्षम करें।
- 4. फ़िशिंग से सावधान रहें:** क्लिक करने से पहले सोचें—फ़िशिंग ईमेल अक्सर वैध दिखते हैं लेकिन उनका उद्देश्य आपकी जानकारी चुराना होता है। प्रेषकों की पुष्टि करें और अज्ञात स्रोतों से अनुलग्नक डाउनलोड करने से बचें। अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो सीधे संस्था से संपर्क करें।
- 5. वित्तीय खातों की निगरानी करें:** नियमित रूप से बैंक स्टेटमेंट की जाँच करें और संदिग्ध लेनदेन के लिए अलर्ट सेट करें। ऑनलाइन

शॉपिंग के लिए वर्चुअल कार्ड का उपयोग करने से आपके मुख्य खाते की जानकारी सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।

- 6. सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करते समय सावधान रहें:** सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं, जिससे वे हैकर्स के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी तक पहुँचने या वित्तीय लेन-देन करने से बचें।

डिजिटल फुटप्रिंट प्रबंधन

डिजिटल फुटप्रिंट वह डेटा है जो कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते समय पीछे छोड़ता है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, स्थान, जन्म तिथि, ब्राउज़िंग इतिहास और इंटरनेट पर दूसरों के साथ बातचीत जैसे मूल्यवान डेटा शामिल हैं। डेटा सोशल मीडिया, सर्च इंजन और वेबसाइटों से लिया जाता है।

साइबर अपराधी आपके द्वारा ऑनलाइन साझा किए गए डेटा का उपयोग आपकी पहचान चुराने और धोखाधड़ी करने के लिए कर सकते हैं। वे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों, जैसे कि खरीदारी की आदतें, ऑनलाइन बैंकिंग गतिविधि और ब्राउज़िंग इतिहास को ट्रैक करने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जा सके। एक व्यापक डिजिटल फुटप्रिंट पहचान की चोरी, साइबरबुलिंग या ऑनलाइन घोटालों का शिकार बनने के जोखिम को बढ़ाती है।

अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को कम करके अपने डिजिटल फुटप्रिंट को प्रबंधित करें। सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली जानकारी के प्रति सतर्क और सावधान रहें। पोस्ट और प्रोफ़ाइल जानकारी की दृश्यता को नियंत्रित करने के लिए गोपनीयता सेटिंग्स का उपयोग करें। इन सेटिंग्स की नियमित रूप से समीक्षा और इन्हें अपडेट करना उचित है।

आपके सभी डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर और स्मार्टफ़ोन में हैकर्स या मैलवेयर से सुरक्षा के लिए अप-टू-डेट सुरक्षा सॉफ़्टवेयर होना चाहिए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर 2एफए सक्षम करें। पुराने सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन निर्देशिकाओं और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स से अपनी जानकारी की समीक्षा करें और उसे हटा दें।

ऑनलाइन शॉपिंग या अन्य वित्तीय लेनदेन गतिविधियों के लिए केवल प्रतिष्ठित और सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करें। व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने से पहले यूआरएल बार में पैडलॉक आइकन देखें और एन्क्रिप्टेड भुगतान विधियों का उपयोग करें। सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करने से बचें और उपयोग के बाद हमेशा अपने खातों से लॉग आउट करें।

निष्कर्ष:

साइबर अपराध और पहचान की चोरी के बढ़ते जोखिम के साथ, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का प्रबंधन करना और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। आपको अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में चौकन्ने और सतर्क रहना चाहिए। यह एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आप डिजिटल पहचान सुरक्षा को लागू करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कर सकते हैं। यह ऑनलाइन खतरों के जोखिम को कम करता है और आपको सुरक्षित रखता है।

सक्रिय और चौकन्ने रहें - आपकी डिजिटल सुरक्षा इस पर निर्भर करती है।



महिला सशक्तिकरण: विकसित भारत 2047 की आधारशिला

राजेंद्र सिंह, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, एर्णाकुलम क्षेत्र

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब महिलाओं की स्थिति अत्यंत सीमित और परंपरागत भूमिकाओं तक सिमटी हुई थी। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी लगभग नगण्य थी। समाज में महिलाओं को मुख्य रूप से घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखा गया था। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, मातंगिनी हाजरा और अरुणा असफ अली जैसी महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही, फिर भी स्वतंत्र भारत की शुरुआत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी।

आज, जब हम 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने की दिशा में अग्रसर हैं, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भारत के 'विकसित राष्ट्र' बनने की राह में महिला सशक्तिकरण एक मौलिक और अनिवार्य आधारशिला है। यदि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त नहीं होंगी, तो भारत का विकास अधूरा और असंतुलित रहेगा।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल उन्हें शिक्षा या नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समाज के हर क्षेत्र में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। एक सशक्त महिला अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र को नई दिशा देने में सक्षम होती है। यह उन्हें उनके संवैधानिक और नैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। सशक्त महिला का मतलब है — आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान, निर्णय लेने का अधिकार और हिंसा व भेदभाव से मुक्त जीवन। जब महिलाएं मजबूत होती हैं, तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत होते हैं।

महिलाओं की श्रमबल भागीदारी भारत में मात्र 25% के आसपास है, जबकि वैश्विक औसत 50% से अधिक है। यदि भारत इसे वैश्विक औसत तक बढ़ा सके, तो यह देश की जीडीपी में 27% तक की वृद्धि कर सकता है। भारत की जीडीपी (2023) लगभग \$3.7 ट्रिलियन है। यदि महिलाओं की भागीदारी के कारण इसमें 27% वृद्धि होती है, तो यह \$1 ट्रिलियन से अधिक की अतिरिक्त वृद्धि होगी। इससे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, महिलाएं अपने परिवार की आय बढ़ाने, बच्चों की शिक्षा और पोषण सुधारने, और सामाजिक बदलाव लाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निर्णय अधिक समावेशी और संवेदनशील होते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, जिससे 30 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि सामने आईं — यह दुनिया में सबसे बड़ा महिला नेतृत्व वाला लोकतांत्रिक प्रयोग है।

आज, संसद में महिलाओं की भागीदारी करीब 15% है, जो अभी भी अपर्याप्त है। महिला आरक्षण विधेयक (2023) के पारित होने के बाद यह आशा है कि 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 33% तक पहुँचेगी।

शिक्षा ही सशक्तिकरण की पहली और सबसे शक्तिशाली सीढ़ी है। केरल में महिला साक्षरता दर 95% से अधिक है और वहाँ महिलाओं की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य मानक और घरेलू निर्णयों में भागीदारी उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। सरकारी प्रयासों जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धि योजना' ने महिला शिक्षा में जागरूकता लाई है। अब डिजिटल शिक्षा और एसटीईएम शिक्षा (विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित) में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वे भविष्य की टेक-ड्रिवन अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकें।

भारत में 15-49 वर्ष की लगभग 53% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। यह न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि उनके उत्पादक कार्यबल बनने की क्षमता को भी कम करता है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मिशन इंड्रधनुष जैसे प्रयास मातृ स्वास्थ्य और बाल पोषण सुधारने के लिए शुरू किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य, माहवारी स्वच्छता, और प्रजनन स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी अब खुले तौर पर चर्चा में आ रहे हैं — यह एक सकारात्मक बदलाव है।

डिजिटल इंडिया मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को भी डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में काम करने वाली लाखों "डिजिटल सखी" महिलाओं को वित्तीय और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही हैं। अब महिलाओं को ई-कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम जैसे माध्यमों से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कल्पना सरोज एक दलित महिला हैं जिन्होंने गरीबी और अत्याचार का सामना करते हुए करोड़ों की कंपनी 'कमानी ट्यूब्स' की स्थापना की। फाल्गुनी नायर ने 50 वर्ष की आयु में 'नायका' की शुरुआत कर भारत की पहली सेल्फ - मेड महिला अरबपति बनकर नई मिसाल कायम की। छवि राजावत देश की पहली एमबीए सरपंच हैं, जिन्होंने अपने गाँव को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉरपोरेट करियर छोड़ा। गीता गोपीनाथ ने आइएमएफ की उप प्रबंध निदेशक बनकर वैश्विक आर्थिक नीतियों में महिलाओं की प्रभावशाली भूमिका को स्थापित किया है।



डबल्यूईएफ़ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (2023) के अनुसार भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, परंतु आर्थिक भागीदारी और शैक्षणिक समानता में अभी भी बहुत काम बाकी है। भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा होने के लिए महिला अधिकारों, सुरक्षा और समान अवसरों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करनी होगी।

भारत सरकार द्वारा कई योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'महिला हेल्पलाइन 181', 'वन स्टॉप सेंटर', और 'उज्ज्वला योजना'। अब इन योजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन और जनजागरूकता पर जोर देना आवश्यक है।

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ ठोस रणनीतियाँ जरूरी हैं — जैसे हर लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवेश और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी व्यवस्था, आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, लैंगिक संवेदनशीलता पर शिक्षकों, पुलिस और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, और मीडिया में महिलाओं की सकारात्मक व विविध छवि को प्रमुखता देना।

सरकारी योजनाएँ तब तक पूर्ण सफल नहीं होंगी जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा। परिवारों को बेटियों को बेटे जैसा ही अवसर देना होगा, शिक्षकों और धार्मिक नेताओं को लैंगिक समानता का संदेश देना होगा, पुरुषों को भी लैंगिक न्याय में भागीदार बनना होगा और मीडिया को महिला नेतृत्व, उपलब्धियों और मुद्दों को प्रमुखता देनी होगी।

2047 का भारत कैसा होगा — यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज महिलाओं को कितना सशक्त बनाते हैं। यह कोई वैकल्पिक नीति नहीं, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की अनिवार्य शर्त है। जब महिलाएं आत्मविश्वास, सम्मान और समानता के साथ समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय होंगी, तभी भारत एक समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरेगा। महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, यह भारत के भविष्य की नींव है।



तमन्नाएँ बाकी रह गईं



लब जल गये, सदाएँ बाकी रह गईं,
दिल में मेरे, खताएँ बाकी रह गईं।

नक्श लम्स के, मिटा दिए यूँ तो,
बू-ए-पैहरन मगर बाकी रह गईं।

शाम-ए-फिराक में, जल चुकी थी रुह,
जिस्म में साँसें मगर बाकी रह गईं।

खामोश है अब, हर मंज़र मुझमें,
गम-ए-आहट मगर बाकी रह गईं।

अना की रंजिश, हम लड़ते ही रहे,
मनाने की रस्म मगर बाकी रह गईं।

आरजू मुहोब्बत की, तो पूरी हो गई,
तमन्नाएँ उसकी मगर बाकी रह गईं।

गरिमा जोशी

सहायक प्रबंधक
कोयम्बतूर क्षेत्र





बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण और ज्ञान अद्यतित रखने का महत्व और आवश्यकता

रेज़ीमोल बी जी, सहायक महा प्रबन्धक व प्रधानाचार्या, स्टाफ कॉलेज



बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा उद्योग है, जो निरंतर विकसित हो रहा है। विदित है कि परिवर्तन प्रकृति का मूल नियम है। यह उद्योग नए तकनीकी, उत्पादों और सेवाओं के विकास के साथ-साथ बदलते हुए नियामक माहौल और ग्राहकों की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार खुद को अद्यतित करता रहता है। बैंकिंग जगत में बने रहने के लिए समय के साथ-साथ तकनीक के क्षेत्र में परिवर्तन करना अनिवार्य है। हमारा बैंक नवाचार को अपनाने के प्रति सकारात्मक रवैया बनाए हुए है।

अतः बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले पेशेवरों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर अद्यतित रखें ताकि वे इस बदलते हुए उद्योग में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। कार्य-शैली स्मार्ट होनी चाहिए। तभी बैंक की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होगा। समय-समय पर दिये जाने प्रशिक्षण से स्टाफ सदस्यों को अपने कौशल को निखारने का मौका मिलता है।

प्रशिक्षण न केवल उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें उद्योग में होने वाले परिवर्तनों और नवाचारों के अनुसार अद्यतित करता है।

प्रशिक्षण का महत्व: बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण का महत्व निम्नलिखित हैं:

1. कौशल विकास: प्रशिक्षण से कर्मचारियों को नए कौशल सीखने और अपने मौजूदा कौशल को बढ़ाने में मदद मिलती है। जिसे वे अपनी कार्य-शैली में आजमाएंगे और यह बैंक के लिए लाभप्रद होगा।
2. उत्पादकता में वृद्धि: प्रशिक्षण से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे बैंक की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होता है।
3. ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि: प्रशिक्षण से कर्मचारियों को ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है। ग्राहक संतुष्टि कारोबार की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है।

ज्ञान अद्यतित करने की आवश्यकता: बैंकिंग क्षेत्र में ज्ञान अद्यतन की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

1. नवाचारों के साथ अद्यतित रहना: बैंकिंग क्षेत्र में नवाचारों की गति बहुत तेज है। ज्ञान अद्यतन से कर्मचारियों को इन नवाचारों के साथ अद्यतित रहने में मदद मिलती है। नवाचार को अपनाने से कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है।
2. नियामक आवश्यकताओं का पालन करना: बैंकिंग क्षेत्र में

नियामक आवश्यकताएं लगातार बदलती रहती हैं। ज्ञान अद्यतन से कर्मचारियों को इन आवश्यकताओं का पालन करने में मदद मिलती है। नियामक संस्थानों के निर्देशों के पालन से बैंक को अनावश्यक जुर्माने से बचाया जा सकता है। नियामक संस्थानों द्वारा लगाये गये किसी भी जुर्माने से बैंक के स्टैकहोल्डर भी प्रभावित होते हैं।

3. प्रतिस्पर्धा में बने रहना: बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। ज्ञान अद्यतित करते रहने से कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलती है। प्रतिस्पर्धा को समझने से पहले बाज़ार की मांग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को भी समझना जरूरी है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है।

तकनीकी प्रशिक्षण का महत्व: बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक हैं:

1. **डिजिटल बैंकिंग:** तकनीकी प्रशिक्षण से कर्मचारियों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता रहता है। हमें हर दिन अद्यतित होना है।
2. **साइबर सुरक्षा:** तकनीकी प्रशिक्षण से कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे बैंक की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। साइबर सुरक्षा समय की मांग है। आज पूरा बैंकिंग जगत तकनीक पर निर्भर है। अतः इसकी सुरक्षा हर स्टाफ की जिम्मेवारी है।
3. **डेटा एनालिटिक्स:** तकनीकी प्रशिक्षण से कर्मचारियों को डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

निष्कर्ष:

अतः बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और ज्ञान अद्यतित करना अत्यंत आवश्यक है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाकर कर्मचारी उद्योग में अव्वल रहने में सफल हो सकते हैं। इससे वे बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही उद्योग में प्रतिस्पर्धी बने रह सकते हैं। कर्मचारियों को बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण अवसरों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इससे बैंक के विकास के साथ-साथ स्टाफ के करियर में ग्रोथ भी होगी।

"जो व्यक्ति सीखता रहता है, वही हमेशा आगे रहता है।"



बैंकिंग

ऋण स्वीकृति और निगरानी में स्टाफ की जवाबदेही: एनपीए कम करने के उपाय

लीना आर वी, सहायक महा प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय



बैंकिंग मूलतः सम्मानजनक एवं गणनापरक वित्तीय जोखिम उठाने का व्यवसाय है। हालांकि, ये जोखिम महज मुनाफे के लिए नहीं उठाए जाते, बल्कि कानून, नियमों, विनियमों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और संस्थागत मानदंडों द्वारा शासित सुपरिभाषित पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं के भीतर अधिकतम लाभ कमाने के इरादे से उठाए जाते हैं।

वित्तीय निर्णय लेते समय, किसी अधिकारी द्वारा निर्णय लेने में गलती करने की संभावना होती है, जिसे जानबूझकर या धोखाधड़ी वाले कार्यों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, हमें पूर्वनियोजित गलत कार्यों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस लेख का उद्देश्य जोखिम लेने को हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर देना है कि ऐसे जोखिम को अनुपालन और सही निर्णय के ढांचे के भीतर जिम्मेदारी से उठाया जाना चाहिए।

अपने अनुभव से, हमने देखा है कि स्टाफ जवाबदेही के अधिकांश मामले जानबूझकर किए गए गलत आचरण के बजाय अनजाने में हुई गलतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनके मूल कारण निम्नलिखित हैं:

1) अज्ञानता

2) लापरवाही

3) अति उत्साह

4) अति आत्मविश्वास

इन्हें प्रशिक्षण, जागरूकता और मार्गदर्शन के माध्यम से सुधारा जा सकता है। हालांकि, पूर्वनियोजित तरीके से किया गया कदाचार क्षमा योग्य नहीं हो सकता।

उदाहरण के लिए, विवेकाधीन शक्तियों की व्याख्या करने में त्रुटि अक्सर गलत निर्णय का विषय हो सकती है, हालांकि ऐसी शक्तियों का जानबूझकर दुरुपयोग कदाचार माना जाता है - भले ही बीच की रेखा छोटी हो।

अतः हमारा लक्ष्य नैतिक मानकों, व्यावसायिकता और ईमानदारी को बनाए रखना होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमें स्टाफ की जवाबदेही के मुद्दों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

उचित सावधानी का महत्व: प्रभावी उचित सावधानी जिम्मेदारी से ऋण देने की आधारशिला है। जिसमें निम्न मुख्य तत्व शामिल हैं:

अ) मंजूरी पूर्व निरीक्षण:

चरित्र, क्षमता, पूंजी और योग्यता का आकलन करें - न केवल वित्तीय विवरण से, बल्कि सार्थक व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से भी। किसी भी खतरे की पहचान के लिए मंजूरी-पूर्व विस्तृत रूप से इंटरव्यू करें।

प्रस्तावों को टेक-ओवर करने में विशेष सावधानी बरतें, जो स्वाभाविक रूप से अधिक जटिल होते हैं।

उधारकर्ताओं के आवासीय और व्यावसायिक पते, क्रेडिट हिस्ट्री और पुनर्भुगतान क्षमता की पुष्टि करें।

स्वामित्व विलेखों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में शाखा में स्वतंत्र रूप से प्रारंभिक कानूनी मूल्यांकन करवाएं - इससे औपचारिक कानूनी राय प्राप्त करने से पहले संभावित मुद्दों का पता लगाने में मदद मिलती है।

स्वतंत्र रूप से साइट का निरीक्षण करें, और केवल उधारकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर न रहें। स्टाफ द्वारा रूट मैप तैयार करना आवश्यक है।

आ) संपत्ति का मूल्यांकन :

संपत्ति के मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं के साथ जाएं, स्वतंत्र रूप से दस्तावेजीकरण और बाजार मूल्य का आकलन और सत्यापन करें, विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ अपनी व्यक्तिगत राय और मूल्यांकन की जांच करें व मूल्यांकन को समझें।

इ) अनुपालन की प्रक्रिया:

आंतरिक दिशा-निर्देशों और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन महत्वपूर्ण है।

ई) उचित दस्तावेजीकरण:

स्वीकृति निर्णय के पीछे के गुण, जोखिम और तर्क का विवरण देते हुए एक व्यापक मूल्यांकन नोट तैयार करें। स्पष्ट एवं स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखें।

उ) स्वीकृति की शर्तें और संवितरण:

सुनिश्चित करें कि ऋण संवितरण पूर्णतः स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हो।

ऊ) नियमित निगरानी:

ऋण निष्पादन, वित्तपोषित गतिविधि की व्यवहार्यता और प्रतिभूतियों की स्थिति का निरंतर मूल्यांकन करें। चेतावनी संकेतों पर सक्रियता से ध्यान दें।

गैर - नुपालन के परिणाम:

स्थापित मानदंडों की उपेक्षा या विचलन के परिणामस्वरूप स्टाफ की जवाबदेही के मामले सामने आ सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप लापरवाही या गैर-अनुपालन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

संदिग्ध दुर्भावनापूर्ण इरादे या गंभीर चूक के मामले में सतर्कता जांच हो सकती है।

यदि मानक अभ्यास से विचलन आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करें और तर्क को स्पष्ट रूप से दस्तावेजित करें।

स्टाफ के लिए सर्वोत्तम कार्य:

जोखिमों को न्यूनतम करने और जवाबदेही के मुद्दे से बचने के लिए निम्नवत पर ध्यान दें:

- 1) परिस्थिति को समझें, नियमों को जानें और उन सीमाओं को पहचानें जिनके भीतर आप काम करते हैं।
- 2) बैंक के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहें: प्रत्येक कार्य बैंक के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
- 3) पूरी तरह से उचित सावधानी बरतें और सत्यापन करें।
- 4) सभी परिपत्रों, नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन करें।
- 5) उधारकर्ता की गतिविधियों और संकट के संकेतों पर सतर्क दृष्टि रखें।
- 6) मार्गदर्शन लें, साथियों और सलाहकारों से जुड़ें - मदद या स्पष्टता के लिए पूछने में कभी संकोच न करें।

निष्कर्ष:

जोखिम उठाना बैंकिंग का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन यह सूचित, नैतिक और जवाबदेह होना चाहिए। ईमानदारी, सावधानी और पेशेवर उत्कृष्टता की संस्कृति का अनुरक्षण करते हुए हम बैंक के हितों की रक्षा कर सकते हैं और अपनी संस्था की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे सकते हैं।



हौसलों की उड़ान : सुनीता विलियम्स

मुकुल व्यास, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता लिन विलियम्स, 9 महीने और 14 दिन बाद, 18 मार्च 2025 को अपने अन्य साथियों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) से वापस पृथ्वी पर लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 5 जून, 2024 को बोइंग और नासा के जॉइंट मिशन पर गए थे। इन्हें स्पेस में केवल आठ दिन रहना था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनको वापस आने में 9 महीनों का समय लग गया। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के बाद सुनीता विलियम्स कई स्पेस मिशन का हिस्सा बनी हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) में जाकर समय बिताया है। उनके नाम एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेसवॉक (सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी) करने का पूर्व रिकॉर्ड है।

सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितम्बर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर (क्लीवलैंड स्थित) में हुआ था। उनके पिता डॉ. दीपक एन. पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के भारतीय मूल के एक जाने-माने तंत्रिका विज्ञानी (एम.डी) थे, जबकि उनकी मां बॉनी जालोकर पांड्या एक स्लोवेनियाई-अमेरिकी थीं। 1958 में सुनीता के पिता अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गए। सुनीता विलियम्स नीधम हाईस्कूल से साल 1983 में ग्रेजुएट हुईं। उन्होंने 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइन्स में बीएस (स्नातक उपाधि) की परीक्षा उत्तीर्ण की और अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुई थीं, जहां पर उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा जारी रखी। करीब 6 महीने तक नेवल कोस्टल एकेडमी में अस्थाई असाइनमेंट करने के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग अफसर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद सुनीता को नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में सेवा करने का मौका मिला, जहां वह साल 1989 में नेवल एविएटर के रूप में कार्यरत रहीं। तत्पश्चात 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एम.एस. की उपाधि हासिल की। सुनीता विलियम्स को जून साल 1998 में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित किया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और वहाँ से पहली अंतरिक्ष यात्रा की। सुनीता विलियम्स को तकरीबन 3000 से भी ज्यादा घंटे तक एयरक्राफ्ट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और इसीलिए इन्हें अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री के तौर पर नासा एजेंसी के द्वारा चुना गया। साल 2006 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। यह यान अंतरिक्ष में



तकरीबन 192 दिनों तक रहा और साल 2007 में 22 जून को यह यान धरती पर वापस लौट आया और इस प्रकार से सुनीता विलियम्स का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने नासा के साथ अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मिशन करने के लिए अपना सफर साल 2012 से शुरू किया। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर इस बात को भलीभांति साबित कर दिया कि महिलाएँ अगर ठान लें तो वह सब कुछ कर सकती हैं। भारत में पैदा हुई कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स ही ऐसी महिला रहीं जिन्होंने अंतरिक्ष तक जाने में सफलता हासिल की।

सुनीता विलियम्स नासा के चर्चित अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा के मुताबिक 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटने से पहले इन्होंने पृथ्वी की 4,500 बार परिक्रमा की थी और 17,500 मील प्रति घंटा की गति से 12 करोड़ मील की यात्रा की। हालाँकि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वलेरी पोल्याकोव के नाम है। न्यू मेक्सिको म्यूजियम ऑफ स्पेस हिस्ट्री के अनुसार, वलेरी ने अंतरिक्ष में 437 दिन, 17 घंटे और 38 मिनट गुज़ारे थे। उन्होंने इस दौरान पृथ्वी की 7,075 बार परिक्रमा की थी।

अंतरिक्ष की गतिविधियों और उससे जुड़े रिसर्च पर केंद्रित अमेरिकी एजेंसी नासा (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स व उनके साथी भारतीय समयानुसार, सुबह 18 मार्च 2025 को साढ़े तीन बजे पृथ्वी पर आए। मंगलवार शाम (स्थानीय समयानुसार) अंतरिक्ष यान मेक्सिको की खाड़ी में सुनीता और बुच को लेकर



पहुँचा। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर नासा के निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सान्द्र गोर्बुनोव के साथ लौटे। ये दोनों स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के कू-9 के साथ थे। सुनीता विलियम्स छह जून को एक टेस्ट फ्लाइट बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में पहुँची थीं लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आ जाने कारण यह मिशन टल गया। नासा ने आखिरकार फ़ैसला किया कि इस क्रॉफ़्ट से अंतरिक्ष यात्रियों का वापस लौटना सुरक्षित नहीं है। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स को यह काम सौंपा जो 2020 से अंतरिक्ष में अपने कू को भेज रहा है। स्टारलाइनर खाली वापस लौटा था लेकिन इसके भविष्य को लेकर अब भी अनिश्चिताएँ थीं। स्टारलाइनर में जब तकनीकी दिक्कतें आईं तो नासा ने कई अन्य संभावित विकल्पों पर विचार किया था। नासा के सहायक प्रशासक केन बोवरसोक्स ने इस महीने की शुरुआत में प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि एक अन्य कैप्सूल भेजने पर विचार किया गया था। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की जगह स्पेस स्टेशन में चार अन्य अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लेने के बाद ही कू-9 की वापसी संभव हो पाई। नासा स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों की अदला-बदली करता रहता है।

अंतरिक्ष में मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी के लिए पोल्याकोव को काफ़ी अहम माना जाता है। 59 साल की विलियम्स ने कहा है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से वे खुश हैं। वह नेवी की रिटायर्ड कैप्टन हैं और इनके पास अंतरिक्ष का विशाल अनुभव है। सुनीता विलियम्स ने भले ही अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी कर ली, लेकिन सामान्य जीवन में वापस आना उनके लिए आसान नहीं होगा। अंतरिक्ष से वापसी के बाद एक मुकम्मल रिकवरी प्रक्रिया से गुज़रना होता है। उनको कैप्सूल से सीधे स्ट्रेचर पर लाया गया और मेडिकल निगरानी में भेज दिया गया। यह एक रूटीन प्रक्रिया है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में फ्लूइड शिफ्ट होने लगते हैं। माइक्रोग्रेविटी वैसी स्थिति है, जब कोई इंसान या वस्तु भारहीन हो जाती है। अंतरिक्ष में चूँकि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री भारहीन हो जाते हैं। माइक्रोग्रेविटी से ग्रेविटी में शरीर का संतुलन बनाना और उसके हिसाब से व्यवहार करना मुश्किल इम्तहान होता है। इसके लिए हर दिन सीधा चलना, सीधा खड़ा होना और शरीर का संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना होता है।

इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष का रेडिएशन पृथ्वी के रेडिएशन से अलग होता है। नासा का कहना है कि पृथ्वी मैग्नेटिक फ़ील्ड से

घिरी है, जिसे मैग्नेटोस्फ़ेयर कहा जाता है और लोगों को अंतरिक्ष के हानिकारक रेडिएशन से सुरक्षा मिलती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ऊँचाई पर होता है तो रेडिएशन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। लंबे समय तक इस स्थिति में रहने के कारण अंतरिक्षयात्री के रेडिएशन से प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को छह महीने रहने के दौरान औसत 80 से 160 मिलिसिवर्ट्स रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह रेडिएशन अलग तरह का होता है। एक मिलिसिवर्ट्स स्पेस रेडिएशन तीन चेस्ट एक्सरे के बराबर होता है। इसकी तुलना में पृथ्वी पर एक व्यक्ति हर साल औसत दो मिलिसिवर्ट्स रेडिएशन का ही सामना करता है।

नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए कू का चुनाव बहुत ही सावधानी से किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद मिशन को कम से कम छह महीने या उससे ज़्यादा समय तक संभाल सकें। अंतरिक्ष में रहने के दौरान व्यवहार में बदलाव, थकान, तनाव और नींद नहीं आना सामान्य बात है।

सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे रखा है। अभियान 14 और 15 के दौरान, उन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन से अधिक समय बिताया, जिससे 2017 तक किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकार्ड स्थापित हुआ। 16 अप्रैल 2007 को विलियम्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन पूरी करके अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनीं। अभियान 32 और 33 के दौरान उन्होंने आई.एस.एस. के प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करके दौड़, साइकिल चलाना और तैराकी करके ट्रायथलॉन का अनुकरण किया और अंतरिक्ष में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली व्यक्ति बनीं। वह अभियान 33 के दौरान आई.एस.एस. की कमान संभालने वाली दूसरी महिला बनीं। जून 2024 में जब उन्होंने बोइंग स्टारलाइनर उड़ाया तो वे किसी कक्षीय मिशन के लिए उड़ान परीक्षण पर अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला बनीं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स निस्संदेह एक महान अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वह प्रेरणा हैं उनके लिए जो लोगों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।



हिन्दी मेरे लिए मेरी त्वचा है

नगेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय



साहित्यिक विषय किसी भौगोलिक दायरे तक सीमित न रहकर, हर उस इंसान से जुड़ता है, जिसके भीतर साहित्यिक चेतना एवं संवेदना की भरमार है। साहित्य के भीतर एक समूचा कालखंड समाहित होता है, यहाँ कोई भी महती समाजिक मुद्दा छूटने की संभावना कम ही होती है। साहित्यकार हर उस विषय पर लिखना पसंद करते हैं, जो उन्हें आंदोलित करता है। समाज के हाशिए पर पड़े एवं वर्षों से वंचित एवं दमित किये गए लोगबाग हर साहित्यकार की रचना के केंद्र बिंदु रहे हैं। हमने इस महिला विशेषांक के लिए जिस साहित्यकार का चयन किया है, उनके साहित्य में महिला के हर रूप का चित्रण व्याप्त है। वह जितनी भारत की हैं, उतनी ही अमेरिका की भी। उनकी लेखनी को भारतीय परिवेश ने सींचा है, तो विदेश की धरती ने अंकुरित होने की पर्याप्त जमीन दी है। रोजगार के लिए उन्होंने विदेशी धरती का चयन किया, पर अपनी लेखनी में भारतीयता एवं भारतवांशियों को संजिदगी के साथ जगह दी है। अपने देश और अपनी भाषा के प्रति उनके लगाव की साक्षात् उदाहरण है उनकी सफल रचनाएं, जिसमें वे जोर-शोर से भारतीय नारी को स्थान देती हैं। उनके हर एक सच को बयां करती हैं। एक बार लेखिका से किसी ने पूछा कि तुम अमेरिका में रहती हो लेकिन हिन्दी में क्यों लिखती हो? उनसे वे बिना सोचे अनायास कह उठती हैं **“हिन्दी तो मेरे लिए वैसे ही है जैसे मेरी त्वचा, मेरी भारतीय त्वचा। जैसे मैं इस त्वचा को अपने से अलग नहीं कर सकती, वैसे ही मैं हिन्दी को अपने अलग नहीं कर सकती।”** शायद गुंथियां सुलझ गयी होंगी कि यह भूमिका नई हिंदी कहानी की शीर्ष लेखिका उषा प्रियम्बदा यानी उषा सक्सेना के लिए गढ़ी गयी है। आइये एक कथाकार, उपन्यासकार एवं अनुवादक के रूप में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने वाली लेखिका के साहित्यिक सफ़र एवं उनके द्वारा उठाए गए ज्वलंत मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं।

नई कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकारों में से एक - उषा सक्सेना का जन्म 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बड़ी कम उम्र में उनके पिता जी के देहांत के बाद, उनकी माता श्रीमती प्रियम्बदा ने परिवार की आर्थिक जिम्मेवारियों को संभाला। उषा प्रियम्बदा की तीन बहनें थीं और वे उनमें सबसे छोटी थीं। विधवा स्वरूपा माता की दर्द, उन्हें शुरु से ही आंदोलित करता रहा है। शायद यह भी एक वजह रही हो कि उन्होंने अपने साहित्य में महिलाओं के दुख-दर्द को पुरजोर से उठाया। उनकी आरंभिक शिक्षा कानपुर में हुई। बचपन से ही साहित्य के प्रति उनका विशेष अनुराग था। अपने स्कूली दिनों में ही उन्होंने शरतचंद्र के समूचे साहित्य को पढ़ डाला। साथ ही, वे अपने गुरु - प्रकाश चंद्र गुप्ता, उपेन्द्रनाथ अश्व आदि साहित्यकारों की कहानियाँ बड़े चाव से पढ़ा करती थीं। इन्हीं दिनों में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत कुछ समय के लिए वहीं अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापन किया। इसी समय उन्होंने 'छुट्टी के दिन', 'जिंदगी और गुलाब के फूल', 'पूर्ति', 'मोहबंध' आदि कहानियों का सृजन किया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तीन साल दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के पश्चात वे फूलब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका की ओर प्रस्थान कर गईं। वहाँ उन्होंने ब्लूमिंगटन इंडियाना में दो वर्ष तक पोस्ट-डॉक्टरल स्टडी की। इसी दौरान वहाँ उनकी मुलाकत भाषाविद श्री किम विल्सन से हुई और आगे चलकर उन्होंने उनसे विवाह किया। वहीं विस्कॉंसिन विश्वविद्यालय, मैडीसन के दक्षिण एशियाई विभाग में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुईं और वहीं रहती हैं। अमेरिका जाकर उन्होंने पहले वर्ष में ही वहाँ के नये परिवेश, नई पुस्तकों और नए विचारों से बहुत कुछ सीखा। वहाँ लिखी गई उनकी पहली कहानी 'वनवास' में एक संकुचित दायरे में रहने वाली भारतीय नारी के सांस्कृतिक संघर्ष की कहानी है। बाद में उन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ कहानियाँ एवं कविताएँ लिखीं, किन्तु उनका अधिक झुकाव अपनी मातृभाषा हिन्दी में लिखने में ही रहा। अपने हिन्दी प्रेम के बारे में वे लिखती हैं **‘हिन्दी ही मेरी भाषा है, और यदि कुछ वर्थकाइल मुझसे लिखा जाएगा, तो हिन्दी में ही।’** अतः अपने परिवेश और देश से कटकर विदेश में रहते हुए उषा प्रियम्बदा भाषा एवं लेखन के माध्यम से भारत के साथ जुड़ी हुई हैं।

लेखिका की कहानी लिखने की शुरुआत कुछ यूँ हुई कि वे अपनी बड़ी बहन के पास इलाहाबाद में रहकर पढ़ती थीं। उनकी बहन के पति, रघुपति सहाय 'फिराक' के छोटे भाई थे। उनके यहाँ साहित्यिक लोगों का काफी आना-जाना था। सुमित्रानंदन पंत, श्रीपत राय और हरिवंश राय बच्चन उनके बहनोई के बड़े अच्छे



मित्र थे। मगर लेखिका हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं, ये कहने के लिए उनकी कहानी भी किसी पत्रिका में छापिए। एक साक्षात्कार के दौरान वे कहती हैं "मैं समझती ही नहीं थी कि मैंने वह स्तर गेन किया है, क्योंकि उस समय तो कृष्णा सोबती जी की 'बादलों के घेरे' चर्चा में थी। मैं तो कुछ कह नहीं सकती थी।" अपना साक्षात्कार रवींद्र त्रिपाठी को देते हुए उषा प्रियम्बदा एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहती हैं **"एक बार 'कहानी' पत्रिका की प्रति आई। उसमें एक कहानी छपी थी तो मैंने श्रीपत राय जी से पूछा कि ये निर्मल वर्मा कौन हैं? उन्होंने कहा कि रामकुमार के छोटे भाई हैं और रामकुमार से मैं मिल चुकी थी। मैंने मन में सोचा कि ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकती हूँ। यह प्रसंग सुनकर निर्मल कहते कि तो ... मैंने तुम्हें कहानीकार बनाया।"** उषा प्रियम्बदा के नाम से उनकी जो पहली कहानी छपी, उसका नाम 'पूर्ति' था, वह 'कल्पना' पत्रिका में छपी थी। उसके बाद से वे उषा प्रियम्बदा के नाम से लिखने लगीं।

अपनी सबसे चर्चित कहानी **'वापसी'** उन्होंने 1957 में लिखी। जब वे भारत में थीं, पर यह 1961 में प्रकाशित हुई, जब वे अमेरिका चली गईं। इस कहानी की खूब चर्चा हिंदी नई कहानी आंदोलन में होती है, यह कहानी उस आंदोलन की बुनियाद में है। 'वापसी' कहानी स्नातक के पाठ्यक्रम में कई जगहों पर है। इसके मुख्य पात्र गजाधर बाबू, जो रिटायर होकर घर आते हैं तो पता चलता है उनके परिवार को उनकी जरूरत ही नहीं, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। यह समस्या अभी हो तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन यह समस्या उस दौर में भी थी। इस कहानी के विषय में एक साक्षात्कार के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या ये समस्या आप आज भी देख पा रही हैं, तब वे कहती हैं **"हाँ, मैंने ऐसा देखा है। ऐसा विदेशों में भी होता है। पत्नी-बच्चे रहते हैं। फिर जब वे लौटकर आते हैं तो उन्हें उनकी जरूरत ही नहीं होती क्योंकि सबने अपनी जिंदगियाँ ऐसी बना ली हैं कि उनका हस्तक्षेप किसी को अच्छा ही नहीं लगता।"** यह कहानी भैरव प्रसाद गुप्त जी के विशेष आग्रह पर लिखी गई थी, वे 'कहानी' पत्रिका के संपादक थे और कहानियों का विशेषांक निकाल रहे थे। लेखिका के पास ये कहानी दो साल से लिखी हुई रखी थी। जिसे वो देकर, अमेरिका के लिए प्रवास पर चली गईं।

एक ओर जहाँ उषा प्रियम्बदा की रचनाओं में संयुक्त परिवार का विघटन दिखता है तो वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन की ऊब और अकेलापन की स्थिति को भी चिह्नित किया गया है। उनके कथा साहित्य में शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति परक मार्मिक चित्र हैं, और आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलापन, ऊब आदि का अंकन करके उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थबोध का परिचय दिया है।

'पचपन खंभे लाल दीवारें' उषा प्रियम्बदा जी का प्रथम और महत्वपूर्ण उपन्यास है। कहानियों में जैसे उनकी 'वापसी' कहानी ने एक रुतबा हासिल किया है, उसी तरह उपन्यासों में 'पचपन खंभे

लाल दीवारें' का भी वैसा ही स्थान है। 1961 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। 'पचपन खंभे लाल दीवारें' की तात्कालिक व्यापक लोकप्रियता का कारण यह था कि उसका कथानक एक मध्यवर्गीय परिवार की एक ऐसी शिक्षित युवती के चरित्र पर केन्द्रित है जो दिल्ली के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक है। पाठकों को यह संदेह था कि कहीं ये उपन्यासकार की निजी जीवन का सत्य तो नहीं। पर ऐसा नहीं था। रचनाएँ वास्तविक जीवन की अविकल प्रस्तुति नहीं होतीं। वे उसकी पुनर्रचना होती हैं, जिसमें रचनाकार यथार्थ का नहीं अपने भावों और कल्पनाओं के जरिए यथार्थ की संभावना का सृजन करता है। जिन घरों में लड़कों के अभाव में घर की आय का मुख्य स्रोत बड़ी बेटी होती है, उसके जीवन में विवाह के संबंध में दूर-दूर तक कोई भी बात नहीं होती। सुषमा, उपन्यास की नायिका इसी दर्द से पीड़ित एक स्त्री है जिसने पूरे घर को अपने अर्थोपार्जन के जरिए संभाल कर रखा है। सुषमा के बिना इस परिवार की खुशहाल जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुषमा की पीड़ा उस स्त्री की पीड़ा है जो हर भारतीय की तरह एक सुखी, सुरक्षित, प्यारे से विवाहित जीवन का सपना पालती है। इस सपने को पूरा करने के विकल्प कई बार सुषमा के जीवन में आते हैं पर वह विकल्प सामने होने पर भी चुनाव के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाती है। एक आत्मनिर्भर स्त्री के रूप में सुषमा सफल है।

वर्ष 1967 में प्रकाशित **'रुकोगी नहीं राधिका'** उषा प्रियम्बदा जी का दूसरा चर्चित उपन्यास है और सही अर्थों में आधुनिकता बोध को समेटे हुए है। यह उपन्यास प्रवासी भारतीयों पर आधारित है जो कुछ वर्षों या कई वर्षों तक विदेश में रह लेने के बाद पुनः अपने घर यानी भारत आना चाहते हैं लेकिन जब वह आते हैं तब यहां उनके लिए कोई स्थान बचा नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति उन लोगों से दूर हो जाता है जिनके बहुत करीब रहता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है पर वह झुकता नहीं है, रुकता नहीं है और अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ता रहता है। यह लघु उपन्यास प्रवासी भारतीयों की मानसिकता में गहरे उतरकर बड़ी संवेदनशीलता से परत-दर-दर उनके असमंजस को पकड़ने का सार्थक प्रयास है। स्वदेश में अनिश्चितता और सारहीनता का एहसास, वापसी पर परिवार के बीच होने वाले अनुभव, जैसे मुँह में 'कड़वा - सा स्वाद' छोड़ देते हैं। यह अनुभव विदेश में पहले 'कल्चरल शॉक' और स्वदेश में लौटने पर 'रिवर्स कल्चरल शॉक' से गुजरती नायिका को कुछ ऐसा महसूस करने पर बाध्य कर देता है- "मेरा परिवार, मेरा परिवेश, मेरे जीवन की अर्थहीनता और मैं स्वयं जो होती जा रही हूँ, एक भावनाहीन पुतली - सी।" प्रस्तुत उपन्यास में उस टीस, पीड़ा, दर्द को दिखाया गया है। जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ अकेला ही नहीं महसूस करता है। जब वह कहीं बाहर से आता है तो वह परिवार में उपेक्षित भी महसूस करता है।

उषा प्रियम्बदा का एक और चर्चित उपन्यास **'अंतर्वशी'** है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2000 में हुआ था। इस उपन्यास के नामकरण पर



नामवर सिंह जी ने जब कथाकार से पूछा कि तुमने इसका नाम अंतर्वंशी क्यों रखा है ? तब वे कहती हैं कि "अज्ञेय जी के 'अरे यायावर रहेगा याद' में एक पंक्ति है कि 'सुन रहे हो / सुन रही हो हृदय की वंशी !' तो यह अन्तः की वंशी है ।" जैसे सूरदास की गोपियों कृष्ण की वंशी की आवाज के पीछे घर-बार छोड़कर आवाज के पीछे चल देती हैं । उन्हें समाज का कोई ख्याल नहीं आता । उसी तरह उपन्यास की मुख्य पात्रा वाना के साथ होता है । एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़कर वो गोपियों की तरह अपने अंदर की आवाज सुनती है ।

इसी क्रम में वर्ष 2013 में प्रकाशित उनका 'नदी' उपन्यास है । जिसकी नायिका गंगा के पति डॉ. गगनेन्द्र सिन्हा एक तुनुक मिजाज और बेहद शक्की किस्म के इन्सान थे । उन्हें अपनी सुन्दर एवं वाचाल पत्नी का किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं था । विदेश में रहते हुए गंगा अपनी दोनों बेटियों झरना और सपना के साथ खुश थी । बेटे के जन्म के बाद तो गंगा की खुशियाँ दोगुनी हो गयीं । वह स्वयं उसका नाम 'भविष्य' रखती है किंतु उसके पांच वर्षीय बेटे की मृत्यु हो जाती है जिसका सारा दोष डॉ. सिन्हा गंगा के सिर मढ़ देते हैं और गंगा जब अपनी सौतेली बहन से मिलने वाशिंगटन जाती है तब डॉ. सिन्हा घर बेच कर बेटियों सहित भारत आ जाते हैं । पति और बच्चों के बिना अकेली और असहाय बनी गंगा का विदेशी धरती पर अकेले गुजर करना आसान न था । लेखिका की नायिका किसी भी परिस्थिति में जीवन से हार मानना नहीं स्वीकारती है ।

'अर्कदीप्त' उषा प्रियवंदा का यह उपन्यास वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ है । प्रेम, आत्मा और देह में एकमयता की एक खोज, इन सब से मिलकर रचा गया यह उपन्यास 'अर्कदीप्त' । जिसकी शुरुआत में बचपन की बातें यूँ लिखी गयी हैं, जैसे अपने घर-पड़ोस की बातें हो रही हों । संयुक्त परिवार और उसकी खट्टी-मीठी जिंदगी । एक जगह उपन्यास का नायक अर्कदीप्त गाय-भैंस से एकांत में कहता है मैं फर्स्ट आ गया । उसके बाद उनका रात भर रंभाने का चित्रण और फिर अनुगूँज में उभरता आर्तनाद, सब बहुत मार्मिकता पूर्ण है । यह उपन्यास भारत, जर्मनी, डेनमार्क और अमेरिका जैसे विभिन्न स्थानों में फैला है और कई पात्रों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है । इस रचना के लिए लेखिका को आजतक साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान मिला है ।

उषा जी का योगदान अनुवाद में भी रहा है । उन्होंने अमेरिका में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सूरदास का अनुवाद किया था, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए साहित्य अकादमी ने छापा था । वह पुस्तक 1970-72 के बाद लोप हो गई । मगर अभी भी उसका पाइरेटेड वर्जन अमेरिका में अमेजन पर है । वह लगभग 50 डालर का है ।

उनकी रचनाओं को विभिन्न मंचों पर सराहा गया । उनकी चर्चित कहानी 'वापसी' पर आधारित लघु धारावाहिक एवं टेलीफिल्म भी बनी है । उनके साहित्यिक योगदान को ध्यान में रखते हुए, उन्हें



प्रेमचंद पुरस्कार वर्ष 1976 में दिया गया । उनकी बढ़ती हुई साहित्यिक ख्याति को देखते हुए उन्हें वर्ष 2009 में पद्मभूषण तथा मोदुरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया गया । पद्मभूषण पुरस्कार उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल के कर कमलों से ग्रहण किया ।

एक सुखद खबर है । हंस पत्रिका के लिए रवींद्र त्रिपाठी को साक्षात्कार देने के दौरान लेखिका ने बताया है कि अभी वे एक लघु उपन्यास लिख रही हैं, जिसकी नायिका पचपन वर्ष की है । नाम के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है । पर उस उपन्यास के मूल में क्या है, उसकी जानकारी देते हुए लेखिका कहती हैं "उसमें ये है कि हमारे समाज में एक आयु के बाद स्त्री को केवल दादी, केवल नानी समझकर उसे अलग कर दिया जाता है । उसमें कोई प्रेम की या किसी संबंध की कामना हो सकती है यह न वह स्त्री सोचती है, न समाज सोचता है । अगर एक स्त्री में यह जागृति आती है कि वह विधवा है और उसे एक पुरुष का साथ चाहिए तो उसका यह ऊहापोह.. सब लिखा जा रहा है ।" बहुत जल्द हमें एक और उम्दा विषय पर कुछ बढ़िया पढ़ने को मिलेगा ।

आपके पाठकों को आपकी नई रचनाओं की सदैव प्रतीक्षा रहेगी । कामना है कि आप स्वस्थ व दीर्घायु रहें और इसी तरह समाज और महिला विषयक ज्वलंत मुद्दों को विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से उठाती रहें ।

आइये साहित्य की विभिन्न विधाओं में दिए उनके योगदान से रूबरू होते हैं –

कहानी संग्रह : वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल(1961), एक कोई दूसरा(1966), फिर वसंत आया (1961), कितना बड़ा झूठ (1972)

उपन्यास : पचपन खंभे लाल दीवारे (1961), रुकोगी नहीं राधिका (1967), शेषयात्रा (1984), अंतर्वंशी (2000), भया कबीर उदास (2007), नदी (2013), अर्कदीप्त (2023)



बदलता वैश्विक भूगोल और मानव जीवन की चुनौतियाँ

नेहा कुमारी, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय राँची

21वीं सदी में मानव सभ्यता ने विज्ञान, तकनीक, परिवहन, संचार और जीवनशैली के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। परंतु इस प्रगति का एक बड़ा प्रभाव हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक भूगोल पर भी पड़ा है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, और मानवीय हस्तक्षेपों ने पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप में तेजी से परिवर्तित किया है। इन परिवर्तनों ने मानव जीवन के समक्ष कई गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं, जिनका समाधान करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।

बदलता वैश्विक भूगोल: एक परिचय

भूगोल केवल धरती की सतह का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह धरातलीय स्वरूप, जलवायु, संसाधनों और मानवीय क्रियाकलापों के परस्पर संबंधों को भी समझाता है। वैश्विक भूगोल में परिवर्तन का आशय उन भौगोलिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों से है, जो पृथ्वी की संरचना और मानव जीवन के संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं।

मुख्य परिवर्तनकारी तत्व:

- ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के स्तर में वृद्धि
- वनों की कटाई और जैव विविधता में हास
- शहरीकरण और औद्योगीकरण का प्रसार

जलवायु परिवर्तन: वैश्विक भूगोल में सबसे बड़ा कारक

जलवायु परिवर्तन वर्तमान वैश्विक भूगोल के बदलने का प्रमुख कारण है। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि, मानसूनी पैटर्न में बदलाव, और मौसम की चरम घटनाएँ (heatwaves, cyclones, droughts) आज सामान्य होती जा रही हैं।

प्रभाव:

- कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न होता है
- जल स्रोतों पर दबाव और जलवायु आधारित चुनौती तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन

वन केवल पर्यावरण का अंग नहीं, बल्कि वैश्विक पारिस्थितिकी का स्तंभ हैं। वनों की कटाई और जैव विविधता का हास, पारिस्थितिक संतुलन को भंग कर रहा है।

कारण:

- कृषि विस्तार
- शहरीकरण
- खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ

परिणाम:

- विलुप्त होती प्रजातियाँ
- मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि
- जलवायु संतुलन में बाधा
- पारंपरिक आजीविका पर प्रभाव

रेगिस्तानीकरण और भूमि क्षरण

भूमि क्षरण, मिट्टी की उर्वरता में कमी और रेगिस्तानीकरण का प्रसार, विशेषकर भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तेजी से हो रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं – जल प्रबंधन की कमी, अत्यधिक चराई, और असंतुलित कृषि।

प्रभाव:

- खाद्य सुरक्षा पर संकट
- ग्रामीण गरीबी और पलायन
- पारिस्थितिकी तंत्र का नाश

शहरीकरण और औद्योगीकरण का प्रभाव तेजी से हो रहा अनियंत्रित शहरीकरण और भारी औद्योगीकरण ने भूमि उपयोग की प्रकृति को बदल दिया है। हरियाली और जल निकायों की जगह कंक्रीट के जंगल बन गए हैं।

परिणाम:

- प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि)
- जलभराव और शहरी बाढ़
- कचरा प्रबंधन की समस्या
- गरीबों की झुगियाँ और सामाजिक असमानता
- प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि

बदलते वैश्विक भूगोल का परिणाम यह भी है कि अब प्राकृतिक आपदाएँ – जैसे चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़ और सूखा – अधिक तीव्र और घातक होती जा रही हैं।

प्रभाव:

- स्वास्थ्य संकट
- पुनर्वास और आपदा प्रबंधन की जटिलताएँ
- जनसंख्या विस्थापन और प्रवास

बदलते जलवायु और भूगोल के कारण कई क्षेत्रों में रहना असंभव हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवास और विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह न केवल मानवीय संकट है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तनाव का भी कारण है।

समाधान और संभावनाएँ

बदलते वैश्विक भूगोल को एक चुनौती की तरह नहीं, एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है – बशर्ते हम इसके प्रति सजग हों और सामूहिक प्रयास करें।

1. पर्यावरणीय नीतियाँ और वैश्विक संधियाँ

- पेरिस समझौता: जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए वैश्विक संकल्प।
- सतत विकास लक्ष्य: 2030 तक मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की दिशा।
- कार्बन उत्सर्जन में कटौती: नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन बिल्डिंग आदि के माध्यम से समाधान की खोज।

2. पारिस्थितिक शिक्षा और जनजागरूकता

- जलवायु शिक्षा को विद्यालयों और कॉलेजों में अनिवार्य किया जाए।
- लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को समझने और कम करने की प्रेरणा दी जाए।

3. तकनीकी समाधान और नवाचार

- स्मार्ट कृषि, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार।
- जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग आपदा प्रबंधन और योजना निर्माण में।

4. स्थानीय समुदायों की भागीदारी

- पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समाधानों को अपनाना।
- ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को संरक्षण और पुनर्स्थापन योजनाओं में शामिल करना।

5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नीति समन्वय

- जलवायु प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा।
- सीमापार पर्यावरणीय मुद्दों पर साझा नीति और प्रयास।

निष्कर्ष

बदलता वैश्विक भूगोल एक सच्चाई है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके प्रभाव व्यापक, बहुस्तरीय और दीर्घकालिक हैं, जो सीधे-सीधे मानव अस्तित्व से जुड़े हैं। यदि हम समय रहते नहीं चेते, तो भविष्य की पीढ़ियाँ हमें क्षमा नहीं करेंगी। लेकिन यदि हम अभी से पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाएँ, तो यह परिवर्तन हमारी स्थायी प्रगति और विश्व शांति का आधार बन सकता है।



भाषा और पहचान: बांग्ला भाषा आंदोलन की विरासत

सोमशुभ्र बनर्जी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली

परिचय

भाषा किसी भी समाज की आत्मा, चेतना और सांस्कृतिक पहचान का मूल स्तंभ होती है। यह केवल संवाद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि विचारों, परंपराओं, भावनाओं और ऐतिहासिक अनुभवों की अभिव्यक्ति का सशक्त उपकरण है। जब किसी समुदाय की मातृभाषा पर संकट आता है, तो वह केवल शब्दों की रक्षा का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि पूरे अस्तित्व, अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा का संग्राम बन जाता है। बांग्ला भाषा आंदोलन इसी भावना का जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें लोगों ने अपनी भाषा और पहचान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। यह आंदोलन मात्र एक भाषाई संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और राजनीतिक आत्मनिर्णय की भावना का प्रतीक बनकर उभरा। इसकी पृष्ठभूमि में निहित बलिदान और संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाषा के बिना कोई समाज पूर्ण नहीं होता।

1. भाषा और सांस्कृतिक पहचान का संबंध

भाषा किसी समाज की सबसे मौलिक और गहन अभिव्यक्ति होती है। यह केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक समुदाय की सामूहिक स्मृति, भावनाओं, परंपराओं और अनुभवों का संग्रह होती है। भाषा के माध्यम से हम न केवल अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, बल्कि हम अपनी पहचान, अपने इतिहास, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपने मूल्य भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं।

हर भाषा अपने भीतर एक विशेष जीवन-दृष्टि को समेटे होती है। उसमें लोक कथाएँ, कहावतें, मुहावरे, पारंपरिक ज्ञान, त्योहारों की अभिव्यक्ति और सामाजिक व्यवहार की गहराई छिपी होती है। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने पूरे सांस्कृतिक अनुभव को जीवंत करते हैं। यही कारण है कि भाषा किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक अस्मिता का मूल आधार होती है।

जब किसी समुदाय की भाषा को दबाया जाता है या उसके प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है, तो यह केवल संप्रेषण की स्वतंत्रता पर हमला नहीं होता, बल्कि उस समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, आत्मसम्मान और ऐतिहासिक चेतना पर भी सीधा प्रहार होता है। भाषा के खो जाने से संस्कृति भी धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा संस्कृति संरक्षित और संप्रेषित होती है।

उदाहरण के लिए, किसी जनजाति की भाषा में पेड़-पौधों, ऋतुओं, पशु-पक्षियों या उपचार की पारंपरिक विधियों के लिए विशिष्ट शब्द होते हैं। यदि वह भाषा नष्ट हो जाती है, तो इन सभी ज्ञानों की भी हानि होती है। इसीलिए भाषा की रक्षा करना केवल भावनात्मक या शैक्षणिक आवश्यकता नहीं है, यह सांस्कृतिक विविधता और मानव सभ्यता की बहुलता को बचाए रखने का कार्य है।

इसके साथ ही, भाषा व्यक्ति को एक सामाजिक पहचान भी देती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है, सोचता है और संवाद करता है, तो उसमें आत्मविश्वास, गर्व और सामाजिक जुड़ाव की भावना प्रबल होती है। दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात करने से झिझकने लगता है या उसे हीन समझता है, तो उसके भीतर एक सांस्कृतिक विस्मृति जन्म लेती है।

अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भाषा और सांस्कृतिक पहचान

एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां भाषा होती है, वहीं संस्कृति फलती-फूलती है। और जहां संस्कृति है, वहां भाषा अपना अस्तित्व पाती है। इस संबंध को समझना और उसका सम्मान करना हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी मूल भावना ने बांग्ला भाषा आंदोलन जैसे ऐतिहासिक संघर्षों को जन्म दिया, जहाँ भाषा की रक्षा को अपने अस्तित्व की रक्षा समझा गया।

2. बांग्ला भाषा आंदोलन की पृष्ठभूमि

बांग्ला भाषा आंदोलन की पृष्ठभूमि 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों में निहित है। जब ब्रिटिश शासन का अंत और भारत का विभाजन हुआ, तब धार्मिक आधार पर दो राष्ट्र अस्तित्व में आए — भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों में बँटा हुआ था: पश्चिमी पाकिस्तान (आज का पाकिस्तान) और पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश)। यद्यपि दोनों हिस्से एक ही देश के अंग थे, लेकिन इनकी भाषाएँ, संस्कृतियाँ, सामाजिक संरचनाएँ और जीवनशैली भिन्न-भिन्न थीं।

पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा — लगभग 56% — बांग्ला भाषी था। यह स्पष्ट था कि बांग्ला भाषा यहाँ के लोगों की मातृभाषा, सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र थी। इसके विपरीत, पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी भाषाएँ प्रमुख थीं। जब पाकिस्तान की नई सरकार बनी, तो उसने 1948 में यह घोषणा की कि "उर्दू ही पूरे पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होगी।" यह निर्णय न केवल पूर्वी पाकिस्तान की जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध था, बल्कि यह एक तरह से बहुसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और पहचान को दरकिनार करने का प्रयास था।

यह फैसला पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी नागरिकों के लिए एक गहरे आघात जैसा था। वे इसे केवल भाषाई अन्याय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दमन और पहचान के संकट के रूप में देखने लगे। यह भावना इस कारण और भी तीव्र हुई क्योंकि बांग्ला न केवल संख्यात्मक रूप से प्रमुख भाषा थी, बल्कि इसका साहित्य, कला, संगीत और बौद्धिक परंपरा भी अत्यंत समृद्ध थी। रवींद्रनाथ टैगोर जैसे विश्वविख्यात कवि इसी भाषा की देन थे। फिर भी, सरकार द्वारा बांग्ला भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता न देना पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को अपमानजनक और भेदभावपूर्ण प्रतीत हुआ।

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक कार्यों, शिक्षा व्यवस्था, मुद्रा और सरकारी संस्थाओं में भी उर्दू को अनिवार्य रूप से लागू करने की कोशिशें की गईं। यह स्थिति धीरे-धीरे पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष, क्षोभ और विरोध की भावना को जन्म देने लगी। छात्र, शिक्षक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार और आम नागरिक इस भाषा-भेदभाव के विरुद्ध संगठित होने लगे।

यहीं से बांग्ला भाषा आंदोलन की नींव पड़ी। यह केवल एक भाषाई अधिकार की मांग नहीं थी, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक संघर्ष था — अपनी अस्मिता, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा का संघर्ष। यह आंदोलन भविष्य में न केवल भाषा को सम्मान दिलाने का माध्यम बना, बल्कि धीरे-धीरे इसने पूर्वी पाकिस्तान में एक स्वतंत्र राष्ट्र की चेतना को भी जन्म देना शुरू किया।

इस पृष्ठभूमि को समझे बिना बांग्ला भाषा आंदोलन की गहराई और उसकी ऐतिहासिक महत्ता को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। यह



उस दौर की एक ज्वलंत मिसाल है, जहाँ सत्ता की भाषा थोपने की कोशिशों के विरुद्ध जनसामान्य ने अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई और उसे आंदोलन का रूप दिया। यह वही बीज था, जो आगे चलकर बांग्लादेश की आज़ादी के वटवृक्ष में बदल गया।

3. आंदोलन की शुरुआत और व्यापकता (1948-1952)

1948 में जैसे ही पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को देश की एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित किया, पूर्वी पाकिस्तान की जनता में आक्रोश फैल गया। इस घोषणा ने खासतौर पर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और बौद्धिक वर्ग में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। ढाका विश्वविद्यालय इसके केंद्र में था, जहाँ के छात्र और शिक्षक इस भाषायी अन्याय के खिलाफ सबसे पहले उठ खड़े हुए।

23 फरवरी 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए यह दोहराया कि "उर्दू और केवल उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा होगी।" यह बयान आग में घी डालने जैसा था। छात्रों और युवाओं को यह साफ़ दिखने लगा कि उनकी भाषा, संस्कृति और अस्तित्व को व्यवस्थित रूप से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी के विरोध में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने 1948 में "तमदुन मजलिस" (Tamaddun Majlish) नामक एक संगठन का गठन किया, जिसने सबसे पहले संगठित रूप में बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग उठाई। इसी संगठन ने "राष्ट्रभाषा संघर्ष परिषद" की स्थापना की, जिसने पूरे आंदोलन को दिशा और नेतृत्व दिया।

1948 से 1952 तक के चार वर्षों में आंदोलन धीरे-धीरे एक स्थानीय विरोध से बढ़कर पूरे पूर्वी पाकिस्तान का जनांदोलन बन गया। इसमें छात्र संगठनों के साथ-साथ आम नागरिक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जगह-जगह सभाएँ, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। बांग्ला भाषा में शिक्षा और प्रशासन की मांग ने ज़मीन पकड़नी शुरू कर दी।

सरकार की ओर से बार-बार आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई — प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, सभाओं पर पाबंदी लगाई गई, और भाषाई नेताओं को नजरबंद किया गया। लेकिन हर दमन के बाद आंदोलन और अधिक मज़बूत होकर उभरता रहा। यह संघर्ष अब केवल भाषा का नहीं रहा, बल्कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा का प्रतीक बन गया।

4. 21 फरवरी 1952: बलिदान का दिन

21 फरवरी 1952 का दिन बांग्ला भाषा आंदोलन का सबसे निर्णायक और भावनात्मक क्षण था। इस दिन की घटनाएँ न केवल आंदोलन के इतिहास में, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भाषाई और सांस्कृतिक संघर्षों में एक अमिट छाप छोड़ गईं।

इससे पहले, सरकार ने 20 फरवरी 1952 को धारा 144 लागू कर दी थी, जिसके तहत किसी भी प्रकार की सभा या जुलूस पर रोक लगा दी गई थी। इसका उद्देश्य था — आंदोलन को दबाना और छात्रों को डराकर घरों में रोक देना। लेकिन आंदोलनकारी छात्र झुके नहीं। वे जानते थे कि यदि वे आज चुप रह गए, तो उनकी भाषा सदा के लिए हाशिए पर चली जाएगी।

21 फरवरी की सुबह, ढाका विश्वविद्यालय, जगन्नाथ कॉलेज और अन्य संस्थानों के छात्र एकत्र हुए। उन्होंने सरकार की पाबंदी को तोड़ते हुए जुलूस निकाला और नारे लगाए — "हमारी मातृभाषा बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाओ!" जैसे ही यह जुलूस विश्वविद्यालय से आगे बढ़ा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। हालात तनावपूर्ण होते गए।

अचानक, पुलिस ने भीड़ पर गोलियाँ चला दीं। इस बर्बर गोलीबारी में

सलाम, रफीक, जब्बार, शफीक और बरकत जैसे युवा छात्र वीरगति को प्राप्त हुए। वे अपने जीवन की आहुति देकर बांग्ला भाषा की अस्मिता की रक्षा के लिए अमर हो गए।

इनकी शहादत ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। ढाका की सड़कों पर मातम छा गया, लेकिन साथ ही एक नई चेतना भी जाग उठी। यह घटना आंदोलन का मोड़ बन गई — अब यह केवल एक भाषाई आंदोलन नहीं रहा, बल्कि यह "शहादत" का आंदोलन बन गया, जिसकी नींव शहीदों के खून से सनी थी।

21 फरवरी को रातों-रात ढाका मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने एक स्मृति स्तंभ की नींव रखी — जो आगे चलकर "शहीद मीनार" के रूप में जाना गया। यह स्तंभ बांग्ला भाषा के लिए दिए गए बलिदान और संघर्ष की अमर निशानी बना।

इन शहीदों की स्मृति में ही 21 फरवरी को आज "अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस" के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है।

यह दिन एक ऐतिहासिक साक्ष्य है कि जब मातृभाषा पर संकट आता है, तो लोग जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। इन वीरों ने न केवल बांग्ला को अधिकार दिलाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भाषा की लड़ाई, आत्मा की लड़ाई होती है — और आत्मा को कुचला नहीं जा सकता।

5. आधिकारिक मान्यता और राजनीतिक प्रभाव

बांग्ला भाषा आंदोलन की निरंतरता और 1952 में हुए बलिदानों ने सरकार पर गहरा दबाव बनाया। जनाक्रोश इतना व्यापक और दृढ़ था कि इसे नज़रअंदाज़ करना किसी भी राजनीतिक सत्ता के लिए असंभव हो गया। अंततः आंदोलन की आवाज़ को सुनने के लिए पाकिस्तान सरकार को बाध्य होना पड़ा।

1956 में पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर यह ऐतिहासिक घोषणा की गई कि उर्दू के साथ-साथ बांग्ला को भी पाकिस्तान की "राष्ट्रीय भाषा" का दर्जा दिया जाएगा। यह आंदोलनकारियों की एक बड़ी जीत थी, और एक ऐसे देश में जहाँ भाषायी बहुलता को नकारने की कोशिश हो रही थी, वहाँ एक भाषाई पहचान को संवैधानिक मान्यता मिलना ऐतिहासिक घटना थी।

हालांकि, यह आधिकारिक मान्यता केवल एक प्रतीकात्मक जीत थी। असल में बांग्ला भाषा को प्रशासन, न्यायपालिका, और उच्च शिक्षा में समुचित स्थान नहीं मिला। सरकार ने केवल दबाव में आकर यह निर्णय लिया, लेकिन व्यवहार में उर्दू को ही प्राथमिकता दी जाती रही। यही कारण था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में यह भावना बनी रही कि उन्हें भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है।

राजनीतिक रूप से, इस आंदोलन ने बांग्ला समाज में एकजुटता और चेतना को जन्म दिया। यह पहला अवसर था जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने संगठित रूप से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल भाषाई नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है।

बांग्ला भाषा आंदोलन ने आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक आंदोलनों और दलों को प्रेरणा दी — खासकर "आवामी लीग" जैसी पार्टी को, जो आगे चलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता की अगुवाई करेगी। इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि भाषा के मुद्दे को अनदेखा करना किसी राष्ट्र की एकता के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

6. बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से संबंध

बांग्ला भाषा आंदोलन केवल भाषाई अधिकारों तक सीमित नहीं रहा।



इसने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जिसने अंततः पूरे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया।

भाषा आंदोलन ने लोगों को यह सिखाया कि यदि वे संगठित रहें, तो सत्ता के किसी भी दमन का सामना कर सकते हैं। इस आंदोलन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में "बंगाली अस्मिता" की भावना प्रबल हो गई। लोगों ने यह महसूस किया कि उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक पहचान पश्चिमी पाकिस्तान से भिन्न है और उसे बार-बार दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

1960 और 70 के दशक में यह विभाजन और अधिक स्पष्ट हुआ, जब पूर्वी पाकिस्तान की जनता को लगा कि उनकी भाषा, संसाधन और राजनीतिक अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। बांग्ला भाषा आंदोलन ने एक सामाजिक चेतना का निर्माण किया, जिसकी परिणति 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हुई।

इस आंदोलन ने मुक्ति संग्राम को वैचारिक आधार प्रदान किया। स्वतंत्रता की माँग केवल भौगोलिक या राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक स्वाभिमान की माँग थी। लोग यह मानने लगे थे कि जब तक वे एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन जाते, उनकी भाषा और पहचान को सम्मान नहीं मिलेगा।

1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ — और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसकी नींव 1952 के भाषा आंदोलन में ही रखी जा चुकी थी। जिन छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जान दी, वे बांग्लादेश के निर्माण की आत्मा बन गए।

7. अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा

21 फरवरी 1952 की शहादत न केवल बांग्लादेश, बल्कि समूचे विश्व के लिए एक प्रेरणादायक प्रतीक बन गई। भाषा के अधिकार के लिए जान देने वाले इन युवाओं की स्मृति में बांग्लादेश में इस दिन को हर साल "शहीद दिवस" के रूप में मनाया जाने लगा।

लेकिन यह विषय केवल बांग्ला भाषियों तक सीमित नहीं था। यह एक वैश्विक संदेश था कि हर भाषा, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, मनुष्य की अस्मिता और अभिव्यक्ति का मूल आधार है।

इसी भावना को सम्मान देने के लिए, बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि 21 फरवरी को "अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस" के रूप में मान्यता दी जाए।

17 नवम्बर 1999 को यूनेस्को ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि 21 फरवरी को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह विश्व स्तर पर भाषाई विविधता, मातृभाषा के संरक्षण और भाषाई अधिकारों के समर्थन का प्रतीक बन गया।

आज यह दिन दुनिया के अनेक देशों में मनाया जाता है — भाषाओं की रक्षा, उनके संवर्धन और सम्मान के लिए संगोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषाई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

यह घोषणा बांग्ला भाषा आंदोलन के उस महान बलिदान की वैश्विक मान्यता है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भाषा की रक्षा केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक मानवाधिकार का मुद्दा है।

8. भारत में बांग्ला भाषा का योगदान

बांग्ला भाषा का भारत में योगदान केवल साहित्य या संस्कृति तक सीमित

नहीं है, बल्कि यह भाषा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज-सुधार आंदोलनों, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और कला के हर क्षेत्र में गहराई से जुड़ी हुई है। बांग्ला न केवल भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है, बल्कि भारतीय चेतना, आत्मा और बौद्धिकता का एक जीवंत स्तंभ भी रही है।

i. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

बांग्ला भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रवींद्रनाथ ठाकुर (टैगोर), बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मातंगिनी हाजरा जैसे महानायक बांग्ला की भूमि से निकले और बांग्ला भाषा के माध्यम से ही अपनी क्रांति और विचारों को जन-जन तक पहुँचाया।

'आनंदमठ' के लेखक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने "वन्दे मातरम्" जैसी रचना दी, जो भारत के राष्ट्रवाद की आत्मा बन गई। यह गीत बांग्ला में लिखा गया था और स्वतंत्रता आंदोलन का युद्धघोष बना।

रवींद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता को वैश्विक दृष्टि और सांस्कृतिक गहराई दी। "जन गण मन", जो आज भारत का राष्ट्रगान है, मूलतः बांग्ला में रचित था।

ii. साहित्य और संस्कृति में योगदान

बांग्ला भाषा भारत की सबसे समृद्ध साहित्यिक परंपराओं में से एक है। इसने कविता, उपन्यास, नाटक और लघुकथाओं में उत्कृष्टता की नई ऊँचाइयों को छुआ।

रवींद्रनाथ ठाकुर, जो एशिया के पहले नोबेल विजेता बने, ने बांग्ला साहित्य को विश्व मंच पर स्थापित किया।

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी कहानियाँ 'देवदास', 'परिणीता', 'बिंदुर छेले' इत्यादि, आज भी भारतीय सिनेमा और पाठकों के हृदय में जीवित हैं, उन्होंने सामाजिक यथार्थ को मानवीय संवेदना से जोड़ा।

सुकुमार राय, काजी नजरुल इस्लाम, जिनबानंद दास, सत्यजीत रे जैसे लेखकों-कवियों-निर्देशकों ने बांग्ला भाषा को बाल साहित्य, विज्ञान कथा, और सामाजिक फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में अविस्मरणीय योगदान दिया।

iii. समाज-सुधार और शिक्षा में योगदान

बांग्ला पुनर्जागरण (Bengal Renaissance) में बांग्ला भाषा ने एक माध्यम की भूमिका निभाई, जिसने भारतीय समाज को आधुनिकता, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की ओर अग्रसर किया।

राजा राममोहन राय ने बांग्ला और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग कर सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वासों के खिलाफ जनजागरण किया।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिनका नाम शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए स्वर्णक्षरों में लिखा जाता है, ने बांग्ला में स्कूली पुस्तकों और व्याकरण की रचना की।

iv. आधुनिक विज्ञान, सिनेमा और पत्रकारिता में योगदान

बांग्ला भाषा विज्ञान लेखन में भी पीछे नहीं रही। कई बांग्ला लेखकों ने जटिल वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुँचाया।

बहुभाषी प्रतिभा के धनी सत्यजीत रे ने बांग्ला में 'फेलुदा' और 'प्रोफेसर शॉकु' जैसी वैज्ञानिक और जासूसी कहानियाँ लिखीं, जिनसे बांग्ला में विज्ञान कथा की एक नई परंपरा शुरू हुई।

बांग्ला भाषा में पत्रकारिता और संपादकीय लेखन की परंपरा भी समृद्ध रही है। 'आनंदबाजार पत्रिका' जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने भारतीय पत्रकारिता को नई दिशा दी।



v. सांस्कृतिक समन्वय और भाषाई सौहार्द

बांग्ला भाषा ने भारत के विविध सांस्कृतिक समुदायों के बीच सांस्कृतिक पुल का काम किया है। भारत में बांग्ला संस्कृति ने रवींद्र संगीत, दुर्गा पूजा, काली पूजा, नाटक, और लोकगीतों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया।

भारत के कई राज्यों जैसे झारखंड, त्रिपुरा, असम और ओडिशा में रहने वाले बांग्ला समुदायों ने अपनी भाषा के ज़रिए स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों से भी संवाद स्थापित किया है।

पश्चिम बंगाल के अलावा भी बांग्ला भाषा एक सजीव सांस्कृतिक धारा बन कर बहती रही है।

9. समकालीन संदर्भ में आंदोलन की प्रासंगिकता

बांग्ला भाषा आंदोलन केवल एक ऐतिहासिक संघर्ष नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिसने यह साबित किया कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, आत्मसम्मान और संस्कृति की आत्मा होती है। आज जब हम 21वीं सदी में वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, और एकीकृत बाज़ारों की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी यह आंदोलन हमें कई तरह से मार्गदर्शन और चेतावनी देता है।

i. भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक अधिकार

वर्तमान समय में अनेक भाषाएँ विलुप्ति के कगार पर हैं। यूनेस्को के अनुसार, हर दो सप्ताह में एक भाषा दुनिया से लुप्त हो जाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ संविधान में 22 भाषाएँ अनुसूचित हैं और हजारों बोलियाँ जीवित हैं, वहाँ भाषा की अस्मिता का प्रश्न आज भी जीवंत है।

बांग्ला भाषा आंदोलन हमें यह सिखाता है कि किसी समुदाय की भाषा पर हमला, उसकी संस्कृति और अस्तित्व पर आक्रमण के समान होता है। आज जब कई क्षेत्रीय भाषाएँ हाशिये पर धकेली जा रही हैं या अंग्रेज़ी के वर्चस्व के आगे दब रही हैं, तब यह आंदोलन एक प्रेरणा और चेतावनी दोनों बनकर उभरता है।

ii. भाषाई समावेशिता बनाम जबरदस्ती थोपना

आज भी भारत के कई हिस्सों में भाषा विशेष को थोपे जाने को लेकर विवाद उठते रहते हैं। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा एक ज्वलंत मुद्दा है।

बांग्ला भाषा आंदोलन यह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष यदि भाषा थोपने का प्रयास करे, तो उसका सामना प्रतिरोध से होता है। इस आंदोलन के बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि एक बहुलतावादी समाज में भाषाई विविधता को स्वीकृति, समान अवसर और सम्मान देना अनिवार्य है।

iii. शिक्षा और प्रशासन में मातृभाषा की भूमिका

आज भी भारत के कई हिस्सों में बच्चे अपनी मातृभाषा की जगह दूसरी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता, भावनात्मक जुड़ाव और रचनात्मकता प्रभावित होती है। बांग्ला भाषा आंदोलन एक स्पष्ट संदेश देता है कि मातृभाषा में शिक्षा और सरकारी कामकाज ही नागरिकों को सशक्त बनाता है।

यह आंदोलन मातृभाषा को राजकीय मान्यता दिलवाने का एक उदाहरण बना और दिखाया कि भाषा केवल साहित्य का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का औज़ार है।

iv. भाषाई आंदोलनों में अहिंसक और जन आधारित संघर्ष का आदर्श

बांग्ला भाषा आंदोलन, विशेष रूप से 1952 में छात्रों द्वारा दिया गया

बलिदान, यह दर्शाता है कि एक शांतिपूर्ण लेकिन संगठित जनांदोलन किस प्रकार सत्ता को झुका सकता है। आज जब अनेक आंदोलनों में हिंसा का सहारा लिया जाता है, तब यह आंदोलन नैतिकता, आदर्शवाद और लोकतांत्रिक चेतना का एक मानक बनकर उभरता है।

v. डिजिटल युग में भाषा संरक्षण की नई चुनौती

आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के ज़माने में बहुभाषी सामग्री की आवश्यकता बढ़ गई है। हालांकि, वैश्विक तकनीकी प्लेटफार्म प्रायः अंग्रेज़ी-केन्द्रित होते हैं। बांग्ला भाषा आंदोलन इस बात का संकेत देता है कि भाषाओं को तकनीक में स्थान दिलाना भी आज का संघर्ष बन गया है।

मातृभाषा में कंटेंट निर्माण, अनुवाद, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर ही भाषाओं को 21वीं सदी में जीवित रखा जा सकता है।

vi. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाषाई अधिकारों की मांग

संयुक्त राष्ट्र द्वारा "अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस" की घोषणा भी इस बात का प्रमाण है कि भाषाई अधिकार अब मानव अधिकारों का ही अंग माने जा रहे हैं। यह आंदोलन वैश्विक मंच पर यह आवाज़ बन गया है कि हर व्यक्ति को अपनी भाषा में जीने, सीखने, सोचने और बोलने का अधिकार है।

बांग्ला भाषा आंदोलन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह 1952 में था। यह केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान की चेतना और भविष्य की मार्गदर्शक है। यह आंदोलन हमें बताता है कि भाषा मात्र शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भावनाओं, विचारों और संस्कृति का संरक्षक है।

आज जब भारत और विश्व भाषाओं के संकट से गुजर रहे हैं, यह आंदोलन हमें सिखाता है कि भाषा की रक्षा करना केवल भाषाविदों का काम नहीं, बल्कि यह हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।

निष्कर्ष

बांग्ला भाषा आंदोलन केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानव अधिकार, सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और भाषाई अस्मिता की वैश्विक आवाज़ बन गया। यह आंदोलन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान, उसके इतिहास, उसकी परंपरा और आत्मा की अभिव्यक्ति है।

1948 से 1952 के मध्य घटित यह आंदोलन, विशेषकर 21 फरवरी 1952 का बलिदान, हमें यह सिखाता है कि यदि किसी समुदाय की मातृभाषा को अपमानित किया जाए या उससे उसका हक छीना जाए, तो वह समुदाय चुप नहीं बैठता। भाषा के लिए जान देने वाले शहीदों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल भूगोल से नहीं, संस्कृति और भाषा के सम्मान से भी होता है।

आज के युग में, जब वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के कारण अनेक भाषाएँ संकट में हैं, बांग्ला भाषा आंदोलन हमें यह संदेश देता है कि मातृभाषा की रक्षा करना न केवल एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है।

यह आंदोलन भारत सहित सभी बहुभाषी समाजों के लिए एक प्रेरणा है कि समानता, समावेशिता और सम्मान के साथ भाषा-नीति का निर्माण किया जाए। यह हमें भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र तभी पूर्ण होता है, जब हर नागरिक को अपनी भाषा में सोचने, बोलने, पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिले।

अंततः, बांग्ला भाषा आंदोलन एक क्रांतिकारी विचार की जीत है — कि भाषा के लिए लड़ा गया संघर्ष, मानवता और न्याय के लिए लड़ा गया संघर्ष होता है। यह इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि भविष्य का पथप्रदर्शक है।



बैंकों में अलार्म सिस्टम: सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू

अजय सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (सुरक्षा), क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना

बैंकों में अलार्म सिस्टम एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, जो बैंक के परिसर, परिसंपत्तियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अलार्म सिस्टम एक अलार्म सिस्टम है जो अनधिकृत एंट्री को डिटेक्ट करता है और हूटर बजा देता है। अलार्म सिस्टम की मदद से बैंकों में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों और चोरी की घटनाओं को रोका जा सकता है।

बर्गलर अलार्म सरल विसर्कित होते हैं जो किसी व्यक्ति के प्रवेश मार्ग, यानी दरवाज़ा, खिड़की या दीवार तोड़कर अन्दर घुसने की हालत में अलार्म बजा देते हैं। आप इन सिस्टम को विभिन्न स्विच जैसे चुम्बकीय सेंसर या कम्पन सेंसर के माध्यम से विस्तारित कर सकते हैं ताकि अनाधिकृत प्रवेश का पता लगाया जा सके। नियंत्रण बॉक्स आधुनिक प्रणालियों का केंद्र है जो सुरक्षा कोड द्वारा निष्क्रिय किए जाने तक अलार्म बजाता रहता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि घुसपैठिए आसानी से अलार्म बंद न कर सकें।

बैंकों में विभिन्न प्रकार के अलार्म सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं:

- 1. बर्गलर अलार्म :** यह बेसिक अलार्म सिस्टम है जो सिर्फ बैंक में अनधिकृत एंट्री को डिटेक्ट करता है और हूटर को एक्टिवेट करता है। बैंक के परिसर में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों का पता लगाता है।
- 2. अग्नि अलार्म :** इस अलार्म सिस्टम में धुआँ सेन्सर और हीट सेन्सर लगे होते हैं जो धुआँ होने पर या तापमान बढ़ने को मापते हैं और बैंक में आग लगने की घटना की खबर करते हैं।
- 3. स्मार्ट एकीकृत अलार्म सिस्टम:** यह अलार्म बर्गलर अलार्म और फायर अलार्म का मिक्सचर है जो इंटरलूक पर बजता है और जब आग लगती है या धुआँ होता है तो भी बजता है और अलर्ट देता है। आपातकालीन स्थिति, जैसे कि डकैती या हमले की स्थिति में भी सक्रिय किया जा सकता है, जिसे आस पास लोगों को खबर हो जाती है और हमलावर डर कर भाग जाते हैं।

एक शाखा में रात्रि 12.30 बजे शाखा प्रबंधक एवं द्वितीय पंक्ति को अलार्म सिस्टम से उत्पन्न कॉल प्राप्त हुआ व दोनों ही शाखा की तरफ दौड़े और पुलिस को भी इतिला किया। शाखा पहुंचकर उन्होंने पाया कि शाखा के लोहे के शटर के ताले टूटे हुए हैं। पुलिस और वे बड़ी सावधानी से शाखा में दाखिल हुए, पूरी शाखा छान मारी लेकिन कोई नहीं मिला। शाखा के आस-पास छानबीन की परंतु कोई नहीं मिला। फिर शाखा की छत पर जाकर खोजबीन की तो घुसपैठिया पानी की टैंकी के नीचे छुपा बैठा मिला। पुलिस ने उसको पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गए और एक बड़ी वारदात होने से बच गई।

एक अन्य घटना में घुसपैठिए शाखा की खिड़की ग़्रिल काटकर अन्दर चले गए। हाल में पहुँचते ही इन्फ्रा रेड विकिरण (पी.आई.आर.) सेंसर सक्रिय हो गया और हूटर बजने लगा। चोरों को अपने उपकरण वही छोड़कर भागना पड़ा।

आजकल नई तरह के जीएसएम सिम वाले स्मार्ट एकीकृत अलार्म सिस्टम शाखाओं में लगाए जा रहे हैं। जिन्हें शाखा प्रबंधक अपने मोबाइल से भी नियंत्रित कर सकते हैं तथा कोई भी अनाधिकृत प्रवेश या संध लगाने की

स्थिति में अलार्म सक्रिय हो जाता है और शाखा के सदस्यों को कॉल एवं सन्देश भेजकर सचेत करता है।

अलार्म सिस्टम लगाना ही काफी नहीं है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और कभी भी खराब हो सकता है और इसलिए यह जरूरी है कि इसका दैनिक आधार पर परीक्षण किया जाए। हूटर को सक्रिय करके और बिना सक्रिय किए परीक्षण किया जा सकता है। नियमित आधार पर हूटर को सक्रिय किए बिना इसका परीक्षण किया जाना चाहिए।

- 1. सुरक्षा में वृद्धि:** अलार्म सिस्टम बैंक के परिसर और परिसंपत्तियों की सुरक्षा में वृद्धि करता है। अलार्म सिस्टम घुसपैठ, संधमारी और अन्य खतरों के खिलाफ रक्षा की प्राथमिक परत के रूप में कार्य करते हैं। वे अनधिकृत प्रवेश, ट्रिगरिंग तत्काल अलर्ट का पता लगाते हैं जो अपराधियों को रोक सकते हैं और सुरक्षा व्यक्तिगत से त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम कर सकते हैं जो संपत्ति के नुकसान, चोरी और संभावित हिंसक टकराव को रोकने में मदद करता है।
- 2. चोरी की रोकथाम:** अलार्म सिस्टम चोरी की घटनाओं को रोकने में मदद करता है। घुसपैठ या संधमारी के प्रयास के मामले में अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है और हूटर बजाकर और शाखा प्रबंधक, अन्य स्टाफ सदस्यों और स्थानीय पुलिस स्टेशन को कॉल करके अलर्ट करता है।
- 3. कर्मचारियों की सुरक्षा:** अलार्म सिस्टम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर आपातकालीन स्थिति जब भी दिन में डकैती होती है, कर्मचारी सदस्य पैनिक स्विच का उपयोग करके अलार्म का हूटर बजाकर शाखा परिसर के बाहर के लोगों और एकीकृत अलार्म सिस्टम के माध्यम से स्थानीय पुलिस स्टेशन को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं।
- 4. पुलिस को सूचित करना:** अलार्म सिस्टम पुलिस को तुरंत सूचित करता है, जिससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है, घुसपैठ होने पर अलार्म सिस्टम पर पुलिस स्टेशन और अन्य नंबरों पर कॉल करके अलर्ट करता है।

अलार्म के रखरखाव के लिए एएमसी ली जाती है जिसके मुताबिक टैक्नीशियन हर तीन महीने में एक बार शाखा में आता है और इसकी जांच करता है। अलार्म खराब हो तो कभी भी इस टैक्नीशियन को बुला सकते हैं और उसकी जिम्मेवारी है कि वह इसे 24 से 72 घंटे के अंदर ठीक करे। अगर समस्या बड़ी है और ठीक करने में ज्यादा समय लगेगा तो तत्काल दूसरा अलार्म लगाया जाएगा और ठीक करने के बाद फिर से शाखा वाला अलार्म लगा दिया जाएगा।

बैंकों में अलार्म सिस्टम एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, जो बैंक के परिसर, परिसंपत्तियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अलार्म सिस्टम की मदद से बैंकों में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों और चोरी की घटनाओं को रोका जा सकता है। अतः बैंकों में अलार्म सिस्टम का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपकरण तभी सहयोगी हो सकता है जब शाखा के सभी स्टाफ सदस्य शाखा की सुरक्षा को लेकर सजग रहें, इसकी प्रभावशीलता के लिए नियमित रूप से इसका परीक्षण करें, रिकॉर्ड बनाएं तथा इसके द्वारा उत्पन्न चेतावनी को गम्भीरता से लें।



फोटो फीचर

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ



अहमदाबाद



बेंगलुरु



बड़ौदा



चंडीगढ़



ईरोड



हैदराबाद



जयपुर



कांचीपुरम



लखनऊ



केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियां





फोटो फीचर

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ



लुधियाना



मदुरै



नागरकोइल



एनसीआर - दिल्ली



रांची



सिलीगुड़ी



तंजाऊर



तिरुच्चि



वेल्लूर



बैंकिंग में साइबर सुरक्षा का महत्व

गीता यादव, सहायक प्रबन्धक, बेंगलुरु क्षेत्र

21वीं सदी का मानव तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है। लगभग हर क्षेत्र में डिजिटलरण ने प्रवेश कर लिया है, और बैंकिंग क्षेत्र इस परिवर्तन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। अब ग्राहक बैंक की शाखाओं में लाइन लगाने के बजाय मोबाइल या कंप्यूटर से ही अपने सारे वित्तीय कार्य निपटा सकते हैं। लेकिन इस सुविधा ने एक नई चुनौती को जन्म दिया है – साइबर सुरक्षा की। बैंकिंग प्रणाली अब हैकिंग, डेटा चोरी, फर्जीवाड़ा और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे खतरों से जूझ रही है। यही कारण है कि आज के समय में बैंकिंग में साइबर सुरक्षा न केवल तकनीकी जरूरत है, बल्कि यह वित्तीय स्थिरता का आधार बन चुकी है।

आधुनिक युग में, बैंकिंग प्रणाली ने डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग करना शुरू कर दिया है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई और अन्य ऑनलाइन सेवाएं ग्राहकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करती हैं। लेकिन इसी तकनीकी विकास ने बैंकिंग प्रणाली को साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील भी बना दिया है। साइबर अपराधी इन प्रणालियों में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान और ग्राहकों की गोपनीयता पर खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

साइबर सुरक्षा क्या है?

साइबर सुरक्षा का अर्थ है - कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डेटा एवं अन्य डिजिटल संरचनाओं को अनधिकृत हस्तक्षेप, हमले या नुकसान से बचाना। बैंकिंग में इसका उद्देश्य है ग्राहकों की वित्तीय जानकारी, पासवर्ड, ट्रांजेक्शन डेटा और अन्य संवेदनशील सूचनाओं की रक्षा करना। यह सुरक्षा नीतियों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का ऐसा संयोजन है, जो खतरों की पहचान करती है, उनका सामना करती है और भविष्य में उनसे बचने की व्यवस्था करती है।

बैंकिंग में साइबर खतरों के प्रकार:

साइबर अपराध कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. फिशिंग:

नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक से पासवर्ड, ओटीपी आदि मांगा जाता है।

2. स्पूर्फिंग:

कॉल या वेबसाइट को इस तरह बनाया जाता है कि ग्राहक उसे असली समझें।

3. मालवेयर और स्पायवेयर:

वायरस के माध्यम से डेटा चुराना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना।

4. रैंसमवेयर:

बैंकिंग डेटा को लॉक कर फिरौती मांगी जाती है।

5. डाटा ब्रीच:

बिना अनुमति बैंक के सर्वर से डाटा निकाल लेना।

6. डीडीओएस अटैक:

वेबसाइट को इतना अधिक ट्रैफिक भेजना कि वह क्रैश हो जाए।

7. क्लोनिंग:

कार्ड या यूपीआई आईडेंटिटी की नक़ल तैयार कर उपयोग करना।

बैंकिंग में साइबर सुरक्षा का महत्व:

- ग्राहकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा
- ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू बनाए रखना
- आर्थिक धोखाधड़ी से बचाव
- कानूनी दायित्वों का पालन
- डिजिटल इकोनॉमी में स्थिरता बनाए रखना

भारत में साइबर सुरक्षा हेतु उठाए गए कदम:

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई):

सभी बैंकों द्वारा साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क अपनाना अनिवार्य है।

2. सीईआरटी-इन:

साइबर इमरजेंसी के लिए सरकारी संस्था जो रिपोर्टिंग और सतर्कता का कार्य करती है।

3. एनपीसीआई और एनसीआईआईपीसी:

यूपीआई, एईपीएस, आइएमपीएस जैसी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए तकनीकी उपाय किए गए हैं।

4. डिजिटल इंडिया और जागरूकता अभियान:

आम जनता को साइबर खतरों के प्रति शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं।

प्रमुख साइबर हमलों के उदाहरण (भारत और विश्व में):

• कॉसमोस बैंक, पुणे (2018):

रुपए 94 करोड़ की ट्रांजेक्शन धोखाधड़ी; स्विफ्ट सिस्टम हैक किया गया।

• यस बैंक यूपीआई फ्रॉड:

फर्जी यूपीआई लिंक के माध्यम से की गई लाखों रुपये की धोखाधड़ी।

• जेपीमॉर्गन (यूएसए):

76 मिलियन लोगों की जानकारी लीक हुई थी।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले बैंक भी असुरक्षा के घेरे में आ सकते हैं।

ग्राहकों की भूमिका:

- किसी से ओटीपी, पासवर्ड साझा न करें
- फर्जी कॉल या ईमेल से सावधान रहें
- केवल ऑफिशियल ऐप्स का प्रयोग करें
- नियमित पासवर्ड बदलें



- संदिग्ध लेन-देन तुरंत रिपोर्ट करें
- साइबर सुरक्षा के तकनीकी उपाय (बैंकों द्वारा):**
- डेटा एन्क्रिप्शन और एसएसएल प्रमाणपत्र
- मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
- नियमित पेनिट्रेशन टेस्टिंग
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित धोखाधड़ी पहचान
- साइबर सुरक्षा ऑडिट और ट्रेनिंग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और फ्रेमवर्क:

- आइएसओ/आईसी 27001 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक अब बैंकों के लिए आवश्यक हो गए हैं।
- स्विफ्ट कस्टमर सिक्योरिटी प्रोग्राम (सीएसपी): अंतरराष्ट्रीय भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए।

भविष्य की चुनौतियाँ:

1. एआई-आधारित साइबर अपराध
2. क्लाउड और डेटा सेंटर की सुरक्षा
3. आइओटी डिवाइस की असुरक्षा
4. बायोमेट्रिक डेटा की चोरी का खतरा
5. क्रिप्टोकॉर्सेसी से जुड़ी अनियमितताएँ

समाधान और सुझाव:

- साइबर सुरक्षा को कोर बैंकिंग स्ट्रेटजी में शामिल किया जाए
- बैंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को और प्रभावी बनाया जाए
- समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाए
- स्कूल और कॉलेज स्तर पर साइबर शिक्षा शामिल हो

साइबर सुरक्षा में करियर की संभावनाएं:

बैंकिंग और आइटी कंपनियां अब साइबर विशेषज्ञों की बड़ी संख्या में नियुक्ति कर रही हैं। इस क्षेत्र में साइबर एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, पेन टेस्टर, साइबर लॉ एक्सपर्ट जैसे पद उपलब्ध हैं। यह एक उभरता हुआ और अत्यधिक मांग वाला क्षेत्र बन चुका है।

निष्कर्ष:

बैंकिंग प्रणाली की सफलता और स्थायित्व अब काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करता है। ऐसे में साइबर सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बैंक, सरकार और ग्राहक—तीनों की साझेदारी से ही एक सुरक्षित बैंकिंग वातावरण तैयार किया जा सकता है। जागरूकता, तकनीकी सुधार और सख्त नीतियों के माध्यम से साइबर खतरों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। बैंक, ग्राहक और सरकार—तीनों को मिलकर सुरक्षा की एक मजबूत श्रृंखला बनानी होगी। तकनीकी उपायों, नियामक नीतियों और जागरूकता के माध्यम से ही हम एक सुरक्षित और विश्वसनीय बैंकिंग प्रणाली की दिशा में बढ़ सकते हैं। यदि हम समय रहते सचेत नहीं हुए, तो यह तकनीकी सुविधा हमारे लिए अभिशाप बन सकती है। अतः आज का युग 'स्मार्ट बैंकिंग' के साथ 'स्मार्ट सुरक्षा' की मांग करता है।



तुमने जाना, मैंने सुना
सड़को पर अंगारों को,
वह चीखी थी, चिल्लाई थी,
मारी गई दीवारों पर ॥

उन अनसुनी, अनकही, अनदेखी तकलीफों को,
महसूस किया उस हर हृदय ने,
जिसने माना बेटी उसको ॥

बोली थी आती हूँ जल्दी सुबह
बूढ़ी दादी की तकलीफें कम कर,
गुड़िया को टेस्ट ट्यूब लगाकर ॥
कौन करेगा सेवा उनकी
तुम रोकोगी मुझ को तो।
पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया
इनके लिए तुमने ही तो ॥

कहाँ पता था रात थी आखिरी
अलविदा अंतिम था वो,
निकली थी जो मुस्कुराकर
आयी अर्थी में सजकर।
जाना था तो चली गई वो
दे दो फांसी दरिंदों को
जीना तो था दूर तक उसको
चली गई प्रश्रात्मक को कर ॥

प्रीति प्रियम्बदा
ग्राहक सेवा सहयोगी
पटना क्षेत्र





सोशल मीडिया के ज़रिए डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक सहभागिता को बढ़ावा

जियेश वटवीसा, सहायक प्रबंधक, जनसंपर्क विभाग, केंद्रीय कार्यालय

आज के डिजिटल युग में, विशेषकर बैंकिंग में सोशल मीडिया की भूमिका सिर्फ एक मार्केटिंग चैनल की नहीं रह गई है, बल्कि यह एक रणनीतिक व्यापार का उपकरण बनकर उभरा है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) के लिए सोशल मीडिया केवल दृश्यता बढ़ाने का माध्यम नहीं है—बल्कि यह ग्राहकों से जुड़ने, डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने और आइओबी को एक आधुनिक, तकनीकी रूप से सशक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में स्थापित करने का ज़रिया है।

हमने मार्च महीने में 18 लाख से अधिक सोशल मीडिया फॉलोअर्स के इज़ाफे के साथ यह सिद्ध कर दिया कि जब नवाचार के साथ डिजिटल सहभागिता की जाए, तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है। वर्ष 2024-25 में बैंक ने कई डिजिटल उत्पाद और सेवाएं लॉन्च कीं, जो समावेशिता, सुविधा और आधुनिकीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

आइओबी कैसे सोशल मीडिया का उपयोग कर प्रमुख उत्पादों को पेश कर रहा है:

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आइओबी अपने प्लैगशिप प्रोडक्ट्स को रचनात्मक कंटेंट यानी रील्स, कैरोसेल पोस्ट्स, ग्राहक अनुभव, इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव पोल्स द्वारा प्रमोट कर रहा है:

➤ **आइओबी 444 डेज़ फिक्स्ड डिपॉज़िट** – यह बाज़ार में सबसे आकर्षक ब्याज दर वाली एफडी योजनाओं में से एक है। शॉर्ट वीडियो, त्वरित तुलना और वित्तीय टिप्स के ज़रिए यह योजना युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए आकर्षक बनाई गई है।

➤ **इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग** – अब पूरे भारत में कहीं से भी मात्र 2 मिनट में बचत खाता खोल सकते हैं। आइओबी के सोशल मीडिया पोस्ट्स सरलता और गति को दर्शाती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब बैंकिंग वाकई चलते-फिरते, कहीं से भी संभव है।

➤ **ऑनलाइन लॉकर अलॉटमेंट** – अब ग्राहक अपनी पसंद की शाखा में डिजिटल रूप से लॉकर बुक और अलॉट करवा सकते हैं, जिससे सुविधा और पारदर्शिता दोनों बढ़ती हैं। स्टेप-बाय-स्टेप एक्सप्लेनर रील्स और पोस्ट्स के माध्यम से पूरा प्रोसेस समझाया गया है।

हर उत्पाद को ग्राहक-केंद्रित वार्तालाप, आकर्षक विज़ुअल्स और स्पष्ट सीटीए (कॉल टू एक्शन) के साथ प्रमोट किया जाता है, जिससे न सिर्फ सहभागिता बढ़ती है, बल्कि कन्वर्ज़न भी सुनिश्चित होता है।

डिजिटल उत्कृष्टता का प्रदर्शन: आइओबी ने 2024 में लॉन्च किया:

सिर्फ एक वर्ष में आइओबी ने 20 से अधिक नई सेवाएं शुरू कीं, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस के सामने प्रस्तुत किया गया:

- सेविंग्स अकाउंट पोर्टेबिलिटी – पूरे भारत में खाता स्थानांतरण अब सरल और सहज हो गयी है।
- आइओबी फ्रीडम अकाउंट्स (सेविंग्स और करंट) – ढेर सारी सुविधाएं पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त है।
- आइओबी ग्रीन डिपॉज़िट – पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेश विकल्प उपलब्ध करवायी गयी।
- ई-लॉकर एग्रीमेंट और ऑनलाइन री-केवाईसी – अब शाखा जाने की आवश्यकता नहीं।

- आइओबी गोल्ड पॉवर्ड कार्ड और ज्वेल लोन सुविधा – सुरक्षित क्रेडिट के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध।
- स्टार्टअप सपोर्ट – प्रगति लोन और स्टार्टअप करंट अकाउंट खाता की सुविधा मुहैया करवायी गयी।
- नई भीम आइओबी यूपीआई ऐप – डिजिटल भुगतान के लिए अधिक सुरक्षित और यूलर-फ्रेंडली है।
- आइओबी कृषि वृद्धि और एग्री ज्वेल लोन – ग्रामीण और कृषि संबंधी ग्राहकों के लिए डिजिटल समाधान।
- आइओबी महिला सक्षम – महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष पेशकश।

इन सभी सेवाओं को सरल, विश्वसनीय और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक कंटेंट के माध्यम से विभिन्न ग्राहक वर्गों तक पहुंचाया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से आंतरिक दक्षता और ग्राहक सेवा को सशक्त बनाना

ग्राहक-केंद्रित नवाचारों के अलावा, आइओबी ने आंतरिक संचालन में भी डिजिटल टूल्स को अपनाया है:

❖ **सीआरएम टूल** – यह टूल ग्राहक डेटा को केंद्रीकृत करता है, सेवा अनुरोधों को ट्रैक करता है, क्रॉस-सेलिंग के अवसर पहचानता है और अन्य बैंकों से प्राप्त लोन इंकवायरी को भी ट्रैक करता है। इसके ज़रिए शाखा स्तर पर उत्पन्न लीड्स की रीयल-टाइम ट्रैकिंग से फॉलो-अप और कन्वर्ज़न बेहतर हो गए हैं।

❖ **लोन ओरिजिनेशन सिस्टम (एलओएस)** – अब अधिकांश लोन प्रक्रियाएं डिजिटली हो रही हैं, जिससे प्रक्रिया यानी टीएटी का समय कम हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है।

❖ **एनआरआ सहभागिता** – मासिक एनआरआई न्यूज़लेटर डाइजेस्ट और सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड व श्रीलंका के लिए एनआरआई ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पोर्टल के साथ, आइओबी अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बना रहा है।

हमारे बैंक की वृद्धि में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका:

आइओबी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ प्रमोशन का माध्यम नहीं है—यह ग्राहक और बैंक के बीच एक दो-तरफा पुल है:

1. **उत्पाद जानकारी** – छोटे, सरल पोस्ट्स जो बताते हैं कि खाता कैसे खोलें, एफडी में निवेश कैसे करें, लोन के लिए कैसे आवेदन करें आदि।
2. **ब्रांड दृश्यता** – सोशल मीडिया पर लगातार उपस्थिति से ग्राहकों के मन में विश्वास मज़बूत बनती है।
3. **ग्राहक फीडबैक** – डीएम और कमेंट्स से ग्राहकों की समस्याओं का पता चलता है और उन्हें तुरंत सुलझाया जाता है।
4. **लीड जनरेशन** – सोशल मीडिया कैपेन अक्सर वेबसाइट विज़िट, खाता खोलने और उत्पाद अपनाने के कारण बनते हैं।

अतः हमारे बैंक की तरक्की में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके माध्यम से बड़ी सुगमता से ग्राहक तक ऑनलाइन पैठ बनायी जा रही है।



भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी

मुनमुन दत्ता, मुख्य प्रबन्धक, जोखिम प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

हम इस बात से अवगत हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारत की स्वतंत्रता की गौरवशाली कहानी कई भुलाए गए नायकों और नायिकाओं से भरी हुई है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन आजादी के बाद उन्हें देश में गुमनामी का जीवन जीना पड़ा।

घटनाओं और संसाधनों के अध्ययन के माध्यम से, हम भारत की कई गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों को देखते हैं, जिन्हें अभी तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर नहीं देखा गया है।

1. नीरा आर्य - भारतीय राष्ट्रीय सेना (आजाद हिंद फौज) की रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन नीरा आर्य एक ऐसी ही महान देशभक्त, साहसी, स्वतंत्रता सेनानी और नायिका थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी थी। उनकी अकल्पनीय और अद्वितीय साहस को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्य को नीरा-नागिनी के रूप में संबोधित किया। इसलिए उन्हें नीरा-नागिनी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना में आत्मसमर्पण के बाद, जब दिल्ली के लाल किले में सुनवाई हुई, सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें ब्रिटिश शासन के वफादार पुलिस अधिकारी स्वरूप पति की हत्या के लिए दंडित किया गया था और उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई थी, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं झेलनी पड़ीं। उन्हें देश की पहली महिला जासूस माना जाता है। देश की आजादी के बाद नीरा आर्य हैदराबाद में सड़क के किनारे फूल बेचकर एक अनजान, दयनीय और असहाय जीवन जी रही थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। हैदराबाद की महिलाएं उन्हें 'पेडम्मा' कहती थीं। उनके जीवन पर नीरा नागिनी नामक एक महाकाव्य भी है। उनके छोटे भाई बसंत कुमार भी भारतीय राष्ट्रीय सेना के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद एक तपस्वी का जीवन जिया था। कई लोक गायकों ने नीरा आर्य और उनके भाई बसंत कुमार के जीवन पर कविता संग्रह और भजन लिखे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के बारे में भी लिखा है। उनकी आत्मकथा में काला पानी में कारावास के दौरान अंग्रेजों द्वारा उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की घटनाओं का भी उल्लेख है। उन्होंने हिंदी-उर्दू लेखक मधु धामा के साथ अपने जीवन और स्वतंत्रता संग्राम की कई घटनाओं को साझा किया। उन्होंने नीरा आर्य के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक उपन्यास भी लिखा है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता

संग्राम में उनके योगदान को रेखांकित किया गया है।

2. कनक लता बरुआ - ब्रिटिश राज की भारतीय इम्पीरियल पुलिस ने कनक लता बरुआ, एआईएसएफ नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। जिन्हें बिरबाला और शहीद (शहीद) भी कहा जाता है। वे एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एआईएसएफ नेता थीं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन्हें ब्रिटिश राज की भारतीय शाही पुलिस द्वारा गोली मार दी गई और राष्ट्रीय ध्वज वाले एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए मारी गई। बचपन से ही उनमें भारतीय स्वतंत्रता के लिए देशभक्ति और समर्पण की गहरी भावना थी। 17 साल की उम्र में, मातृभूमि के लिए प्यार से भरे हुए युवा और बहादुर कनक लता, असम के युवाओं के मृत्यु दल, मृत्यु वाहिनी में शामिल हुईं। वाहिनी ने 20 सितंबर, 1942 को पड़ोस के पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए बरुआ ने निहत्थे किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया। पुलिस थाने के प्रभारी रेवती महान सोम ने जुलूस को बताया कि उनके प्लॉट के परिणामस्वरूप पुलिस के लिए भयानक परिणाम होंगे। चेतावनी जारी करने के बाद जब पुलिस ने परेड पर गोलीबारी की तो वह आगे बढ़ रही थीं। इस पूरे अराजकता में, कनक लता को ध्वज ऊंचा रखने हेतु गोली मार दी गई थी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद बन गईं।

3. दुर्गावती देवी - दुर्गा भाभी नामक एक साहसी महिला, जिसने भगत सिंह को बचने में मदद की, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी हिन्दुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) की सदस्य थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गा भाभी उन कुछ महिला क्रांतिकारियों में से एक थीं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1928 में सांडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भागने में मदद करने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। दुर्गा भाभी ने कई अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया, जिसमें प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती शामिल थी। स्वतंत्रता के लिए उनका साहस और समर्पण अनुकरणीय था, और उन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए जेल में समय बिताया। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कम ज्ञात व्यक्तियों में से एक बनी हुई हैं।

4. वेलू नचियार - वे ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाली पहली रानी हैं। वेलू नचियार तमिलनाडु में शिवगंगा की रानी थीं और



अक्सर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय रानियों में से एक के रूप में मानी जाती हैं। वर्ष 1730 में जन्मी, वह मार्शल आर्ट्स, तीरंदाजी और घुड़सवारी में प्रशिक्षित थीं और कई भाषाओं की अच्छी ज्ञाता थीं। उनके पति राजा मुथुवडुगानाथपेरिया उदयथेवर को अंग्रेजों ने मार डाला, वेलु नचियार अपनी बेटी के साथ भाग गईं और एक सेना बनाने के लिए फिर से तैयारी करने लगीं। उन्होंने मैसूर के सुल्तान हैदर अली के साथ गठबंधन किया, और वर्ष 1780 में ब्रिटिश बलों पर एक सफल हमला कर, अपने राज्य को फिर से जीत लिया। उनकी रणनीतियों में आत्मघाती बम विस्फोट का पहला रिकॉर्ड दर्ज है, जहां उनके निष्ठावान कमांडरों में से एक, कूली ने ब्रिटिश शस्त्रागार को नष्ट करने के लिए खुद को आग लगा दी। वेलु नचियार ने एक दशक से अधिक समय तक शिवगंगा पर शासन किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनकी अवज्ञा और अपने लोगों की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए उन्हें याद किया जाता है।

5. झालकारी बाई - रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में अपने आप को अंग्रेजों से बचाने के लिए एक गुप्त नायिका की भूमिका निभाई। झालकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में एक सैनिक थीं और उन्होंने वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झालकारी बाई को झांसी की घेराबंदी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिरूपण करने के अपने वीरतापूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है, जिसके चलते वास्तविक रानी भागने में सफल हो सकीं। बहादुरी के इस कृत्य ने ब्रिटिश सेनाओं को भ्रमित कर दिया और रानी को फिर से संगठित करने के लिए समय मांगा। झालकारी बाई की निष्ठा और साहस ने विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में उन्हें एक प्रमुख व्यक्तित्व बनाया। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, झालकारी बाई की कहानी को अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में नजरअंदाज कर दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में नेतृत्व की स्थिति में उनका उदय उनके असाधारण गुणों का प्रमाण है। आज, वह विशेष रूप से दलित समुदायों के भीतर महिलाओं के सशक्तिकरण और साहस के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं।

गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों की सूची उन गिने-चुने लोगों में से हैं, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बलिदान दिया ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके। समय आ गया है कि कम-से-कम हम अपनी स्मृतियों में उन्हें याद रखें। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने, हालांकि व्यापक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की, फिर भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपार साहस, शौर्य तथा समर्पण का प्रदर्शन किया। उनकी कहानियां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विविध और समावेशी प्रकृति की याद दिलाती हैं।

ज्ञान के मोती

1. अच्छाई और 'सच्चाई' चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी।
2. रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान।
3. भरोसा रखें - जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है।
4. पहाड़ की ऊंचाई- आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं।
5. हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों न रहना पड़े।
6. गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं।
7. किताबों से पढ़ा जाना करियर बनाता है और बिना किताबों के जो ज्ञान सीखा जाता है, वो ज़िंदगी जीना सिखाता है।"
8. इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं।
9. अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा।
10. रिश्ते और पौधे, दोनों एक जैसे होते हैं। लगाकर भूल जाओ, तो दोनों ही सूख जाते हैं।
11. आप कब सही थे... इसे कोई याद नहीं रखता। आप कब गलत थे...इसे कोई, कभी नहीं भूलता।
12. मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं।
13. माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं...
14. जीतने वाला ही नहीं.... बल्कि 'कहाँ पे क्या हारना है' ये जानने वाला भी सिकंदर होता है..
15. समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का।



सोशल मीडिया व युवा

श्वेता पचौरी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

मीडिया संचार का वह माध्यम है जिसका लोगों तक व्यापक पहुँच व प्रभाव है। भारत आज सोशल मीडिया के बड़े बाज़ार के रूप में उभर चुका है। सोशल मीडिया, जिसको पहले एक सकारात्मक संचार एवं सूचनाओं के प्रेषण का माध्यम माना जाता था, आज वह युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है।

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं:

संपर्क और संबंध : फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच किशोरों और युवा वयस्कों में अपनेपन और स्वीकृति की एक भावना प्रदान करते हैं।

सकारात्मक प्रेरणा : सोशल नेटवर्क 'सहकर्मी प्रेरणा' का सृजन कर सकते हैं और युवाओं को नई एवं स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। किशोर ऑनलाइन माध्यम से अपने लिये सकारात्मक रोल मॉडल भी ढूँढ सकते हैं।

पहचान का निर्माण : किशोरावस्था ऐसा समय होता है जब युवा अपनी पहचान को संपुष्ट करने और समाज में अपना स्थान पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया किशोरों को अपनी विशिष्ट पहचान विकास हेतु एक मंच प्रदान करता है।

अनुसंधान : मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग प्रायः डेटा एकत्र करने के लिये करते हैं, जो उनके अनुसंधान में योगदान करता है। इसके अलावा, थेरेपिस्ट एवं अन्य पेशेवर लोग ऑनलाइन समुदायों के अंदर परस्पर नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान और पहुँच का विस्तार हो सकता है।

अभिव्यक्ति प्रदान करना: सोशल मीडिया ने किशोरों को एक-दूसरे के पक्ष में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। सशक्त भावों, विचारों या ऊर्जा की अभिव्यक्ति और सदुपयोग बेहद सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

गेटवे टू टैलेंट: सोशल मीडिया आउटलेट छात्रों को अपनी रचनात्मकता और विचारों को तटस्थ दर्शकों के साथ साझा करने और एक सटीक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं। प्राप्त प्रतिक्रिया उन्होंने अपने कौशल को बेहतर ढंग से आकार देने की मार्गदर्शक बन सकती है, यदि वे उस कौशल को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं।

रचनात्मकता को बढ़ावा : सोशल मीडिया युवाओं को उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह युवाओं को विचारों और संभावनाओं की दुनिया से जोड़ता है। ये मंच छात्रों को अपने मित्रों और अपने सामान्य दर्शकों के साथ

जुड़ने के मामले में अपने रचनात्मक कौशल का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

डिजिटल सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन: सोशल मीडिया समुदाय के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन सकता है। यह उन्हें न केवल अपने समुदाय के अंदर बल्कि पूरे विश्व में आवश्यक विषयों से अवगत कराता है।

सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव:

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ : कई अध्ययनों में सोशल मीडिया के उपयोग और अवसाद के बीच घनिष्ठ संबंध पाया गया है। एक अध्ययन के अनुसार, मध्यम से गंभीर अवसाद लक्षण वाले युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग करने की संभावना लगभग दोगुनी थी। सोशल मीडिया पर किशोर अपना अधिकांश समय अपने साथियों के जीवन और तस्वीरों को देखने में बिताते हैं। यह एक निरंतर तुलनात्मकता की ओर ले जाता है, जो आत्म-सम्मान और 'बॉडी इमेज' को नुकसान पहुँचा सकता है और किशोरों में अवसाद एवं चिंता की वृद्धि कर सकता है।

शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ : सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप स्वास्थ्यप्रद, वास्तविक दुनिया की गतिविधियों पर कम समय व्यय किया जाता है। सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते रहने की आदत—जिसे 'वैम्पिंग' कहा जाता है, के कारण नींद की कमी की समस्या उत्पन्न होती है।

सामाजिक संबंध : किशोरावस्था सामाजिक कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। लेकिन, चूँकि किशोर अपने दोस्तों के साथ आमने-सामने कम समय बिताते हैं, इसलिये उनके पास इस कौशल के अभ्यास के कम अवसर होते हैं।

पूर्वाग्रहों की पुनःपुष्टि: सोशल मीडिया दूसरों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की पुनःपुष्टि का अवसर प्रदान करता है। समान विचारधारा वाले लोगों से ऑनलाइन मिलने से इन प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है चूँकि उनमें समुदाय की भावना का विकास होता है।

साइबरबुलिंग या ट्रोलिंग: इसने गंभीर समस्याएँ पैदा की हैं और यहाँ तक कि किशोरों के बीच आत्महत्या के मामलों को भी जन्म दिया है। इसके अलावा, साइबरबुलिंग जैसे कृत्य में संलग्न किशोर मादक पदार्थों के सेवन, आक्रामकता और आपराधिक कृत्य में संलग्न होने के प्रति भी संवेदनशील होते हैं।

एक समर्पित सोशल मीडिया नीति : युवाओं को उपभोक्ता या भविष्य के उपभोक्ता के रूप में लक्षित नहीं करने के लिये उत्तरदायित्व का सृजन कर सोशल मीडिया को विनियमित करने



के लिये एक समग्र नीति अपनाई जानी चाहिये। यह एल्गोरिदम को युवाओं के बजाय वयस्कों के प्रति अधिक अनुकूल बनाएगा।

अनुपयुक्त सामग्री के लिये सुरक्षा उपाय: सोशल मीडिया मंचों को कुछ ऐसी सामग्री की अनुशंसा करने या उसका प्रसार करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये जिसमें यौन, हिंसक या अन्य वयस्क सामग्री (जुआ या अन्य खतरनाक, अपमानजनक, शोषणकारी, या पूरी तरह से व्यावसायिक सामग्री सहित) शामिल हैं।

नैतिक रूपरेखा के मानक: ये मानक तकनीकी कंपनियों के लिये 'डिजिटल डिस्ट्रैक्शन' को रोकने, टालने एवं हतोत्साहित करने तथा नैतिक ह्यूमन लर्निंग को प्राथमिकता देने के सिद्धांत निर्धारित करेंगे।

डिजिटल साक्षरता : यह महत्वपूर्ण है कि भारत में विद्यमान 'डिजिटल डिवाइड' को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाए, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। युवाओं की सुरक्षा के नाम पर नीतिगत निर्णय का परिणाम यह नहीं होना चाहिये कि वंचित पृष्ठभूमि के युवा भविष्य के अवसरों से हाथ धो बैठें।

शासन और विनियमन: कंटेंट, डेटा स्थानीयकरण, थर्ड पार्टी डिजिटल ऑडिट, सशक्त डेटा संरक्षण कानून आदि के लिये इन मंचों के अधिक उत्तरदायित्व हेतु सरकारी विनियमन भी आवश्यक है।

सोशल मीडिया मंचों की भूमिका : 'ऑटो-प्ले' सेशन, पुश अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स पर प्रतिबंध लगाना और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसे उत्पादों का सृजन करना जो युवाओं को लक्षित न करें।

सामाजिक एजेंसियों की भूमिका: सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने, सदुपयोगी बनाने और सीमित करने के लिये माता-पिता, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को समग्र रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पैरेंटल कंट्रोल फीचर के उपयोग, स्क्रीन टाइम को सीमित करने, बच्चों के साथ लगातार संवाद करने और बाह्य गतिविधियों को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है।

युवाओं पर डिजिटल तकनीक के प्रभाव का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभाव उनके वयस्क व्यवहार और भविष्य के समाजों के व्यवहार को आकार प्रदान करेंगे। यह जानना दिलचस्प होगा कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने अपने बच्चों की प्रौद्योगिकी तक पहुँच को गंभीरता से नियंत्रित रखा था। सभी प्रौद्योगिकियों के स्पष्ट लाभ और संभावित हानिकारक प्रभाव होते हैं। जैसा कि जीवन के अधिकांश विषयों पर लागू होता है, सोशल मीडिया के उपयोग में भी अति से बचने और उसका संतुलित उपयोग करने में ही समस्या का समाधान निहित हो सकता है।

हंसी की फुलझड़ियाँ

गर्मी शुरू हो गई है अब मोटरसाइकिल की सीट पर बैठते ही आपको आत्मज्ञान हो जाएगा कि पेड़ लगाने क्यों जरूरी हैं...



शेयर मार्केट ने भी लगाई कुम्भ में डुबकी, निवेशकों का पैसा पहुँचा सीधे बैंक...!!

ये जो मायके में रहने के बाद भी स्त्रियाँ अपने पति से लड़ती हैं न, इसे ही वर्क फ्रॉम होम कहते हैं!



अगर बिना न्योते के शादी में जाओ तो खाने के स्टाल के आसपास खड़ा हर आदमी...घर का मालिक लगता है।

गांव की शादी में सबसे ज्यादा इज्जत उसकी होती है जिसको टाई बांधनी आती हो और शहर में उसकी होती है जिसको धोती बांधनी आती हो।



डॉक्टर- तुमने आने में देर कर दी
चिट्ठू- क्या हुआ डॉक्टर साहब कितना वक्त बचा है मेरे पास डॉक्टर- मर नहीं रहे हो 6 बजे का अपॉइंटमेंट था 7 बजे आए हो।

महाकुंभ कि जोरदार सुरक्षा व्यवस्था से कई लोग बहुत नाराज हैं कह रहे हैं कि तीन बार पत्नी गुम हुई...पर तीनों बार उत्तर प्रदेश पुलिस ढूँढ कर ले आयी।



जब तक अखबार में सस्ता और मंहगा वाला कॉलम न देख लें हम भारतीयों को बजट समझ में नहीं आता।



विवाहित महिलाओं द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ... इनसे पूछना पड़ेगा और विवाहित पुरुषों द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ...उससे क्या पूछना।

खानदान में किसी एक लड़के की अगर पुलिस में नौकरी हो जाय तो पूरा खानदान अपनी गाड़ी में "पुलिस" लिखावा लेता है।





पी. टी. उषा की उड़ान : संघर्ष से सफलता तक

श्रीकुमारी वी, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम

पी.टी. उषा-जिनका पूरा नाम पिलावुळ्ळकंडी तेक्केप्परंपिल उषा है, भारतीय खेल जगत की एक ऐसी नामचीन हस्ती हैं जिन्हें "उड़न परी" के नाम से जाना जाता है। वे भारत की सबसे सफल महिला एथलीटों में से एक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और संकल्प की मिसाल आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

पी. टी. उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल राज्य के कोषिकोड जिले के पय्योळी नामक गांव में हुआ था। बाद में उनको निकनेम के रूप में 'द पय्योळी एक्सप्रेस' का नाम मिला। वे एक साधारण परिवार से थीं और बचपन में ही उनकी खेलों में रुचि दिखने लगी थी। उनकी प्रतिभा को जल्द ही स्थानीय कोचों ने पहचान लिया। सन 1976 में, जब वे लगभग 12 वर्ष की थीं, केरल सरकार ने कण्णूर जिले में एक विशेष खेल विद्यालय की स्थापना की जहाँ पी.टी. उषा प्रथम बैच की छात्रा थीं। वहीं से उन्होंने औपचारिक खेल प्रशिक्षण की शुरुआत की। इस खेल विद्यालय में उन्हें श्री ओ.एम.नंबियार जैसे अनुभवी कोच मिले, जिन्होंने न केवल उनकी खेल प्रतिभा को तराशा, बल्कि उन्हें अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सिखाई। यहीं से पी.टी. उषा की असली उड़ान शुरू हुई।

1980 के दशक की शुरुआत में ही पी. टी. उषा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने 1977 में केरल राज्य के कोट्टयम जिले में आयोजित एथलेटिक मीट में 13.3 सेकेंड्स में 100 मीटर दौड़ पूरा करके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की। 1979 में नागपुर और हैदराबाद में संपन्न एथलेटिक मीटों में भी अपनी अद्वितीय प्रतिभा द्वारा नए-नए रिकॉर्ड स्थापित किए। 1981 में केरल के इरिञ्जालाक्कुडाम में आयोजित राज्यस्तरीय अमच्चर एथलेटिक मीट में भी उनका प्रदर्शन अद्वितीय था। 1982 के दिल्ली एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उनका सफर कभी नहीं रुका। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स जैसी प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पी. टी. उषा का करियर का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित पल 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में आया। उन्होंने 400 मीटर हर्डल्स दौड़ में भाग लिया और मात्र 1/100 सेकंड से कांस्य पदक चूक गईं। वह भारत के लिए ओलंपिक पदक लाने से भले ही चूक गईं, लेकिन उनका यह प्रदर्शन आज भी भारतीय ओलंपिक इतिहास का गौरवशाली अध्याय माना जाता है। पी. टी. उषा ने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स और 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीते। उनका यह प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने 1982 से 1994 तक लगातार एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

वर्ष 1980 में उन्होंने पाकिस्तान के कराची शहर में आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक मीट में भाग लिया था। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआती बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक थी। यह मीट उनके करियर का अंतरराष्ट्रीय मोड़ साबित हुई। इस प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि उन्हें "क्वीन ऑफ़ इंडियन ट्रैक एंड फ़ील्ड" कहा जाने लगा। वर्ष 1982 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में एशियाई खेल का आयोजन हुआ जिसमें जीते गए दो रजत पदकों ने उनके करियर की नींव रखी। यह उनके करियर की एक महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रतियोगिता थी।

पी.टी. उषा को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1983 में अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाज़ा गया। उन्हें 1985 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ़ द इयर) घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आइएएएफ़) द्वारा उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में मान्यता मिली। इसके अलावा कई राज्यों और खेल संगठनों ने उन्हें विशिष्ट सम्मान प्रदान किए। उनकी उपलब्धियाँ न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता का प्रतीक हैं, बल्कि उन्होंने भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए एक नई राह भी बनाई।

लगभग 20 वर्षों तक भारतीय एथलेटिक्स में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद उन्होंने वर्ष 2002 में कोषिकोड जिले के कोयिलांडी में 'उषा स्कूल ऑफ़ एथलेटिक्स' की स्थापना की। भारत में एथलेटिक्स के लिए उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रामीण और कम संसाधनों वाले बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण व सुविधाएँ देना, भारत को ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम बनाना आदि उद्देश्यों से स्थापित इस स्कूल में कोचिंग स्वयं पी.टी. उषा और उनकी टीम द्वारा दी जाती है। यहाँ 10 से 18 वर्ष की लड़कियों और लड़कों को चुना जाता है और इस स्कूल की कई छात्राएँ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। पी.टी. उषा ने न केवल ट्रैक पर भारत का नाम रोशन किया, बल्कि बाद में खेल प्रशासन में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।

पी.टी. उषा को भारत में प्यार और सम्मान से 'गोल्डन गर्ल' कहा जाता है। यह उपाधि उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन और पदकों की बरसात से अर्जित की। 'गोल्डन गर्ल' केवल एक नाम नहीं, यह एक महिला की उड़ान, साहस और सफलता की कहानी है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा की मिसाल है। उन्होंने यह साबित किया कि कठिन परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए एक नई राह बनाई है। भारतीय खेलों में उनका योगदान अमूल्य है और आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी।



विविधा

शब्द-शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Guten Tag	goo-ten-tahg	जर्मनी	शुभ दिन
Revenu brut	ruh-vuh-new broo	फ्रेंच	सकल आय
Fiscus	fis-koos	लैटिन	खजाना
Taux de change	Toh duh shahn-ji	फ्रेंच	विनिमय दर
Tally stick	Tal-ee-stik	मध्यकालीन अंग्रेजी	क्रेडिट रिकॉर्ड
Borse	Boer-zeh	फ्रेंच	स्टॉक एक्सचेंज
Bienvenue	Bee-en-ven-yoo	फ्रेंच	स्वागत
Pecunia	Peh-koo-nee-ah	लैटिन	धन
Viehztucht	Fee-h-tsoo-kt	जर्मनी	पशुपालन
Facture	Fak-toor	फ्रेंच	बीजक
Danke	Dahn-keh	जर्मनी	धन्यवाद
Pernicious	Per-nish-uhs	लैटिन	हानिकारक
Sub Judice	sub joo-dee-see	लैटिन	न्यायाधीन
Usury	Yoo-zuh-ree	मध्यकालीन अंग्रेजी	ब्याज सहित उधार देना
Redditus	Red-dee-toos	लैटिन	आय
Vermogen	Fair-mur-gen	जर्मनी	संपत्ति
Weizen	Vay-zen	जर्मनी	गेहूँ
Bienvenue	Bee-en-ven-yoo	फ्रेंच	स्वागत
Gericht	Geh-rehct	जर्मनी	अदालत
Indenture	In-den-chur	मध्यकालीन अंग्रेजी	कानूनी अनुबंध
Force majeure	fose ma-zuh	लैटिन	उच्च शक्ति
Girokonto	Jee-ro-kon-to	जर्मनी	चालू खाता
Taux d interet	Toh-dahn-the-ray	फ्रेंच	ब्याज दर
Reeve	Reev	मध्यकालीन अंग्रेजी	वित्त अधिकारी



संकलनकर्ता

पी राजशेखर

वरिष्ठ प्रबंधक

क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु



ब्रेस्ट कैंसर: कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

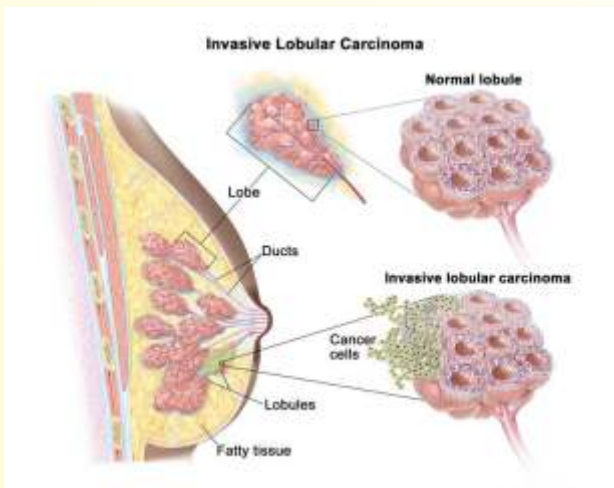
प्रेम चंद गुप्ता, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय गोवा

आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के बीच सबसे आम प्रकार का कैंसर बन गया है। यह कैंसर महिलाओं में होने वाले कुल कैंसर के मामलों का करीब 26% है और कैंसर से होने वाली कुल मौतों का लगभग 15% हिस्सा है। ब्रेस्ट कैंसर का संबंध अक्सर ब्रेस्ट में गांठ होने से होता है। जबकि कई रोगियों में बिना गांठ के भी ब्रेस्ट कैंसर होना संभव है। इसलिए अन्य संकेतों और लक्षणों को जानना महत्वपूर्ण है। इस बीमारी के बढ़ने के कारण बदलती जीवनशैली, खानपान में असंतुलन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा आदि हो सकते हैं।

ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। यह तब होता है जब ब्रेस्टों में कैंसर कोशिकाएं बढ़ जाती हैं और ट्यूमर बन जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 80% मामले आक्रामक होते हैं, जिसका अर्थ है कि ट्यूमर आपके ब्रेस्ट से आपके शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। ब्रेस्ट कैंसर आम तौर पर 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन यह 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को भी प्रभावित कर सकता है।

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण : यदि आपके ब्रेस्ट में कोई असामान्य गांठ महसूस होती है, तो यह ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। आमतौर पर यह गांठ दर्द रहित होती है, पर कभी-कभी दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा, अगर आपके ब्रेस्टों का आकार अचानक बदल जाए, निप्पल में परिवर्तन दिखे, या असामान्य डिस्चार्ज हो तो, ये सभी एक प्रकार का चेतावनी संकेत हैं और ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सलाह ली जानी चाहिए जिससे कि बीमारी का समय रहते इलाज किया जा सके। शुरुआत में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ सामान्य लक्षण उभर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं :

- ब्रेस्ट में एक कठोर गांठ या मांस महसूस होना, जो सामान्यतः दर्द रहित होती है।
- निप्पल से गाढ़ा या खून जैसा स्राव आना।
- ब्रेस्ट के आकार में बदलाव।



- अंडरआर्म्स में गांठ या सूजन का महसूस होना।
 - निप्पल का रंग बदलना या उसमें खुजली या जलन महसूस होना।
- इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से परामर्श करना अनिवार्य है, ताकि बीमारी का समय रहते इलाज हो सके।

ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार : ब्रेस्ट कैंसर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर: इसमें कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के ऊतकों में फैलने लगती हैं। इस प्रकार के कैंसर के अधिकतर मामलों में डक्टल कार्सिनोमा होता है।

इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा : यह एक प्रारंभिक अवस्था का कैंसर है, जो दूध वाहिकाओं में असामान्य कोशिका वृद्धि का संकेत देता है। यह आमतौर पर गैर आक्रामक होता है लेकिन समय पर निदान एवं उपचार महत्वपूर्ण है।

इनवेसिव लॉबुलर कार्सिनोमा: इस प्रकार का कैंसर ब्रेस्ट के दूध उत्पादक लोब्यूल कोशिकाओं में शुरू होता है। डॉक्टर इसे एक आम प्रकार का आक्रामक कैंसर मानते हैं।

इंफ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर: यह एक आक्रामक कैंसर है, जो त्वचा की लालिमा, सूजन और गर्मी के साथ तेजी से फैलता है।

नॉन-इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर: यह धीरे-धीरे बढ़ता है और एक ही स्थान पर सीमित रहता है। हालांकि, समय पर इलाज न होने पर यह भी इन्वेसिव में बदल सकता है।

डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू: यह सबसे अलग तरीके का कैंसर है जहां असामान्य कोशिकाएं दूध नलिकाओं तक ही सीमित रहती हैं।

लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू : इसमें लोब्यूल्स की परत वाली कोशिकाओं में परिवर्तन, जो स्वयं कैंसर नहीं है, लेकिन आक्रामक ब्रेस्ट कैंसर के फैलने के जोखिम को बढ़ाता है।

पैजेट ब्रेस्ट रोग: यह निप्पल और आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। इसके लक्षणों में निप्पल से तरल पदार्थ का रिसाव, खुजली और रंग में बदलाव शामिल है।

बार बार होने वाला ब्रेस्ट कैंसर : यदि रोगी को पहले भी कभी ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रही है और इसका इलाज भी हो चुका है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि यह रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है।

ब्रेस्ट कैंसर के कारण : ब्रेस्ट कैंसर होने के कई कारण होते हैं,

कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

- **आयु:** अधिकांश मामले 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में देखे जाते हैं।
- **लिंग:** महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक होता है।
- **आनुवांशिक प्रवृत्ति:** बीआरसीए1 (BRCA1) और बीआरसीए2



(BRCA2) नामक जीन में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

- **जीवनशैली:** अस्वस्थ खानपान, धूम्रपान, शराब का सेवन, और शारीरिक गतिविधि की कमी भी कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं।
- **अधिक वजन:** ज्यादा वजन वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा आम महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि वजन से शरीर में हार्मोन के स्तर में असंतुलन होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को बढ़ाता है।
- **हार्मोन थेरेपी:** रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल दवाओं का सेवन भी कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है।
- **मासिक धर्म का जल्दी आना या देरी से रजोनिवृत्ति:** महिलाओं में 12 वर्ष से पहले पीरियड्स शुरू होना या 55 के बाद रजोनिवृत्ति होना ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है।

ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज: डॉक्टर उपचार की योजना बनाने के लिए कैंसर स्टेजिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। कैंसर स्टेजिंग डॉक्टर को रोग का निदान निर्धारित करने में भी मदद करती है। ब्रेस्ट कैंसर को इसके ट्यूमर के आकार और प्रसार के आधार पर चार चरणों में बांटा गया है:

ब्रेस्ट कैंसर के चरण निम्नवत हैं:

स्टेज 0: इस चरण में कैंसर कोशिकाएं ब्रेस्ट के डक्ट में ही रहती हैं और अन्य ऊतकों में नहीं फैलतीं।

स्टेज 1: इस चरण में ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है, और लिम्फ नोड्स प्रभावित नहीं होते हैं।

स्टेज 2: इस चरण में कैंसर ट्यूमर का आकार बढ़ जाता है और यह पास के लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है।

स्टेज 3: यह गंभीर चरण होता है जिसमें कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों तक फैलने लगता है।

स्टेज 4: अंतिम चरण में कैंसर शरीर के कई हिस्सों जैसे कि लिवर, हड्डी, दिमाग आदि में फैल चुका होता है।

ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे की जाती है ?

ब्रेस्ट कैंसर की पहचान और जांच के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं :-

मैमोग्राम: एक प्रकार का एक्स-रे टेस्ट जो ब्रेस्ट में गांठ या असामान्य ऊतकों की पहचान करता है। यह 40 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए नियमित रूप से कराने की सलाह दी जाती है।

अल्ट्रासाउंड: यह ब्रेस्ट में ट्यूमर का आकलन करने के लिए किया जाता है, विशेषकर अगर मैमोग्राम से जब स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है।

बायोप्सी: इस परीक्षण में संदिग्ध हिस्से से ऊतक का नमूना लिया जाता है, जिसे लैब में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। यह सबसे सटीक जांच है जो कैंसर की पुष्टि करती है।

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के उपाय: ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और जीवनशैली में सुधार करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के कुछ

उपाय निम्नलिखित हैं :-

स्वस्थ आहार: ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन, और अनाज से युक्त संतुलित आहार लें।

शारीरिक सक्रियता: रोजाना योग, व्यायाम, या किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि से शरीर को फिट रखें।

धूम्रपान और शराब का परहेज: धूम्रपान और शराब का सेवन ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है, इसलिए इनसे दूर रहें।

वजन नियंत्रण: स्वस्थ वजन बनाए रखना भी ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में सहायक है।

जांच और स्वयं परीक्षण: हर महीने अपने ब्रेस्टों का स्वयं परीक्षण करें और किसी भी असामान्यता को नजरअंदाज न करें।

ब्रेस्ट कैंसर का इलाज: ब्रेस्ट कैंसर का इलाज और रोकथाम दोनों संभव हैं। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में समय पर पहचान और सही उपचार विधि का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। कैंसर के प्रकार और उसके चरण के आधार पर निम्नलिखित उपचार विकल्प उपलब्ध होते हैं:

लम्पेक्टोमी: यह प्रक्रिया तब अपनायी जाती है जब केवल ट्यूमर को निकालना होता है और ब्रेस्ट के अन्य हिस्सों को बरकरार रखा जाता है।

मास्टेक्टॉमी: इसमें ब्रेस्ट का प्रभावित हिस्सा निकाल दिया जाता है, जिससे कैंसर के प्रसार को रोका जा सके।

कीमोथेरेपी: इस उपचार में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए विशेष दवाओं का प्रयोग किया जाता है।

रेडिएशन थेरेपी: इसमें रेडिएशन का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को समाप्त किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी लम्पेक्टॉमी या मास्टेक्टॉमी के बाद दी जाती है, ताकि बची हुई कैंसर कोशिकाओं को मारा जा सके। रेडिएशन थेरेपी में, कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए ऊर्जा की उच्च शक्ति वाली किरणों का उपयोग किया जाता है। इससे कैंसर के दोबारा होने का जोखिम कम हो जाता है।

हार्मोन थेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी: यदि कैंसर हार्मोन या विशेष प्रोटीन (HER2) पर निर्भर है, तो यह उपचार दिए जाते हैं। कुछ प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन के प्रति संवेदनशील होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो महिला हार्मोन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं। हार्मोन थेरेपी आपके शरीर में इन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है या कैंसर कोशिकाओं पर हार्मोन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करती है। यह थेरेपी कैंसर के फैलाव को धीमा कर देती है।

निष्कर्ष: ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तथा इसका संबंध अक्सर ब्रेस्ट में गांठ होने से होता है जो विश्व भर में बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करती है। लेकिन इसे जागरूकता, समय पर जांच, पहचान और सही उपचार से इसका इलाज संभव है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तथा नियमित जांच करवानी चाहिए, ताकि कैंसर का समय पर पता लगाया जा सके और आवश्यक उपचार शुरू किया जा सके।



डिजिटल फ्राँड पर अंकुश

पद्मा चांदवानी, प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

यदि सचमुच में कहीं स्वर्ग है और अगर कोई स्वर्ग जा सकता है तो निश्चित रूप से वहां भी गुनहगारों का वास होगा और बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है। इंटरनेट यानी डिजिटल संसार जैसी सुंदर और अप्रतिम स्थान पर भी जहां दोषियों ने जुर्म करने के लिए नवीन तरीके खोज कर लिए हैं कि उन तक पहुंचना या ढूंढना जटिल ही नहीं असम्भव हो गया है। डिजिटल लेन-देन के उन्नत तकनीकों, जिन्हें आमजन की सुविधा एवं आसानी के लिए सृजित किया गया है, में भी दुस्साहसियों ने अधिकांश रूपों की हेरा-फेरी की है और आमजन को परेशान किया है। डिजिटल फ्राँड कर धोखेबाज़ आमजन की गाढ़ी कमाई को अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी तरह के डिजिटल फ्राँड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकडॉ.टइन' और 'फिनडॉ.टइन' डोमेन शुरू करेगा। इसमें से 'बैंक.इन' भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा, जबकि 'फिनडॉ.टइन' वित्तीय क्षेत्र की गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए होगा।

"जो बदलता है, वही आगे बढ़ता है" -

बैंक.इन डोमेन क्या है?

"बैंक.इन" एक विशेष इंटरनेट डोमेन है जो केवल आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त भारतीय बैंकों के लिए आरक्षित है। इस डोमेन के अंतर्गत आने वाली वेबसाइट्स केवल मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्थाएं ही चला सकेंगी। यानी, अगर कोई ग्राहक किसी वेबसाइट पर जाता है जिसका डोमेन bank.in से समाप्त होता है, तो वह यह मान सकता है कि यह वेबसाइट पूरी तरह से वैध और सुरक्षित है। आरबीआई ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट को एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन 'bank.in' पर स्थानांतरित करें। इस कार्य को 31 अक्टूबर 2025 से पहले पूरा किया जाना है।

उदाहरण के लिए:

- www.sbi.bank.in
- www.hdfc.bank.in
- www.axis.bank.in

बैंक.इन डोमेन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल लेन-देन में भारी वृद्धि देखी गई है, लेकिन इसके साथ-साथ साइबर अपराधों में भी तीव्र बढ़ोत्तरी हुई है। फिशिंग वेबसाइट्स, नकली बैंक पोर्टल्स और सोशल इंजीनियरिंग जैसे तरीकों से अपराधी ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी चुराकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

आरबीआई के अनुसार, 2023-24 में फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 35% की वृद्धि हुई थी। ऐसे में एक आधिकारिक और सत्यापित डोमेन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो ग्राहकों को सुरक्षा का भरोसा दिला सके।

आइडीआरबीटी (IDRBT) की भूमिका

भारतीय बैंकिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आइडीआरबीटी (IDRBT) (Institute for Development and Research in Banking Technology) को इन डोमेन का एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसका मतलब है कि सभी भारतीय बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट को 'bank.in' पर माइग्रेट करेंगे। इसी तरह, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को 'fin.in' डोमेन मिलेगा। यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा।

डिजिटल परिवर्तन की ओर एक कदम:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के सभी बैंकों के लिए 'bank.in'

और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए 'fin.in' डोमेन अनिवार्य होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि इस नई व्यवस्था से वित्तीय लेन-देन अधिक सुरक्षित होंगे। यह कदम डिजिटल बैंकिंग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।

"जो समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है।" - यह पंक्ति आज के डिजिटल युग में पूरी तरह से लागू होती है। बैंकों को डिजिटल बदलाव को अपनाकर अपनी सेवाओं को न केवल समृद्ध करना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें। "bank.in" डोमेन के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को इस डिजिटल दौर में बेहतर और अधिक सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं।

Bank.in के फायदे

- 1. सुलभता और पहचान:** "bank.in" डोमेन नाम अधिक सरल और यादगार है, जो ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट तक पहुंचने में आसानी प्रदान करता है। यह डोमेन नाम उपयोगकर्ताओं के लिए एक सीधा और सरल मार्ग है।
- 2. भारत में उपस्थिति:** चूंकि ".in" डोमेन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से पहचान योग्य है, यह ग्राहकों के लिए एक स्थानीय और विश्वसनीय ब्रांड इमेज बनाने में मदद करता है।
- 3. बेहतर सुरक्षा:** डिजिटल बैंकिंग के दौर में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। नए डोमेन के साथ, बैंक अपनी वेबसाइट और ऐप्स पर बेहतर सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भरोसा मिलेगा।
- 4. बढ़ते साइबर फ्राँड से निपटने की नई रणनीति**
पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्राँड के मामले भी बढ़े हैं। आरबीआई के अनुसार, नए डोमेन लागू होने से फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

डिजिटल बैंकिंग का भविष्य

"bank.in" डोमेन का यह कदम भारतीय बैंकिंग उद्योग में डिजिटल परिवर्तन को और तेज करेगा। भविष्य में, इस तरह के कदम बैंकों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे और ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

"आधुनिकता केवल तकनीक नहीं, बल्कि सोच का बदलाव भी है।"

यह वाक्य आज के बैंकिंग क्षेत्र में पूरी तरह से फिट बैठता है। बैंक अपनी सोच को बदलकर और अपनी सेवाओं को डिजिटलीकरण की दिशा में लाकर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। "bank.in" डोमेन इसी बदलाव का प्रतीक है।

निष्कर्ष

"bank.in" डोमेन का चयन केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं है, बल्कि यह सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। यह कदम ग्राहकों को अधिक सहज और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कराएगा।

**विश्वास की नींव पर ही एक मजबूत संबंध बनता है - चाहे वह
इंसानों के बीच हो या ग्राहक और बैंक के बीच।"**



भारत में महिला सशक्तिकरण

अंकमालिनी सेन, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़

“राष्ट्रस्य श्रवः नारी अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति” अर्थात् महिला वह कान है जिसके माध्यम से राष्ट्र सुनता है, वह नेत्र है जिसके माध्यम से वह देखता है। दुनिया भर में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का प्रश्न एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। उदाहरण के लिए, भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या का 48% हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, वे देश की जीडीपी में केवल 18% का योगदान देती हैं। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता की बहस केवल अमीर-गरीब तक सीमित नहीं, बल्कि पुरुष और महिला की आर्थिक शक्ति के अंतर पर भी केंद्रित हो गई है। आज यदि किसी भी देश को प्रगति करनी है, तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी ही होगी। विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यदि विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी लगभग समान या अत्यधिक निकट है। इसके विपरीत, भारत में यह स्थिति अलग है। भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 37% है। यह पिछले दशक की तुलना में वृद्धि तो दर्शाता है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से आई नीति को एक दूरदर्शी नीति के रूप में देखा जा रहा है। इसमें महिला विकास के लिए एक दृष्टि है, जिसे मिशन के रूप में लेकर कार्य करना है।

यह नीति एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करती है जो विभिन्न क्षेत्रों को अधिक विस्तृत, क्षेत्र-विशिष्ट नीति दस्तावेज विकसित करने का निर्देश देती है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकें और जीवन के सभी पहलुओं में समान भागीदार के रूप में भाग ले सकें, जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रभावित हो सके। इसके अलावा, मिशन का उद्देश्य एक प्रभावी ढांचा स्थापित करना है जो परिवार, समुदाय, कार्यस्थल और शासन में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं के विकास का मार्गदर्शन करेगा। भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों और समानता की पुरजोर वकालत करता है। इस संबंध में संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं। भारत कई संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू), बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन और बाल अधिकारों पर सम्मेलन शामिल हैं। ये सम्मेलन महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ



भारत में महिला सशक्तिकरण की राह में चुनौतियाँ:

- महिला श्रम बल में लगातार कम भागीदारी:** सामाजिक मानदंड, लचीली नौकरियों की कमी और देखभाल की जिम्मेदारियाँ महिलाओं की सक्रिय आर्थिक भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं। कई महिलाएँ विवाह या बच्चे के जन्म के बाद नौकरी छोड़ देती हैं तथा अनुकूल कार्य वातावरण के अभाव के कारण पुनः प्रवेश कठिन बना रहता है।
- अवैतनिक देखभाल कार्य और घरेलू बोझ:** महिलाएँ अनुपातहीन रूप से अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जो आधिकारिक आर्थिक मापदंडों में अदृश्य रहता है। यह दोहरा बोझ शिक्षा, कौशल विकास या औपचारिक रोजगार के लिये समय को सीमित करता है। घरेलू जिम्मेदारियों को अभी भी महिलाओं का कर्तव्य माना जाता है जो लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करता है। घरेलू कार्यों में पुरुषों की भागीदारी अत्यंत कम बनी हुई है, जो धीमे सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। टाइम यूज सर्वे से पता चलता है कि महिलाएँ अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर प्रतिदिन 236 मिनट खर्च करती हैं, जबकि पुरुष 24 मिनट प्रतिदिन खर्च करते हैं।
- लिंग आधारित वेतन अंतर और अनौपचारिकता:** जब महिलाएँ काम करती हैं, तब भी उन्हें वेतन असमानताओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में। बहुत से लोग कम वेतन वाले, असुरक्षित, अनौपचारिक कामों में लगे हुए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वेतन में अंतर के कारण लंबे समय तक कार्यबल में बने रहना मुश्किल हो जाता है और महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन कम हो



जाता है। उदाहरण के लिये, शहरी क्षेत्रों में पुरुष महिलाओं की तुलना में 29.4% अधिक कमाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वे 51.3% अधिक कमाते हैं। लगभग 81% महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं (NSSO, 2023)।

- **लिंग आधारित हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** सार्वजनिक और निजी स्थानों पर सुरक्षा संबंधी भय महिलाओं की गतिशीलता, रोज़गार एवं शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है। एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि 18-49 वर्ष की आयु की 29.3% विवाहित महिलाओं ने पति द्वारा हिंसा का अनुभव किया है। लिंग-आधारित हिंसा (जीबीवी) मनोवैज्ञानिक और आर्थिक अशक्तता का कारण बनती है। उदाहरण के लिये, भारत में हर घंटे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के 51 मामले दर्ज होते हैं।
- **राजनीतिक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में अल्प प्रतिनिधित्व:** ज़मीनी स्तर पर संख्यात्मक लाभ के बावजूद, उच्च स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अल्प है। महिलाओं को न केवल ग्लास सीलिंग (अदृश्य बाधाएँ जो महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचने से रोकती हैं) का सामना करना पड़ता है, बल्कि ग्लास क्लिफ के उदाहरणों का भी सामना करना पड़ता है, जहाँ संकट के समय में उन्हें नेतृत्व की भूमिका में नियुक्त किये जाने की अधिक संभावना होती है, जिससे सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। संसद में महिलाओं की कमी (महिला आरक्षण विधेयक का क्रियान्वयन अगले सत्र तक लंबित है) और कॉर्पोरेट बोर्ड लिंग-संवेदनशील नीति निर्माण को कम करते हैं। पंचायतों में आरक्षण अभी तक राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर आनुपातिक संख्या में तब्दील नहीं हुआ है। उदाहरण के लिये, 18वीं लोकसभा की केवल 13.6% सदस्य महिलाएँ हैं। इसके अलावा, निफ्टी-500 कंपनियों के निदेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 17.6% है।
- **डिजिटल डिवाइड और तकनीक-पहुँच असमानता:** यद्यपि डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, महिलाओं की डिजिटल उपकरणों तक पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, सीमित है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फोन, इंटरनेट और डिजिटल वित्त तक लैंगिक पहुँच उन्हें शिक्षा, नौकरी या उद्यमिता के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से रोकती है। उदाहरण के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों की केवल 33% महिलाएँ ही इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह प्रतिशत 57% है। मोबाइल फोन का स्वामित्व अभी भी महिलाओं के पास लगभग 54% है।
- **कार्यस्थल पर अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और सहायता:** लिंग-संवेदनशील बुनियादी अवसंरचना (जैसे: स्वच्छता, क्रेच, परिवहन) का अभाव महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने या बने रहने से हतोत्साहित करता है। इसके अलावा, भारत में 37% संगठन अभी भी मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान नहीं करते हैं और केवल 17.5% ही शिशु देखभाल सुविधाएँ प्रदान करते हैं। पर्याप्त मातृत्व लाभ, सवेतन छुट्टी या लचीले कॉर्पोरेट काम के घंटों के बिना, महिलाओं को काम और जीवन के बीच संतुलन कॉर्पोरेट बनाना मुश्किल लगता है। कई महिलाएँ देखभाल करने वाली भूमिकाओं के कारण नौकरी छोड़ देती हैं।

आर्थिक विकास में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये

उपाय:

- **महिला शिक्षा और रोजगार :** उच्च शिक्षा कार्यबल में भागीदारी बढ़ाती है जिससे महिलाओं के रोजगार पाने की संभावना अधिक होती है। माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार निरक्षर महिलाओं की तुलना में तीन गुना अधिक है। साथ ही शिक्षा व्यावसायिक अलगाव को कम करती है। शिक्षित महिलाएँ पारंपरिक भूमिकाओं (कृषि, घरेलू कार्य) से परे विज्ञान, तकनीक, इंजिनियरिंग और गणित, वित्त और प्रशासन में विविध क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। शिक्षित महिलाएँ बेहतर वेतन कमाती हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और घरों में अधिक निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। उच्च शिक्षा वेतन असमानता को कम करती है; हालाँकि, कुशल श्रमिकों के बीच भी 15-25% लैंगिक वेतन अंतर बना रहता है।
- **किफायती बाल देखभाल और क्रेच सुविधाओं तक पहुँच का विस्तार करना:** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत क्रेच सुविधाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रव्यापी बाल देखभाल सहायता मिशन शुरू किये जाने की आवश्यकता है। इसे मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत कार्यस्थल नीतियों के साथ जोड़ा जाना चाहिये, जो अनौपचारिक प्रतिष्ठानों सहित सभी उद्यमों के लिये किफायती डेकेयर केंद्रों को अनिवार्य बनाता हो। इससे विशेषकर 25-40 आयु वर्ग की महिलाएँ, देखभाल के बोझ के बिना कार्यबल में पुनः प्रवेश कर सकेंगी।
- **बुनियादी अवसंरचना और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र परियोजनाओं में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना:** स्वच्छता, परिवहन, जल, आवास के लिये बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में लिंग-उत्तरदायी बजट को अनिवार्य किया जाना चाहिये ताकि महिलाओं के लिये सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना की उपयोगिता में सुधार हो सके। महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना और ग्रामीण इंटरनेट परियोजनाओं में डिजिटल साक्षरता को शामिल किया जाना चाहिये। सामुदायिक भागीदारी मंचों के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और निगरानी में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिये।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना:** महिलाओं के नेतृत्व वाले अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक कार्यद्वारों के तहत लाने के लिये लिंग-स्मार्ट उद्यम पंजीकरण अभियान शुरू किये जाने चाहिये। इससे अनौपचारिक महिला श्रमिकों की दृश्यता, सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ती है।
- **औपचारिक ऋण तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना:** प्रधानमंत्री जन धन योजना का अभिगम बढ़ाना तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिये मुद्रा योजना के अंतर्गत किफायती ऋण तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के साथ जोड़कर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को उद्यमशीलता कौशल से सशक्त बनाया जाना चाहिये। ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, मार्गदर्शन कार्यक्रम



प्रदान करके तथा बैंकों में लैंगिक-संवेदनशील वित्तीय सहायता डेस्क स्थापित करके महिला उद्यमियों को समर्थन प्रदान किया जाना चाहिये।

- **लैंगिक समानता के लिये कार्यस्थल नीतियों को मज़बूत बनाना:** पीओएसएच अधिनियम, 2013 के तहत लचीले कार्य घंटे, सवेतन मातृत्व अवकाश और उत्पीड़न विरोधी उपायों सहित लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल नीतियों को अनिवार्य बनाना। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिये हाइब्रिड कार्य अवसरों और दूरस्थ नौकरियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि उन्हें प्रसव के बाद कार्यबल में बनाए रखा जा सके। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत जेंडर ऑडिट करने और कार्यस्थल विविधता में सुधार करने के लिये कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **नेतृत्व और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना:** राजनीति, शासन और कॉरपोरेट क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिये उन्हें तैयार करने हेतु मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। निजी कंपनियों को विविधता मानदंड अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और नेतृत्व पदों पर महिलाओं का कम से कम 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **सुरक्षा की दरकार:** महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें लिंग आधारित हिंसा, टकराव, ख़ाद्य असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कमी शामिल हैं। घर या कार्यस्थल पर हिंसा होना, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है और उससे, उनकी आर्थिक भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है। शोध से पता चलता है कि नक़्दी हस्तान्तरण जैसी लिंग-उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएँ, महिलाओं में मृत्यु दर को कम कर सकती हैं, जो आर्थिक मज़बूती और सुरक्षा के बीच सम्बन्धों को प्रदर्शित करती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि असुरक्षा किस रूप में सामने आती है, यह महिलाओं की आर्थिक मज़बूती में बाधा डालती है, उन्हें गरीबी के दलदल में फँसाती है और उन्हें अपने अधिकारों व क्षमता का प्रयोग करने से रोकती है। निजी क्षेत्र सहित विविध हितधारकों को एक साथ लाना और उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं को आर्थिक कामगारों के रूप में पुरुषों से कमतर मानते हैं।

निष्कर्ष: 'नारी अस्य समाजस्य कुशलवास्तुकारा अस्ति': 'नारी समाज की आदर्श शिल्पकार है', भारतीय दर्शन का यह उल्लेख नारी शक्ति और निर्माण का आह्वान है। भारत में नारी सदैव अग्रणी रही है, प्रथमा रही है। मातृशक्ति को आदिशक्ति माना जाता है। हमारी परंपरा, संस्कृति और चिंतन में नारी का सम्मान रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मज़बूत कर सकते हैं। महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स में उनकी भूमिका और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बन सकता है। महिलाओं की श्रम शक्ति में सक्रिय भागीदारी केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक आर्थिक रणनीति भी है। यह समय है कि हम सभी मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें, जहाँ हर महिला अपने सपनों को साकार कर सके और देश को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सके।

एक कामकाजी नारी की पुकार



मैं भी हूँ एक नारी, सपनों से भरी,
संघर्ष की राहों पर हूँ मैं खड़ी।
बचपन में सुना था, दुनिया है अपनी,
पर देखा तो जाना, नीचे है सख़्त ज़मीन।

जब कलम उठाई, पढ़ने को चली,
लोगों ने रोका, यह राहें हैं नहीं तेरी।
पर बढ़ती रही मैं, आँधियों के पार,
सपनों के दीप जलाए हर बार।

बैंक की दहलीज़ पर जब मैंने रखा कदम,
नज़रें कह रही थीं, "क्या कर पाएंगी यह?"
कभी ग्राहक का संदेह, कभी समाज का भार,
पर मैंने न छोड़ा अपना उड़ने का अधिकार।

घर में भी देखी, दोहरी कसौटी,
काम करूँ बाहर, फिर भी जिम्मेदारी मेरी।
त्योहारों पर दौड़ें, बैंक और घर संभालूँ,
फिर भी सुनूँ, "बैटी, घर पर ही रहो।"

माँ बनी जब मैं, मन हुआ द्विधा,
दफ़्तर बुलाए, उधर बच्चा रोता।
क्या पिता से भी यही प्रश्न किए जाते हैं?
या केवल माँ ही ऐसे हालात सहती हैं?

समाज सुनो अब, ज़रा सोच बदलो,
हर नारी को उसके सपनों से मत टकराओ।
बस थोड़ी सहूलियत, थोड़ा सम्मान,
फिर देखो कैसे हर घर में जगमगाएगा आसमान।

मैं भी हूँ इंसान, नारी बस नहीं,
मेरे भी हैं सपने, हौसले कहीं।
बस एक अवसर दो, विश्वास रखो,
फिर देखो, हर मुकाम पर हम भी दमकें।

"न रोक सकेगी अब दुनिया हमारी,
हम भी लिखेंगे नई इबारत प्यारी!"

कोमल सोनी
प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय
अहमदाबाद





रोज़गार में समान अवसर: एक महिला बैंककर्मि की नज़र से

हिमांशी शर्मा, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद

भारत में जब भी नौकरियों और करियर की बात होती है, तो यह चर्चा अक्सर पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में ही सीमित रह जाती है। महिलाओं के लिए कार्यक्षेत्र में प्रवेश और वहाँ टिके रहना एक चुनौतीपूर्ण सफर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में चौदह साल से काम करने के बाद, मैंने यह महसूस किया है कि भले ही कानूनी रूप से हमें समान अवसर प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। महिलाओं के प्रति समाज की सोच, कार्यस्थल पर मौजूद अनदेखे भेदभाव और पारिवारिक अपेक्षाएँ—ये सभी उनके करियर में बाधा बनती हैं।

क्या सच में है समान अवसर?

संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, और सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरियों में स्थान भी मिल रहा है। लेकिन क्या केवल नौकरी मिल जाना ही समानता का संकेत है? वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है।

1. मौके तो हैं, पर स्वीकार्यता नहीं

बैंकिंग हो, आइटी हो, इंजीनियरिंग हो या प्रशासनिक सेवाएँ—महिलाएँ हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। परंतु, उनके कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को अक्सर शक की नज़रों से देखा जाता है। एक महिला अधिकारी जब किसी वित्तीय निर्णय या ऋण स्वीकृति पर हस्ताक्षर करती है, तो कई बार उससे अधिक प्रमाण और तर्क मांगे जाते हैं, जो कि पुरुष सहकर्मियों से अपेक्षित नहीं होते।

2. कार्यस्थल पर छिपा भेदभाव

महिलाओं को कई बार महत्वपूर्ण पदों पर लाने में हिचकिचाहट होती है, यह सोचकर कि वे पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के कारण पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाएँगी। बैंकिंग सेक्टर में उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या अब भी सीमित है। अक्सर प्रमोशन के समय यह सोच हावी हो जाती है कि महिला अधिकारी "मेनेज" नहीं कर पाएँगी, जबकि पुरुष अधिकारियों से यह सवाल ही नहीं पूछा जाता।

3. काम और घर के बीच संतुलन की चुनौती

भारतीय समाज में अभी भी यह अपेक्षा की जाती है कि घर और परिवार की ज़िम्मेदारी मुख्यतः महिलाओं की होगी। कार्यस्थल पर एक पुरुष कर्मचारी देर तक काम करे तो उसे मेहनती कहा जाता है, लेकिन अगर कोई महिला देर तक रुके तो उससे पूछा जाता है—"घर कौन देखेगा?" यह सोच महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है और उन्हें कई बार अच्छे अवसरों से दूर कर देती है।

महिलाओं को समान अवसर कैसे दिए जा सकते हैं?

अगर हमें सही मायनों में नौकरी में समानता लानी है, तो केवल कानून और नीतियों से बात नहीं बनेगी। समाज की मानसिकता और कार्यस्थल की संरचना में बदलाव लाने होंगे।

1. मातृत्व और पितृत्व अवकाश में संतुलन

मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलता है, लेकिन पितृत्व अवकाश सीमित होता है। इससे यह संदेश जाता है कि बच्चे की ज़िम्मेदारी केवल माँ की होती है। यदि पितृत्व अवकाश को अनिवार्य किया जाए, तो परिवारों में ज़िम्मेदारी साझा करने की संस्कृति विकसित होगी और महिलाओं पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा।

2. कार्यस्थल पर सुरक्षित और अनुकूल माहौल

कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता कार्यस्थल पर सुरक्षा और सहयोग की होती है। बैंकिंग जैसे क्षेत्र में जहाँ महिला अधिकारियों को दूर-

दराज़ शाखाओं में भी जाना पड़ता है, वहाँ उनके लिए सुरक्षित यात्रा और आवास की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3. महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना

उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए संगठनों को विशेष रूप से काम करना होगा। महिला अधिकारियों को नेतृत्व और निर्णय लेने की भूमिका में लाने के लिए नीतियाँ बनानी होंगी। इससे नई पीढ़ी की महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

4. लचीले कार्य घंटे और वर्क-फ्रॉम-होम विकल्प

महिलाओं के लिए लचीले कार्य घंटे और वर्क-फ्रॉम-होम जैसी व्यवस्थाएँ लागू की जानी चाहिए। इससे वे परिवार और करियर के बीच संतुलन बना सकेंगी। कई विकसित देशों में यह प्रणाली सफल रही है, और भारत में भी इसे अपनाया जाना चाहिए।

5. बच्चों की देखभाल के लिए बैंकिंग सेक्टर में क्रेच सुविधा

जिन बैंकों और कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहाँ क्रेच सुविधा होनी चाहिए ताकि महिलाएँ बिना चिंता के अपने बच्चों को पास रखकर काम कर सकें।

समाज की सोच में बदलाव ज़रूरी

कानून और नीतियों से भी अधिक ज़रूरी है समाज की मानसिकता में बदलाव। अगर परिवार और समाज महिलाओं को बराबरी का अवसर देगे, तो उनके करियर में तरक्की की राह आसान होगी।

1. लड़कियों की शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देना

बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे किसी से कम नहीं हैं। माता-पिता को बेटियों की शिक्षा और करियर को उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए जितनी वे बेटों को देते हैं।

2. कामकाजी महिलाओं के प्रति सम्मानजनक रवैया

जब कोई महिला नौकरी कर रही होती है, तो उसे केवल घर चलाने वाली मशीन या अतिरिक्त कमाई का साधन न समझा जाए। उसकी योग्यता और मेहनत को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है।

3. घर के कामों में भागीदारी

अगर पुरुष घर के कामों में बराबरी से हिस्सा लें, तो महिलाओं को करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। घर और बच्चों की ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं, बल्कि पिता की भी होती है।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं को नौकरियों में समान अवसर देने की दिशा में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। असली समानता तब होगी जब महिलाओं को केवल नौकरी करने का हक नहीं, बल्कि बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर भी मिलेगा।

"समाज को यह समझना होगा कि महिलाएँ केवल सहायक नहीं, नेतृत्वकर्ता भी हो सकती हैं। अगर उन्हें सही अवसर और वातावरण दिया जाए, तो वे भी हर ऊँचाई को छू सकती हैं।"

कामकाजी महिलाओं के लिए राह आसान बनाना सिर्फ नीतियों का काम नहीं, बल्कि हम सभी की ज़िम्मेदारी है। जब हर परिवार, हर संगठन, और हर व्यक्ति इस दिशा में एक कदम बढ़ाएगा, तब सच्चे अर्थों में समान अवसरों की परिभाषा सार्थक होगी।



भारत की शिक्षा प्रणाली और भविष्य

शिखा कुमारी, ग्राहक सेवा सहयोगी, रांची क्षेत्र

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। यह केवल ज्ञान के हस्तांतरण का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समरसता, आर्थिक उन्नति और राष्ट्र निर्माण का भी आधार होती है। भारत, जिसकी सभ्यता और शिक्षा की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हैं, आज वैश्विक मंच पर उभरती हुई महाशक्ति बन चुका है। बावजूद इसके, भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली कई स्तरों पर गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, जहाँ 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend) तभी साधक हो सकता है जब देश की शिक्षा प्रणाली सक्षम, समावेशी, और भविष्योन्मुखी हो। परंतु, वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे रटत प्रणाली, असमानता, रोजगारोन्मुख शिक्षा की कमी, शिक्षकों की गुणवत्ता और संसाधनों की कमी। इन समस्याओं का समाधान कर ही भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बन सकता है।

समय की मांग है कि हम इसकी संरचना, कार्यप्रणाली और उद्देश्य में व्यापक सुधार करें, ताकि यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्थिति

आज भारत की शिक्षा प्रणाली मुख्यतः औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित है, जिसे अंग्रेजों ने प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया था। यह प्रणाली रट्टा आधारित, परीक्षा-केंद्रित और नौकरी उन्मुख है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लागू होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर अभी भी कई समस्याएँ विद्यमान हैं:

असमानता: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में संसाधनों, शिक्षकों की गुणवत्ता और डिजिटल पहुँच में भारी अंतर है।

पाठ्यक्रम का बोझ: बच्चों पर भारी पाठ्यक्रम लादा जाता है, जिससे रचनात्मकता और सोचने की क्षमता दब जाती है।

रटत प्रणाली: छात्र ज्ञान को समझने के बजाय परीक्षा पास करने के लिए याद करते हैं।

सीखने का स्तर: एएसईआर रिपोर्टों के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्र कक्षा स्तर के अनुसार बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणित में कमजोर हैं।

नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा की कमी: शिक्षा केवल अकादमिक हो गई है, जिसमें नैतिकता, संस्कार और व्यवहार कौशल की उपेक्षा होती है।

शिक्षा में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

1. बदलती वैश्विक आवश्यकताएँ:

21वीं सदी की दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसी नई विधाओं के लिए शिक्षा प्रणाली को उन्नत और अद्यतन बनाना आवश्यक है।

2. रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए:

भारतीय अर्थव्यवस्था को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। आज की शिक्षा प्रणाली छात्रों को वह कौशल नहीं दे रही जो उद्योगों और स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, विशेषकर शिक्षित युवाओं में।

3. समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के लिए:

शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम है। यदि सभी को समान गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी, तो असमानता और सामाजिक विभाजन बढ़ेगा।

4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए:

21 वीं सदी में ज्ञान आधारित समाज बनाना है तो शिक्षा प्रणाली को नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना होगा।

5. रोजगार योग्यता का संकट

श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, लाखों स्नातक डिग्री प्राप्त युवा बेरोजगार हैं। इसका एक बड़ा कारण शिक्षा में व्यावसायिक कौशल और व्यावहारिक ज्ञान की कमी है।

6. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

समाज के वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए शिक्षा प्रणाली में समावेशिता और लचीलापन लाना ज़रूरी है।

7. रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी शिक्षा चाहिए जो बच्चों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और नवाचार करने के लिए प्रेरित करे।

सुधार के प्रमुख क्षेत्र

1. पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में सुधार

- पाठ्यक्रम को व्यावहारिक, प्रासंगिक और कौशल आधारित बनाया जाए।
- शिक्षण को संवादात्मक और अनुभव-आधारित किया जाए।
- रट्टा प्रणाली को खत्म कर विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए।
- क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा दिया जाए।

2. शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण

- शिक्षकों की भर्ती योग्यता और प्रशिक्षण आधारित होनी चाहिए।
- लगातार प्रशिक्षण (In-service training) और नई तकनीकों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- शिक्षकों को केवल परीक्षकों की भूमिका में नहीं, बल्कि मेंटर और प्रेरणास्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए।

3. डिजिटल शिक्षा और तकनीकी समावेशन

- ऑनलाइन शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और सशक्त बनाना होगा।
- स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग सामग्री और डिजिटल प्रयोगशालाएँ बढ़ाई जाएँ।
- सस्ते इंटरनेट और डिवाइसेज़ उपलब्ध कराए जाएँ।

4. मूल्य आधारित और समग्र शिक्षा

- नैतिक शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन कौशल को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।
- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित किया जाए।

5. उच्च शिक्षा में नवाचार और शोध को बढ़ावा

- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और इकोसिस्टम तैयार किया जाए।
- उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाई जाए।
- विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और गुणवत्ता मानकों को अपनाया जाए।

6. व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा

- आईटीआई, पॉलिटेक्निक, और कौशल विकास केंद्रों को मजबूत किया जाए।
- स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक विषयों की शुरुआत की जाए।
- 'एक राष्ट्र, एक कौशल नीति' की अवधारणा को मजबूती मिले।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक नई दिशा

भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- 5+3+3+4 की नई स्कूली संरचना
- मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा
- बहुविषयक शिक्षा और लचीलापन
- कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा पर बल
- मूल्य आधारित शिक्षा और सीखने का समग्र दृष्टिकोण

नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इस नीति में कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करते हैं। नीचे इसकी प्रमुख विशेषताएं प्रस्तुत की गई हैं:

1. नई शैक्षणिक संरचना: 5+3+3+4 मॉडल

एनईपी 2020 में पारंपरिक 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 संरचना अपनाई गई है, जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुरूप है:

- आधारभूत चरण (3-8 वर्ष): 3 वर्ष की प्री-स्कूलिंग/आंगनवाड़ी + कक्षा 1-2; गतिविधि-आधारित शिक्षण पर जोर।
- तैयारी चरण (8-11 वर्ष): कक्षा 3-5; भाषण, पढ़ाई, लेखन, गणित, विज्ञान, कला आदि की शुरुआत।
- मध्य चरण (11-14 वर्ष): कक्षा 6-8; विषयों की गहनता में प्रवेश।
- माध्यमिक चरण (14-18 वर्ष): कक्षा 9-12; बहुविषयक और लचीला पाठ्यक्रम।

2. मातृभाषा में शिक्षा

नीति के अनुसार, कक्षा 5 तक (और संभवतः कक्षा 8 तक) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। इससे बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी।

3. व्यावसायिक शिक्षा का समावेश

कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी, जिससे छात्र व्यावहारिक कौशल सीख सकें। इसके लिए इंटरनेट और हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

4. मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम

उच्च शिक्षा में छात्रों को विभिन्न स्तरों पर प्रवेश और निकास की सुविधा दी जाएगी:

- 1 वर्ष: सर्टिफिकेट
- 2 वर्ष: डिप्लोमा
- 3 वर्ष: बैचलर डिग्री
- 4 वर्ष: बैचलर डिग्री (रिसर्च के साथ)

यह लचीलापन छात्रों को अपनी शिक्षा को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

5. शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास

शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी।

6. डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग

- एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ)' की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से शिक्षा में तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. शोध और नवाचार को बढ़ावा

'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ)' की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

8. शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण

नीति के तहत शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जिससे भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके।

9. समानता और समावेशिता

एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए 'जेंडर इन्क्लूजन फंड' और 'स्पेशल एजुकेशन जोन' की स्थापना की जाएगी।

10. शिक्षा में निवेश

नीति का लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6% तक बढ़ाना है, जिससे शिक्षा प्रणाली को आवश्यक संसाधन मिल सकें।

11. वैश्विक शिक्षा प्रणाली से क्या सीख सकते हैं?

फिनलैंड: वहाँ शिक्षा प्रणाली में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है, लेकिन शिक्षक उच्च प्रशिक्षित होते हैं और छात्रों को तनावमुक्त शिक्षा दी जाती है।

जापान: मूल्य आधारित शिक्षा और अनुशासन पर जोर।

सिंगापुर: शिक्षा में तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा का समावेश।

भारत को इन देशों से सीखकर अपनी शिक्षा प्रणाली को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना चाहिए।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ

चुनौतियाँ:

- वित्तीय संसाधनों की कमी
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की निरंतरता
- शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता
- समाज की मानसिकता में बदलाव

संभावनाएँ:

- भारत की युवा आबादी एक विशाल मानव संसाधन है।
- तकनीकी प्रगति से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा सकता है।
- वैश्विक स्तर पर भारत को शिक्षा केंद्र (Knowledge Hub) बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। यह नीति न केवल शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है, बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर देती है। नई संरचना, उच्च शिक्षा में सुधार, व्यावसायिक शिक्षा का महत्व और शिक्षकों का विकास, सभी इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना और भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके सफल कार्यान्वयन से भारत का भविष्य और भी उज्ज्वल होगा।

भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार समय की माँग ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति की अनिवार्यता बन चुकी है। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा जो केवल नौकरी पाने का माध्यम न हो, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाए, नागरिकता का बोध कराए, और वैश्विक मंच पर भारत को गरिमा प्रदान करे। जब हर बच्चा ज्ञान के साथ-साथ विवेक, कौशल और मूल्यों से समृद्ध होगा, तभी भारत एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा।



डिजिटल बैंकिंग

आकृति भटनागर, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर - दिल्ली

डिजिटल बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग की ओर बढ़ने के व्यापक संदर्भ का हिस्सा है, जहाँ बैंकिंग सेवाएँ इंटरनेट के ज़रिए दी जाती हैं। पारंपरिक बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग में बदलाव धीरे-धीरे हुआ है, अभी भी जारी है, और बैंकिंग सेवा डिजिटलीकरण की अलग-अलग डिग्री द्वारा गठित की गयी है। डिजिटल बैंकिंग में प्रक्रिया स्वचालन और वेब-आधारित सेवाओं के उच्च स्तर शामिल हैं और इसमें बैंकिंग उत्पादों को वितरित करने और लेन-देन प्रदान करने के लिए क्रॉस-संस्थागत सेवा संरचना को सक्षम करने वाले एपीआई शामिल हो सकते हैं। यह उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप, मोबाइल और एटीएम सेवाओं के माध्यम से वित्तीय डेटा तक पहुँचने की क्षमता प्रदान करता है।

विवरण

डिजिटल बैंक एक वर्चुअल प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और उससे आगे की प्रक्रिया शामिल है। एक एंड-टू-एंड प्लेटफ़ॉर्म के रूप में, डिजिटल बैंकिंग में वह फ्रंट एंड शामिल होना चाहिए जिसे उपभोक्ता देखते हैं, वह बैक एंड जिसे बैंकर अपने सर्वर और एडमिन कंट्रोल पैनल के माध्यम से देखते हैं, और वह मिडलवेयर जो इन नोड्स को जोड़ता है। अंततः, एक डिजिटल बैंक को सभी सेवा वितरण प्लेटफ़ॉर्म पर बैंकिंग के सभी कार्यात्मक स्तरों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसमें हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ऑनलाइन सेवा, बैंक कार्ड, एटीएम और पॉइंट-ऑफ़-सेल (पीओएस) मशीनों के समान सभी कार्य होने चाहिए।

डिजिटल बैंकिंग सिर्फ़ मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से कहीं ज्यादा है, इसका कारण यह है कि इसमें मिडलवेयर समाधान शामिल हैं। मिडलवेयर एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस को दूसरे ऐप्लिकेशन से जोड़ता है। जोखिम प्रबंधन, उत्पाद विकास और मार्केटिंग जैसे वित्तीय उद्योग विभागों को भी मध्य और बैक एंड में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे सही मायने में एक पूर्ण डिजिटल बैंक माना जा सके। वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा और सरकारी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीक के मामले में सबसे आगे रहना चाहिए।

डिजिटल बैंकिंग का इतिहास

डिजिटल बैंकिंग के शुरुआती रूप 1960 के दशक में एटीएम और कार्ड के आगमन से शुरू हुए। 1980 के दशक में जब इंटरनेट का उदय हुआ और शुरुआती ब्रॉडबैंड की शुरुआत हुई, तो डिजिटल नेटवर्क ने खुदरा विक्रेताओं को आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं से जोड़ना शुरू कर दिया, ताकि शुरुआती ऑनलाइन कैटलॉग और इन्वेंट्री सॉफ़्टवेयर सिस्टम की ज़रूरतें विकसित की जा सकें।

1990 के दशक तक, इंटरनेट व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया था और ऑनलाइन बैंकिंग आम बात हो गई थी। 2000 के दशक की शुरुआत

में ब्रॉडबैंड और ई-कॉमर्स सिस्टम में सुधार के कारण आज की आधुनिक डिजिटल बैंकिंग दुनिया जैसी स्थिति बन गई। अगले दशक में स्मार्टफोन के प्रसार ने एटीएम मशीनों से परे चलते-फिरते लेन-देन के लिए दरवाज़ा खोल दिया। 60% से ज्यादा उपभोक्ता अब डिजिटल बैंकिंग के लिए अपने स्मार्टफोन को अपनी पसंदीदा विधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

एंड-टू-एंड स्थिरता और सेवाओं की मांग है, जो सुविधा और उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अनुकूलित हैं। बाज़ार क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म फ्रंट एंड प्रदान करता है, जो उपलब्ध तकनीक जैसे मोबाइल डिवाइस, या घर पर डेस्कटॉप या स्मार्ट टीवी के आधार पर खरीद निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। बैंकों को उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए, उन्हें डिजिटल तकनीक में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो चपलता, मापनीयता और दक्षता प्रदान करता है।

बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग का क्या मतलब है?

2015 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 47% बैंकर डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने की क्षमता देखते हैं, 44% इसे प्रतिस्पर्धी लाभ उत्पन्न करने के साधन के रूप में देखते हैं, 32% इसे नए ग्राहक अधिग्रहण के लिए एक चैनल के रूप में देखते हैं। केवल 16% ने लागत बचत की क्षमता पर जोर दिया।

डिजिटल बैंकिंग के प्रमुख लाभ हैं:

- **व्यावसायिक दक्षता** - डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म न केवल ग्राहकों के साथ बातचीत को बेहतर बनाते हैं और उनकी ज़रूरतों को ज्यादा तेज़ी से पूरा करते हैं, बल्कि वे आंतरिक कार्यों को ज्यादा कुशल बनाने के तरीके भी प्रदान करते हैं। जबकि बैंक दशकों से उपभोक्ता के लिए डिजिटल तकनीक के मामले में सबसे आगे रहे हैं, लेकिन उन्होंने उत्पादकता में तेज़ी लाने के लिए मिडलवेयर के सभी लाभों को पूरी तरह से नहीं अपनाया है।
- **लागत बचत** - बैंकों के लिए लागत कम करने की कुंजी में से एक स्वचालित अनुप्रयोग है जो अनावश्यक मैनुअल श्रम की जगह लेते हैं। मैकिसे एंड कंपनी के अनुसार, पारंपरिक बैंक प्रसंस्करण महंगा, धीमा और मानवीय त्रुटि से ग्रस्त है। लोगों और कागज़ पर निर्भर रहने से कार्यालय की जगह भी कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा और भंडारण लागत बढ़ जाती है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अधिक गुणात्मक डेटा की सहक्रियाओं और बाज़ार में होने वाले बदलावों पर तेज़ प्रतिक्रिया के ज़रिए लागत को और कम कर सकते हैं।
- **बढ़ी हुई सटीकता** - पारंपरिक बैंक जो मुख्य रूप से कागज़ प्रसंस्करण पर निर्भर करते हैं, उनमें 40% तक की त्रुटि दर हो सकती है, जिसके लिए पुनः कार्य करने की आवश्यकता होती है। शाखा और बैंक ऑफिस कर्मियों के बीच आईटी एकीकरण की



कमी के साथ, यह समस्या व्यावसायिक दक्षता को कम करती है। सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाकर, व्यावसायिक सॉफ्टवेयर के साथ आईटी समाधान लागू करना आसान होता है, जिससे अधिक सटीक लेखांकन होता है। सरकारी विनियमों का अनुपालन करने के लिए बैंकों के लिए वित्तीय सटीकता महत्वपूर्ण है।

- **बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता** - डिजिटल समाधान मार्केटिंग सूचियों को प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे बैंकों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने और तकनीक के जानकार उपभोक्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद मिलती है। सीआरएम प्लेटफॉर्म ग्राहक इतिहास को ट्रैक कर सकते हैं और ईमेल और ऑनलाइन संचार के अन्य रूपों तक त्वरित पहुंच प्रदान कर सकते हैं। यह ग्राहक पुरस्कार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी है जो वफादारी और संतुष्टि में सुधार कर सकते हैं।
- **अधिक चपलता** - स्वचालन का उपयोग बाहरी और आंतरिक दोनों प्रक्रियाओं को गति दे सकता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में सुधार हो सकता है। 2008 में वित्तीय बाजारों के पतन के बाद, जोखिम प्रबंधन पर अधिक जोर दिया गया। बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन पेशेवरों को नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के बजाय, जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए बाजार में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाना और उनका जवाब देना अनुभवी पेशेवरों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से संभव है।
- **बढ़ी हुई सुरक्षा** - सभी व्यवसाय, चाहे वे बड़े हों या छोटे, साइबर खतरों की बढ़ती संख्या का सामना करते हैं जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फरवरी 2016 में आंतरिक राजस्व सेवा ने घोषणा की कि पिछले वर्ष इसे हैक कर लिया गया था, जैसा कि कई बड़ी तकनीकी कंपनियों ने किया था। बैंकों को डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की अतिरिक्त परतों से लाभ मिल सकता है।

बैंक एंड बैंकिंग आर्किटेक्चर

डिजिटल बैंकों को प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका अधिक मजबूत आईटी आर्किटेक्चर विकसित करना है। मैनुअल बैंक-ऑफिस प्रक्रियाओं को स्वचालित सॉफ्टवेयर समाधानों से बदलकर, बैंक कर्मचारी त्रुटियों को कम कर सकते हैं और प्रक्रियाओं को गति दे सकते हैं। इस प्रतिमान बदलाव से छोटी परिचालन इकाइयाँ बन सकती हैं और प्रबंधकों को उन कार्यों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिल सकती है जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

स्वचालन से कागज़ की ज़रूरत कम हो जाती है, जो अनिवार्य रूप से उस जगह को ले लेता है जिसे तकनीक से भरा जा सकता है। उत्पादकता को 50% तक बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, बैंक ग्राहक सेवा में सुधार कर सकते हैं क्योंकि वे मुद्रों को तेज़ गति से हल करने में सक्षम होंगे। एक तरीका जिससे बैंक अपनी बैंक एंड बिज़नेस दक्षता में सुधार कर सकता है, वह है सैकड़ों प्रक्रियाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करना:

- पूर्ण स्वचालित

- आंशिक रूप से स्वचालित
- मैनुअल कार्य

कई वित्तीय फर्मों के लिए सभी कार्यों को स्वचालित करना अभी भी व्यावहारिक नहीं है, खासकर वे जो वित्तीय समीक्षा करते हैं या निवेश सलाह देते हैं। लेकिन जितना अधिक बैंक बोझिल अनावश्यक मैनुअल कार्यों को स्वचालन से बदल सकता है, उतना ही वह उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिनमें ग्राहकों के साथ सीधा संचार शामिल है। वर्तमान में बैंकों को अधिक डिजिटल बैंक एंड वातावरण में निवेश करने से रोकने वाली बाधाएँ हैं:

- बैंकों ने पारंपरिक रूप से नए उत्पादों को लॉन्च करने को प्राथमिकता दी है जिन्हें स्वचालित करना अभी भी मुश्किल है।
- विलय और अधिग्रहण, नए उत्पाद और सरकारी विनियमनों ने पहले ही जटिल आईटी आर्किटेक्चर स्थापित कर दिए हैं जिन्हें संशोधित करना मुश्किल है।
- आईटी टीमों में हमेशा व्यावसायिक प्राथमिकताओं को नहीं समझ पातीं।
- कई बैंकों में पारंपरिक मेनफ्रेम वातावरण से परे इन-हाउस आईटी विशेषज्ञता का अभाव है।

डिजिटल नकदी की ओर दिशा

डिजिटल नकदी भौतिक नकदी से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करती है, जैसे कि पैसे का गलत जगह पर रखा जाना या चोरी या क्षतिग्रस्त होने की संभावना। इसके अतिरिक्त, विवाद के मामलों में डिजिटल नकदी का पता लगाया जा सकता है और उसका अधिक सटीक हिसाब लगाया जा सकता है। चूंकि उपभोक्ताओं को अपनी उंगलियों पर खरीदारी के अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने बटुए में भौतिक नकदी रखने की कम आवश्यकता है।

डिजिटल नकदी की मांग बढ़ने के अन्य संकेत पी2पी जैसे पीयर-टू-पीयर भुगतान प्रणालियों के उपयोग और बिटकॉइन जैसी अनट्रैसेबल क्रिप्टोकॉरेंसी के उदय से उजागर होते हैं। लगभग हर वह चीज़ जिसका भुगतान भौतिक नकदी से किया जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से बैंक कार्ड के स्वाइप से किया जा सकता है, जिसमें पार्किंग मीटर भी शामिल है। समस्या यह है कि यह तकनीक अभी भी सर्वव्यापी नहीं है। बीबीसी के अनुसार, 2007 और 2012 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में नकदी का प्रचलन 42% बढ़ा, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 7% रही।

पूरी तरह से डिजिटल कैश अर्थव्यवस्था की अवधारणा अब सिर्फ एक भविष्य का सपना नहीं रह गई है, लेकिन निकट भविष्य में भौतिक नकदी का चलन खत्म होने की संभावना नहीं है। उपभोक्ता विकल्प के रूप में सभी डिजिटल बैंक संभव हैं, लेकिन लोगों को अभी भी कुछ स्थितियों में भौतिक नकदी की ज़रूरत हो सकती है। एटीएम बैंकों को ओवरहेड कम करने में मदद करते हैं, खासकर अगर वे शाखा कार्यालयों से परे विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर उपलब्ध हों।



सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईएसजी का महत्व

गौरी मोहन जी, वरिष्ठ प्रबंधक, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र - चेन्नै

हाल के वर्षों में, दुनिया भर में पर्यावरण (Environmental), सामाजिक (Social) और प्रशासनिक (Governance) पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और इन पहलुओं को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की नीतियों में एकीकृत किया जा रहा है। भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) मानकों को अपनाना और उसे अपने कार्यकलापों में समाहित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ईएसजी का उद्देश्य न केवल वित्तीय लाभ प्राप्त करना है, बल्कि इसके द्वारा समाज, पर्यावरण और मजबूत प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। इस आलेख में हम भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईएसजी के महत्व को समझेंगे।

1. पर्यावरणीय (Environmental) जिम्मेदारी

भारत में तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ अधिक गंभीर हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन, जल स्रोतों की कमी, वायु प्रदूषण, और पारिस्थितिकी तंत्र की समस्याएँ प्रमुख चिंताएँ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे वित्तीय संसाधन प्रदान करते समय पर्यावरणीय प्रभावों का भी ध्यान रखें।

ईएसजी के तहत, बैंकों को ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग नहीं देनी चाहिए जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हों। इसके बजाय, उन्हें हरित परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले प्रोजेक्ट्स, और पर्यावरणीय अनुकूल व्यवसायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न केवल विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने में भी योगदान करते हैं।

2. सामाजिक (Social) जिम्मेदारी

"सामाजिक" पहलू में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये बैंक समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। भारत में लाखों लोग अभी भी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं, और पीएसबी का लक्ष्य उन्हें मुख्यधारा के वित्तीय प्रणाली में लाना है।

ईएसजी के तहत, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और हाशिये पर रहने वाले लोगों को सेवाएँ प्रदान करें। जैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएँ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए प्रोत्साहन देना। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए समान अवसर, कार्यस्थल पर सुरक्षा और वेतन संबंधी पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

3. प्रशासनिक (Governance) मानक

प्रशासनिक (Governance) मानकों का पालन करना हर बैंक के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, क्योंकि ये बैंक जनता के पैसों से संचालित होते हैं। ईएसजी के तहत,

बैंकों को न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अपनाना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार से बचना, कानूनी नियमों का पालन करना और बैंकिंग प्रक्रियाओं में स्पष्टता सुनिश्चित करना शामिल है।

ईएसजी में मजबूत प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पालन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विश्वास और सम्मान बढ़ता है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा मजबूत होता है। इसके अलावा, जब बैंकों में पारदर्शिता और जिम्मेदार नेतृत्व होता है, तो यह भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को कम करता है और संचालन में अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करता है।

ईएसजी के प्रबंधन से बैंक अपने जोखिम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बैंक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रदान करता है, तो उसे भविष्य में किसी कानूनी या वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का पालन करने से बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाए रख सकता है और लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।

साथ ही, जब बैंक ईएसजी के मानकों को अपनाते हैं, तो उन्हें दीर्घकालिक निवेशकों का समर्थन मिलता है, क्योंकि निवेशक अब अधिक जिम्मेदार और स्थिर कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं। इससे बैंक को बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और स्थिरता प्राप्त होती है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का काम केवल वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं है। इन बैंकों का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को सतत रूप से बढ़ावा देना है। ईएसजी के माध्यम से, पीएसबी विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा।

इसके अलावा, ईएसजी बैंकों को समाज में विकासशील क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, छोटे व्यापारों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

कुल मिलाकर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईएसजी का पालन न केवल इन बैंकों के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। ईएसजी मानकों को अपनाने से बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जिम्मेदारी, और स्थिरता आती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है।

इससे निवेशक, ग्राहक और समाज का विश्वास बढ़ता है और बैंकों को अधिक वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्राप्त होती है। इसलिए, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईएसजी की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार, नियामक संस्थाएँ और बैंकिंग संस्थान मिलकर काम करना चाहिए।



भारत की महिला समाज सुधारक: समाज और महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव

प्रियंका पन्ना, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में 19वीं और 20वीं सदी का कालखंड समाज सुधार आंदोलनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस युग में, कई प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भारतीय समाज में व्याप्त गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराइयों और असमानताओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में, यह अवधि अनेक कुरीतियों और भेदभावों से ग्रस्त थी। पितृसत्तात्मक मानसिकता, शिक्षा में लैंगिक असमानता, कार्यस्थल पर भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी जैसे मुद्दे समाज में गहराई से व्याप्त थे, जिसके कारण सामाजिक सुधार की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, महिलाओं ने न केवल इन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि कई मामलों में अग्रणी भूमिका भी निभाई, अक्सर उन्हें गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक संरचनाओं और सामाजिक रूढ़ियों का सामना करना पड़ा।

आज हम बात करेंगे भारत की उन प्रमुख महिला समाज सुधारकों के जीवन, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान, उनके सामने आई चुनौतियों और भारतीय समाज पर उनके प्रयासों के व्यापक प्रभाव की। विशेष रूप से, महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए किए गए उनके द्वारा किए गए संघर्षों की।

महिला शिक्षा और अधिकारों की प्रारंभिक प्रणेता

भारतीय समाज सुधार के क्षेत्र में, कुछ महिलाएं अपनी दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के कारण प्रारंभिक प्रणेता के रूप में विशिष्ट पहचान रखती हैं। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ऐसी ही दो महान शख्सियतें हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सावित्रीबाई फुले:

सावित्रीबाई फुले (जन्म 3 जनवरी 1831, महाराष्ट्र, मृत्यु 10 मार्च 1897) को व्यापक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और कवयित्री के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ, जिन्होंने उनके जीवन और सामाजिक कार्यों पर गहरा प्रभाव डाला। सावित्रीबाई फुले ने उस समय महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी जब यह भारतीय समाज में एक अकल्पनीय अवधारणा थी। उन्होंने और उनके पति ज्योतिराव फुले ने मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया, जो भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि उस समय महिलाओं की शिक्षा को अत्यंत नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। सावित्रीबाई स्वयं इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनीं, और उन्होंने न केवल लड़कियों बल्कि वयस्कों के लिए भी स्कूल खोले। उन्होंने छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वजीफा भी प्रदान

किया। शिक्षा के प्रति उनका यह सर्वव्यापी दृष्टिकोण केवल व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि पूरे समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रेरित था।

सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के साथ-साथ प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति को समझते हुए उनके लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह (Infanticide Prevention Home) की स्थापना की, जहाँ विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता था। उनका शिक्षा के संबंध में यह कथन, "यदि आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं," शिक्षा के प्रति उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है। सावित्रीबाई फुले के लिए अपना मिशन पूरा करना आसान नहीं था। जब वह स्कूल जाती थीं, तो कट्टरपंथी लोग उन पर पत्थर मारते थे और गंदगी फेंकते थे, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और अपना मिशन जारी रखा। 1897 में जब प्लेग महामारी फैली, तो वह मरीजों की सेवा करते हुए खुद भी संक्रमित हो गईं और उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले का कार्य न केवल शिक्षा तक सीमित था, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। उनकी पहल ने महिलाओं और दलितों के सशक्तिकरण की नींव रखी।

फातिमा शेख:

फातिमा शेख (जन्म 9 जनवरी 1831, मृत्यु 9 अक्टूबर 1900) 19वीं सदी की एक अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शिक्षिका और समाज सुधारक थीं, जिन्होंने समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर काम किया। उन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माना जाता है। जब फुले दंपति को अपना घर छोड़ने के लिए कहा गया, तो फातिमा और उनके पति उस्मान ने उन्हें न केवल आश्रय दिया, बल्कि अपने घर को लड़कियों के लिए पहले स्कूल के रूप में उपयोग करने की अनुमति भी दी। इस प्रकार, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में फुले दंपति द्वारा शुरू किए गए पहले लड़कियों के स्कूल की सह-स्थापना की। फातिमा शेख ने सभी धर्मों और जातियों के बच्चों को पढ़ाया और फुले द्वारा स्थापित सभी पांच स्कूलों में सक्रिय रूप से शामिल रहीं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए गहरा समर्पण दिखाया और जाति और धर्म की बाधाओं को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। अपने प्रयासों के दौरान, उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा धर्मविरोधी माना गया, फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। फातिमा शेख का योगदान सावित्रीबाई फुले के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने न केवल आश्रय प्रदान किया बल्कि शिक्षा के प्रसार में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज सुधार के लिए सामुदायिक समर्थन और सहयोग कितना



महत्वपूर्ण है।

19वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की समर्थक

19वीं सदी में, कई अन्य महिलाओं ने भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे ऐसी ही दो प्रमुख शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।

पंडिता रमाबाई:

पंडिता रमाबाई सरस्वती (जन्म 23 अप्रैल 1858, मृत्यु 5 अप्रैल 1922) एक असाधारण भारतीय समाज सुधारक, महिला अधिकार कार्यकर्ता, विद्वान और शिक्षिका थीं। वह संस्कृत की एक प्रतिष्ठित विद्वान थीं और उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 'पंडिता' और 'सरस्वती' की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। पंडिता रमाबाई ने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जो महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित एक संगठन था। उन्होंने विशेष रूप से बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और उनके लिए 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी सक्रिय रूप से वकालत की। 1896 में एक गंभीर अकाल के दौरान, रमाबाई ने महाराष्ट्र के गांवों का दौरा किया और हजारों परित्यक्त बच्चों, बाल विधवाओं, अनाथों और अन्य बेसहारा महिलाओं को बचाया और उन्हें मुक्ति मिशन के आश्रय में ले गईं। पंडिता रमाबाई न केवल एक समाज सुधारक थीं, बल्कि एक असाधारण भाषाविद् भी थीं। उन्हें सात भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने बाइबिल का अपनी मातृभाषा मराठी में अनुवाद किया। पंडिता रमाबाई ने न केवल महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों को भी चुनौती दी।

ताराबाई शिंदे:

ताराबाई शिंदे (जन्म 1850, मृत्यु 1910) 19वीं सदी की एक अन्य प्रभावशाली नारीवादी कार्यकर्ता थीं जिन्होंने पितृसत्ता और जाति का पुरजोर विरोध किया। वह अपनी प्रकाशित कृति 'स्त्री पुरुष तुलना' ('स्त्री और पुरुष के बीच तुलना') के लिए जानी जाती हैं, जो मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित हुई थी। यह रचना उच्च-जाति की पितृसत्ता की तीखी आलोचना है और इसे अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थीं और उनके सत्यशोधक समाज संगठन की सक्रिय सदस्य थीं। उनकी पुस्तक एक युवा ब्राह्मण विधवा के आपराधिक मामले की प्रतिक्रिया के रूप में लिखी गई थी, जिसे अपने नाजायज बेटे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अपनी कृति में, उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को महिलाओं के उत्पीड़न के स्रोत के रूप में चुनौती दी, एक ऐसा दृष्टिकोण जो उस समय बहुत ही विवादास्पद था और आज भी है। ताराबाई शिंदे की 'स्त्री पुरुष तुलना' 19वीं सदी में लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक मूल्यों पर एक तीखी टिप्पणी थी। उनकी आलोचना न केवल सामाजिक प्रथाओं पर केंद्रित थी, बल्कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं

पर भी सवाल उठाती थी, जो उन्हें अपने समय से बहुत आगे की विचारक बनाती है।

राष्ट्रवादी युग में अग्रणी

20वीं सदी की शुरुआत में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी और इस दौरान कई महिलाओं ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए भी आवाज बुलंद की। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट इस युग की दो प्रमुख शख्सियतें हैं।

सरोजिनी नायडू:

सरोजिनी नायडू (जन्म 13 फरवरी 1879, मृत्यु 2 मार्च 1949), जिन्हें अक्सर "भारत की कोकिला" के रूप में जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवयित्री और भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता थीं और 1925 में इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। स्वतंत्र भारत में, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल के रूप में सेवा की। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों की वकालत की। उन्होंने महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाया और महिलाओं के लिए शिक्षा और समान अधिकारों की पुरजोर वकालत की। एक प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में, उन्होंने अपनी कविता में पूर्वी विषयों को पश्चिमी शैलियों के साथ कुशलतापूर्वक मिलाया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में 'द गोल्डन थ्रेशोल्ड' और 'द बर्ड ऑफ टाइम' शामिल हैं। सरोजिनी नायडू ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करके और राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। उनकी साहित्यिक प्रतिभा ने उनके संदेश को और अधिक प्रभावी बनाया।

एनी बेसेंट:

एनी बेसेंट (जन्म 1 अक्टूबर 1847, मृत्यु 20 सितंबर 1933) एक ब्रिटिश समाज सुधारक, ब्रह्मविद्यावादी, महिला अधिकार और होम रूल कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक थीं। वह 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। एनी बेसेंट ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में मदद की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आधार बना। उन्होंने भारत में स्वशासन के लिए अभियान चलाने के लिए 1914 में होम रूल लीग शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेसेंट महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थीं और उन्होंने महिलाओं के मताधिकार, शिक्षा और समान अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। उनका मानना था कि शिक्षा भारत में विकास, सफलता और प्रगति का मार्ग है। एनी बेसेंट, एक विदेशी होते हुए भी, भारतीय समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण शक्ति थीं। उनकी थियोसोफी में रुचि और शिक्षा और स्वशासन के लिए उनकी वकालत ने उन्हें भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक



व्यक्ति बना दिया।

अन्य उल्लेखनीय महिला समाज सुधारक

भारतीय समाज सुधार के क्षेत्र में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट के अलावा भी कई अन्य महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

- * **रमाबाई रानाडे:** रमाबाई रानाडे (1862-1924) एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने 1904 में बॉम्बे में लेडीज सोशल कॉन्फ़रेंस (भारत महिला परिषद) की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया।
- * **स्वर्णकुमारी देवी:** स्वर्णकुमारी देवी (1855/56-1932) एक प्रसिद्ध बंगाली लेखिका, संपादक और समाज सेविका थीं। उन्होंने 1886 में बंगाल की पहली महिला संगठन 'सखी समिति' की स्थापना की और 'भारती' पत्रिका की संपादक के रूप में भी कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रतिनिधियों में से एक थीं।
- * **बेगम रुकैया सखावत हुसैन:** बेगम रुकैया सखावत हुसैन (1880-1932) मुस्लिम महिला शिक्षा की एक अग्रणी थीं। उन्होंने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- * **अरुणा रॉय:** अरुणा रॉय समकालीन भारत की एक जानी-मानी समाज सुधारक हैं, जो भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- * **मेधा पाटकर:** मेधा पाटकर एक समाज सुधारक से राजनेता बनीं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य के रूप में व्यापक रूप से जानी जाती हैं।
- * **किरण बेदी:** किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल में कई सुधार किए और विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

भारतीय महिला समाज सुधारकों ने अपने प्रयासों में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। पितृसत्तात्मक समाज और पारंपरिक मूल्यों का गहरा विरोध उनके मार्ग में एक बड़ी बाधा थी। धार्मिक रूढ़िवादिता और सामाजिक बहिष्कार का खतरा हमेशा बना रहता था, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने स्थापित मानदंडों को चुनौती दी। महिलाओं के लिए शिक्षा तक सीमित पहुंच और संसाधनों की कमी ने भी उनके काम को और अधिक कठिन बना दिया। कई महिला समाज सुधारकों को व्यक्तिगत त्याग करने पड़े और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त, औपनिवेशिक शासन की जटिलताओं ने भी उनके सामने चुनौतियाँ पेश कीं।

भारतीय महिला समाज सुधारकों के अथक प्रयासों का भारत में महिलाओं की स्थिति पर दीर्घकालिक और गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके कार्यों के परिणामस्वरूप शिक्षा के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार उनके प्रयासों के ही परिणाम हैं। समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में धीरे-धीरे परिवर्तन आया और उनकी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी। आज, हम सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को देख सकते हैं, जो इन प्रारंभिक समाज सुधारकों के प्रयासों की नींव पर टिकी हैं।

महिलाओं ने केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि व्यापक समाज सुधार आंदोलनों में भी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस अवधि में स्वतंत्र महिला संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निष्कर्ष

भारत की महिला समाज सुधारकों ने 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय समाज और महिलाओं की स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसी प्रारंभिक प्रणेताओं ने महिला शिक्षा की नींव रखी, जबकि पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे ने 19वीं सदी में महिला सशक्तिकरण के लिए मजबूत आवाज उठाई। राष्ट्रवादी युग में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट जैसी नेताओं ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की वकालत करके राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। रमाबाई रानाडे और स्वर्णकुमारी देवी जैसी अन्य उल्लेखनीय समाज सुधारकों ने भी महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन सभी महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाज, धार्मिक रूढ़िवादिता और संसाधनों की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने अटूट समर्पण और साहस से भारतीय समाज पर एक स्थायी प्रभाव डाला। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई, कानूनी अधिकारों में सुधार हुआ और महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया। आज भी, वे लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए जारी संघर्ष में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। भविष्य के अनुसंधान में कम ज्ञात महिला समाज सुधारकों के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ताकि भारतीय इतिहास में महिलाओं की भूमिका की हमारी समझ को और समृद्ध किया जा सके।

राज भाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. (ख)
2. (ख)
3. (क)
4. (घ)
5. (घ)
6. (घ)
7. (ख)
8. (ग)
9. (घ)
10. (ख)
11. (घ)
12. (क)
13. (ग)
14. (घ)
15. (क)



विविधा

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

हम में से बहुत से लोगों ने नराकास से पुरस्कार प्राप्त किया होगा। बहुत से शाखा प्रमुख नराकास की अर्धवार्षिक बैठकों में भाग भी लेते होंगे। किन्तु क्या हम नराकास के बारे में जानते हैं कि यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और यह कैसे काम करती है। आइए नराकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्र सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वहाँ मिल कर चर्चा कर सकें। फलतः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करना है। इन समितियों की अध्यक्षता नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है। समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य-सचिव द्वारा किए जाते हैं।

- वर्ष के दौरान विदेश में मौजूद नराकास की कितनी बैठकें होती हैं?
क. वर्ष में 2 बार ख. वर्ष में 1 बार
ग. वर्ष में 3 बार घ. वर्ष में 4 बार
- नराकास के गठन के लिए किसी नगर में केंद्र सरकार के कितने कार्यालय होने अपेक्षित हैं?
क. 7 या इससे अधिक कार्यालय
ख. 10 या इससे अधिक कार्यालय
ग. 15 या इससे अधिक कार्यालय
घ. 20 या इससे अधिक कार्यालय
- क्या नराकास की बैठक का आयोजन और सूचना और प्रौद्योगिकी के साधनों के माध्यम से भी किया जा सकता है?
क. हाँ ख. नहीं
ग. वर्ष में एक बार ई माध्यम से
घ. वर्ष में 2 बार ई माध्यम से
- किस देश में नराकास का गठन नहीं हुआ है?
क. मारीशस (पोर्टलुई) ख. संयुक्त अरब अमीरात (दुबई)
ग. यूनाइटेड किंगडम (लंदन) घ. जापान
- किस देश में नराकास का गठन हुआ है?
क. फिजी ख. सिंगापुर
ग. रूस घ. नेपाल
- भारत में मौजूद नराकास की वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जाती हैं?
क. 4 ख. 3 ग. 6 घ. 2
- राजभाषा विभाग द्वारा अभी तक कुल कितने नराकास का गठन किया जा चुका है?
क. 540 ख. 537 ग. 539 घ. 548
- नराकास की अर्धवार्षिक बैठकों में किनका भाग लेना अनिवार्य है?
क. कार्यालय से कोई भी अधिकारी
ख. कार्यालय से कोई भी स्टाफ सदस्य
ग. कार्यालय प्रमुख घ. राजभाषा अधिकारी
- नराकास में कितने सदस्य कार्यालय की संख्या अधिक हो जाने पर, उसे विभाजित कर एक नए नराकास का गठन किया जाता है?
क. 20 ख. 50 ग. 60 घ. 40
- विदेश में नराकास के गठन के लिए किसी नगर में केंद्र सरकार के कितने कार्यालय होना अपेक्षित है?
क. 10 या इससे अधिक ख. 7 या इससे अधिक
ग. 15 या इससे अधिक घ. 20 या इससे अधिक
- नराकास की संयुक्त वेबसाइट निम्न में से कौन सी है?
क. <http://tolic.rajbhasha.gov.in>
ख. <http://rajbhasha.gov.in>
ग. दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं
घ. <http://narakas.rajbhasha.gov.in>
- नराकास का गठन किसकी अनुमति से किया जाता है?
क. इसका गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव(राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।
ख. इसका गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के गृहमंत्री की अनुमति से किया जाता है।
ग. दिये गए दोनों विकल्प सही हैं।
घ. दिये गए दोनों विकल्प गलत हैं।
- नराकास का सदस्य कौन होता है?
क. केंद्र सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि या नगर में स्थित राज्य सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं।
ख. राज्य सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं।
ग. केंद्र सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं।
घ. दिये गए सभी विकल्प सही हैं।
- नराकास की अर्धवार्षिक बैठक का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
क. राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ख. केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
ग. दिये गए दोनों विकल्प गलत हैं।
घ. दिये गए दोनों विकल्प सही हैं।
- नराकास का पूरा नाम क्या है?
क. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ख. नगर राजभाषा कार्यकारी समिति
ग. नगर राजभाषा कार्यालय समिति
घ. नगर राजभाषा कार्यकारी संस्थान

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 56 देखें



संकलनकर्ता:
आदर्श गुप्ता
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली



विविधा

प्रतिस्पन्दन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की गृह पत्रिका 'वाणी' का 143वां अंक मुझे प्राप्त हुआ, धन्यवाद। वाणी की सुसज्जित साज-सज्जा जहां सहज ही ध्यान आकर्षित करती है वहीं इसमें चयनित लेख-आलेख इसे एक स्तरीय पत्रिका की श्रेणी में ले जाते हैं। क्यूआर कोड स्कैन कर पत्रिका को पढ़ने का विकल्प इसे प्रौद्योगिकी के नवीनतम प्रयोग से जोड़ रहा है। साथ ही, बैंकिंग के आधुनिकतम परिदृश्य को पृष्ठभूमि में रखकर तैयार किया गया यह अंक जन-जन से जुड़ने के अपने प्रयास में सफल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

पत्रिका के लेखों-आलेखों पर नज़र डालते ही एक बात जाहिर होती है कि बैंकिंग और हिन्दी दोनों अब अविच्छेद रूप से आपस में जुड़ गए हैं। हिन्दी अब बैंकिंग का हाथ पकड़ कर उसे देश के सुदूर कोनों तक पहुंचाने की राह पकड़ चुकी है, तो वहीं बैंकिंग भी अब अपनी गूढ़ एवं जटिल अवधारणाओं को जन भाषा में अभिव्यक्त कर वित्तीय समावेशन की गति को तेज कर रही है।

पत्रिका में जहां एक ओर बैंकिंग विषयों पर लिखे गए जानकारी-परक आलेख ज्ञानवर्धक करते हैं, तो वहीं हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य पर केन्द्रित लेख साहित्यिक रुचि को तुष्ट करते हैं। पूरी पत्रिका ही आइओबी के स्टाफ-सदस्यों के रचनात्मक कौशल से परिचय कराने के साथ-साथ हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में आइओबी की प्रतिबद्धता को जाहिर करती है। संक्षेप में, वाणी को एक सफल और अनुकरणीय गृह पत्रिका कहा जा सकता है। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ी पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई। साथ ही, पत्रिका के आगामी अंक के लिए ढेरों शुभकामनाएं!

शुभकामनाओं सहित,

शुभाकांक्षी,
विवेक श्रीवास्तव

क्षेत्रीय निदेशक (पंजाब, हरियाणा एवं केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़), भारतीय रिज़र्व बैंक

मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, प्रधान कार्यालय द्वारा तिमाही हिन्दी गृह-पत्रिका "वाणी" का प्रकाशन अनवरत किया जा रहा है तथा प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संदेश का ऑडियो वर्जन पत्रिका को नया आयाम प्रदान करता है। हिन्दी ने आज के वैश्वीकरण के दौर में विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय पहचान कायम की है और यह देश के जनमानस के हृदय को स्पर्श करती रही है। यह हमारे देश की राजभाषा होने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और अस्मिता की भी पहचान है। इसके प्रसार से राष्ट्रीय एकता को न केवल बल मिलेगा, अपितु सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रति सकारात्मक माहौल भी सृजित होगा।

अतः हमारा दायित्व है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी को विशेष गौरव एवं सम्मान दे और इसे अपने कार्यालयीन कार्यों में भी पूरे उत्साह से अपनाएं। मैं आशा करता हूँ कि इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री से कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी, उनकी सृजनात्मक क्षमता का भी विकास होगा साथ ही सच्चे अर्थों में उनके विचार को वाणी मिलेगी।

मैं पत्रिका से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल होगी।

शुभकामनाओं सहित,

राजीव कुमार नायक
उपनिदेशक (कार्यान्वयन)

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गृह मंत्रालय, भारत सरकार

आपके कार्यालय की तिमाही गृह पत्रिका 'वाणी' का 143वां अंक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 'वाणी' पत्रिका के दिसंबर 2024 अंक को पढ़कर अत्यंत संतोष और हर्ष की अनुभूति हुई। यह अंक विषयवस्तु की विविधता, प्रस्तुति की प्रामाणिकता एवं भाषा की प्रवाहशीलता के कारण विशेष रूप से सराहनीय है। "कैशलेस सोसाइटी में बैंकिंग का भविष्य", "डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समावेशन" और "एआई व ब्लॉकचेन तकनीक" जैसे लेख वर्तमान बैंकिंग प्रौद्योगिकी परिदृश्य के प्रभाव के दृष्टिगत प्रासंगिक और उपयोगी हैं। इन विषयों पर दी गई जानकारी न केवल पाठकों को जागरूक बनाती है, बल्कि बैंकिंग नवाचारों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करती है। "कंठस्थ-स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली", "देवनागरी लिपि व हिन्दी वर्तनी का मनकीकरण", "संस्कारों का निर्माण करती भाषा" और "हिन्दी भाषा की भूमिका" जैसे आलेख पत्रिका की भाषिक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। साथ ही, "भारत की विदेश नीति", "कार्बन फूटप्रिंट", "जीएसटी का प्रभाव" जैसे विषय वैश्विक और राष्ट्रीय विमर्श में पत्रिका की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। "राजभाषा प्रश्नोत्तरी", "कविता", "हंसी की फुलझड़ियाँ" तथा "ज्ञान के मोती" जैसे स्तंभों ने पत्रिका में रुचिकर विविधता जोड़ दी है, जिससे यह केवल सूचनात्मक ही नहीं, बल्कि आनंददायक भी बन गई है। इस उत्कृष्ट अंक के लिए आपकी टीम को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। आशा है, भविष्य में भी "वाणी" इसी तरह मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और ज्ञानवर्धक मंच बनी रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

नीरज सिंह
उप महा प्रबन्धक (मास)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई



विविधा

प्रतिस्पन्दन

बैंक की गृह पत्रिका "वाणी" का 143वां अंक (दिसंबर 2024 संस्करण) प्राप्त हुआ, तदर्थ धन्यवाद। यह अंक हर बार की तरह ही रोचक, ज्ञानवर्धक और आकर्षक है। माननीय प्रबंध निदेश एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी का संदेश बेहद प्रेरणादायक है और बैंक के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्यपालक निदेशक श्री जयदीप दत्ता राय एवं श्री धनराज टी के संदेश भी बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। श्री सुरेश पी, महा प्रबन्धक का आलेख "गति नहीं, धैर्य की दौड़" विचारोत्तेजक है और सफलता में धैर्य के महत्व को दर्शाता है। श्री सीएच वीएसवी प्रसाद, सहायक महा प्रबन्धक का आलेख "वर्तमान मूल्य विश्लेषण: एक विस्तृत अध्ययन" गहन शोध और अर्थ शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। पत्रिका में प्रकाशित गतिविधियां बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट स्तर को दर्शाती हैं। समग्र रूप से यह पत्रिका सभी मानकों पर खरी उतरती है, चाहे वह सामग्री की गुणवत्ता, विषयों की विविधता या प्रस्तुति की आकर्षकता हो। यह न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि बैंक के कर्मचारियों और पाठकों को प्रेरणा और दिशा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार की उत्कृष्ट पत्रिका के प्रकाशन के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

संजय किशोर

महा प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, दिल्ली क्षेत्र

आपके बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका "वाणी" का दिसंबर, 2024 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में बैंक की गतिविधियों, उपलब्धियों और सांस्कृतिक पहलुओं के साथ-साथ विशेष आलेख, कविताओं, विविधा एवं बैंकिंग जैसे विषयों को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसका संपादन, विषय वस्तु और प्रस्तुति प्रशंसनीय है, पत्रिका सूचना और प्रेरणा से परिपूर्ण है। विशेषकर बैंकिंग एवं वित्तीय जगत से जुड़े आलेखों को प्रस्तुत करने की शैली अत्यंत संक्षिप्त, स्पष्ट एवं प्रभावशाली है। इसमें अंत में राजभाषा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग और प्रचार को भी स्थान दिया गया है, जो अत्यंत सराहनीय है।

बैंक की इस त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से हमें अन्य क्षेत्रों में हो रहे रचनात्मक कार्यों और नवाचारों से परिचित होने का अवसर मिलता है। यह एक ज्ञानवर्धक पहल है। पत्रिका के माध्यम से कर्मचारियों की रचनात्मकता और योगदान को पहचान मिलती है, जिससे प्रेरणा और सहभागिता दोनों को बढ़ावा मिलता है।

आपकी संपादकीय टीम को इस शानदार और सुसंगठित पत्रिका के प्रकाशन हेतु अनेक शुभकामनाएँ। जानकारीपरक एवं प्रेरणा के स्रोत से ओत प्रोत ऐसे ही अगले अंक की हमें प्रतीक्षा रहेगी, जिसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएँ।

भवदीया,

महा लक्ष्मी एस

उप महा प्रबंधक

नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै

आपकी गृह पत्रिका "वाणी" का अक्टूबर – दिसंबर 2024 का तिमाही अंक प्राप्त हुआ। वाणी का यह अंक नए कलेवर और नई साज सज्जा के साथ प्रस्तुत करके आपने अपनी उत्कृष्ट संपादकीय दृष्टि का परिचय दिया है। स्टाफ सदस्यों द्वारा बैंकिंग, तकनीकी, राजभाषा संबंधी व समसामयिक विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने का आपका यह प्रयास सराहनीय एवं अभिनंदनीय है।

पत्रिका में सभी लेख बहुत ही उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं, इनमें से कुछ लेख जैसे 'भारतीय बैंकिंग में अनुपालन की उभरती भूमिका: वर्तमान मूल्य विश्लेषक 'ब्लॉकचेन तकनीक', बैंकों के चलनिधि प्रबंधन पर थोक जमा की तुलना में खुदरा जमा का प्रभाव', 'भविष्य की बैंकिंग: तकनीक और नवाचार का नया युग', 'कैशलेस सोसाइटी में बैंकिंग का भविष्य', 'डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समावेशन', 'बैंकिंग में एआई के उपयोग से बेहतर ग्राहक सेवा तथा धोखाधड़ी की रोकथाम में सुधार', 'बैंक और पर्यावरण मुद्दे: एक आवश्यक संबंध', जैसे लेख आज के परिवेश में अत्यंत उपयोगी हैं। राजभाषा हिन्दी विषयों पर लिखित लेख एवं कविताएँ भी उल्लेखनीय हैं। एक आकर्षक एवं उपयोगी पत्रिका के प्रकाशन के लिए पूरी संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई और आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएँ।

भवदीया,

मनीषा शर्मा

सहायक महा प्रबन्धक (राजभाषा)

पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली



डिजिटल लाइब्रेरी

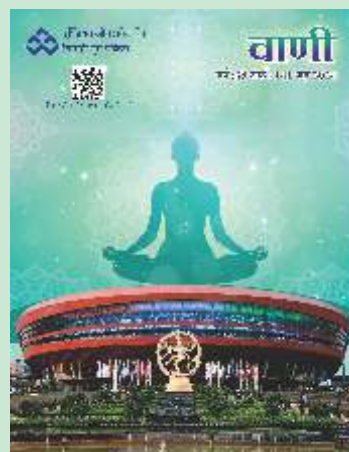


वाणी के
140वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें



वाणी के
141वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें



वाणी के
142वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें



वाणी के
143वें अंक
का आवरण
पृष्ठ



क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के
लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

गतिविधियाँ



बैंक के 89वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक के संस्थापक श्री एम सीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात बैंक के शीर्ष कार्यपालक गण तथा संस्थापक के परिजन



एसडीएटी टेनिस स्टेडियम में आयोजित चेन्नै टेनिस ओपन 2025 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता फ्रांसीसी खिलाड़ी किरियन जैकेट को पुरस्कार राशि का चेक सुपुर्द करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव



आइओबी

आपकी प्रगति का सच्चा साथी



आइओबी महिला सक्षम

महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण की पहल



ऋण की राशि

275,000 से 10,00,000 तक



आसान शर्तें

किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं, क्रेडिट गारंटी कवर



किफायती

ब्याज दरें



अतिरिक्त लाभ

शीघ्र पुनर्भुगतान पर
2% ब्याज रियायत!

*नियम व शर्तें लागू



अभी आवेदन करें

